पंचम माला , खंड 27, अंक 41 गुरूवार, 19 अप्रैल, 1973, 29 चैत्र, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXVII No. 41 Thursday, April 19, 1973/Chaitra 29, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/Contents

अंक 41, गुरुवार, 19 अप्रैल, 1973/29 चैत्र, 1895 (शक)

No. 41, Thursday, April 19, 1973/Chaltra 29, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
781 रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "सैनिक समाचार" में कार्य कर रहे अधि-संख्यक अनुवादक	Supernumerary Translators working in "Sainik Samachar" Published by Ministry of Defence . . .	1
782 पाकिस्तान के रेडियो प्रसारणों में भारत के विरुद्ध घृणा की नीति	Hatred of India Policy of Pak Radio Broadcasts	2
784 दूषण से 'हाल' (हिन्दुस्तान एयरो-नाटिक्स लिमिटेड) की मशीनों को खतरा	Pollution may hit HAL Machines .	4
785 उत्तर कोरिया के प्रतिनिधियों द्वारा रावलपिण्डी तथा दिल्ली में दिये गये तथाकथित परस्पर विरोधी वक्तव्य	Alleged Contradictory Expressions by North Korean Delegates in Rawalpindi and Delhi	6
786 अलवर (राजस्थान) में स्कूटर फैक्टरी की स्थापना	Setting up of Scooter Factory in Alwar (Rajasthan)	8
787 बेहाला पुनर्वास कालोनी, कलकत्ता में फ्लैटों की बिक्री	Sale of Flats in Behala Rehabilitation Colony, Calcutta .	9
789 माइल्ड स्टील प्रोजैक्ट्स बिल इनकर हैवी लासेज (इस्पात परियोजनाओं को भारी हानि होगी) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News-Item captioned "Mild Steel Projects will incur Heavy Losses"	11
791 भारतीय वायुसेना को एवरो जैट विमानों की सप्लाई के लिये आर्डर	Orders for Supply of Avro jets to Indian Air Force	13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
793	जीतपुर कोयला खान दुर्घटना सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Inquiry Commission regarding Jitpur Colliery Accident . . .	15
795	बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों से लोहे तथा इस्पात के अधिक दाम लेना	Higher rates of Iron and Steel charged from Small-Scale Industries than those from Large-Scale Industries . .	16

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
783	फिजी में रह रहे भारतीयों को निष्कासन की धमकी	Expulsion Threats to Indians in Fiji .	17
788	बंगला देश के विस्थापितों के लिये सहायता सामग्री की खरीद तथा उसका वितरण	Purchase and distribution of Relief Supplies for Bangladesh Refugees .	18
790	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के लिये भारतीय शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था	Medical Facilities provided for Pak P.O.Ws. in Indian Camps . . .	18
792	विदेशों में स्थित भारतीयों के बारे में चर्चा	Discussion regarding Indians Abroad .	19
794	आयातित अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि	Enhancement of Prices of Imported Non-Ferrous Metals . .	20
796	हिन्दुस्तान स्टील तथा मैसूर स्टील द्वारा मिश्रधातु तथा औजारी इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करना	Increase in price of Alloy and Tool Steel by Hindustan Steel and Mysore Steel .	20
797	भारतीय सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण देने की भाषायें	Languages for Imparting Training to Indian Armed Forces . . .	20
798	शिविरों से भागने वाले पाक युद्धबन्दियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Escaping P.O.Ws of Pakistan from Camps . .	21
799	चीनी प्रशिक्षकों द्वारा पाकिस्तानियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण	Training to Pakistanis in Guerilla warfare by Chinese Instructors . .	21
800	पश्चिम बंगाल में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार	Jobs to Local People in West Bengal .	21
अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
7536	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की ओर से संयुक्त क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Move from TISCO for Joint Sector	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7537	बैलाडिला में गुटके बनाने के संयंत्र की स्थापना	Setting up of Pellatisation Plant at Bailadila	22
7538	भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिये तीसरे मजूरी बोर्ड की मांग	Indian Federation of Working Journalists demand for Third Wage Board for Working Journalists	22
7539	नर्मदा घाटी में तांबा, सीसा तथा अन्य खनिजों के मिलने की संभावना	Presence of Copper, Lead and other Minerals in Narmada Valley . . .	23
7540	विदेश मंत्रालय के ग्रंथालय के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या	Category-wise strength of staff in External Affairs Library	23
7541	विदेशों में बने हवाई जहाजों के फालतू पुर्जे खरीदने के लिये व्यय की गयी राशि	Amount of Money spent for purchase of Spare Parts of Foreign make planes .	24
7542	रायपुर-भिलाई रोड पर मैसर्स शिव भगवान गोयनका द्वारा छोटे इस्पात कारखाने की स्थापना	Mini Steel Plant by M/s Shiv Bhagwan Goenka on Raipur-Bhilai Road .	24
7543	यूगोस्लाविया में भारतीय दूतावास भवन के वार्षिक किराये तथा रख-रखाव सम्बन्धी व्यय	Expenditure of Annual Rent and Maintenance of Building for Housing Indian Embassy in Yogoslavia . . .	25
7544	दण्डकारण्य परियोजना के अमरकोट अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति	Posting of Doctors at Umerkote Hospital, Dandakaranya Project . .	25
7545	हड़तालों पर रोक तथा मजूरी स्थिरीकरण	Ban on Strikes and Wage Freeze .	26
7546	पोलैंड का सहयोग	Polish Collaboration	26
7547	उकरेनियन नगर में भारत सम्बन्धी फोटो चित्रों की प्रदर्शनी	Exhibition of photographs about India held in Ukranian Town . . .	26
7548	रांची में कोयला खान मशीनरी का पकड़ा जाना	Seizure of Colliery Machinery in Ranchi .	27
7549	हिमाचल प्रदेश में समदो-काजा सड़क का निर्माण	Construction of Samdoh-Kaza Road in Himachal Pradesh	27
7550	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के कल्याण कार्यों में रत एजेन्सियां और संगठन	Agencies and Organisations working for Welfare of War Widows . . .	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7551	रक्षा मंत्रालय द्वारा कानपुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Plant in Kanpur by Defence Ministry . . .	28
7552	भारत-पाक युद्ध के बाद खेमकरण सेक्टर में पुनः बसाये गये लोग	Persons Rehabilitated in Khemkaran, Sector after Indo-Pak War .	29
7553	बंगला देश का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश	Admission of Bangladesh into U.N. .	30
7554	हिन्दी कवि सम्मेलन	Hindi Kavi Sammelan .	31
7555	हिन्द महासागर में प्रवेश करने के बारे में ईरान की विस्तृत योजना	Comprehensive Plans of Iran to enter Indian Ocean	32
7556	बंगला देश के स्वाधीनता सेनानियों की भारत में कथित नजरबन्दी	Alleged detention of Bangladesh Liberation Fighters in India . . .	33
7557	भारत से बाहर स्वर्गवासी हुए स्वतन्त्रता सेनानियों के अवशेषों को भारत लाने का प्रस्ताव	Proposal to bring Remains of Freedom Fighters who died outside India . .	33
7558	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	34
7559	इस्पात के आवंटन के लिये मैसूर राज्य का अनुरोध	Request from Mysore State for Allotment of Steel . . .	34
7560	नई दिल्ली में मोटरगाड़ी तथा सम्बद्ध सहायक उद्योग विकास परिषद् की बैठक	Meeting of D.C.A. and A.A.I. held in New Delhi . . .	35
7561	भारत एलूमिनियम कंपनी में सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ब्यूरो की सलाहकार के रूप में नियुक्ति	Central Engineering and Designs Bureau as Consultant in Bharat Aluminium Company . . .	36
7562	भारी उद्योग के अन्तर्गत उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता के विश्लेषण के लिये आंकड़े	Data for Analysis of Installed Capacity of Industries under Heavy Industry .	37
7563	केरल में टेल्क फैक्टरी द्वारा ट्रांस्फार्मरों का निर्माण	Manufacture of Transformers by TELK Factory in Kerala . .	38
7564	जोधपुर, राजस्थान में ट्रैक्टर निर्माण का कारखाना लगाना	Setting up of Tractor Manufacturing Plant in Jodhpur, Rajasthan . .	38
7565	पाक युद्ध बन्दियों की समस्याओं पर भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों की बातचीत की संभावना	Possibility of Talks between Prime Ministers of India and Bangladesh regarding problems of P.O.Ws. .	39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7566	एच० एम० टी० लेवल वाली जाली घड़ियों की बम्बई में बिक्री	Fake Watches with HMT Label sold in Bombay	39
7567	प्रत्येक राज्य के लिये स्कूटरों का कोटा	Scooters Quota for each State .	39
7568	इस्लामी सम्मेलन में भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda at Islamic Conference . .	40
7569	एशियाइयों को निकालने के लिये जाम्बिया का दबाव	Zambian Pressure for expelling Asians .	41
7570	देश के आयुध कारखानों में आग लगने की घटनायें	Fire Incidents in Ordnance Factories of the Country . . .	42
7571	गंगटोक में एक भारतीय अधिकारी की दोषसिद्धि	Conviction of an Indian Officer at Gangtok . .	42
7572	श्रम कल्याण सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Labour Welfare .	42
7573	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Expenditure on Medical Benefits to Workers under E.S.I. Scheme	43
7574	समुद्री सीमा निश्चित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कसौटी	International Norms to determine limits of Territorial Sea .	44
7575	दक्षिणी अफ़्रीका में अफ़्रीकियों और भारतीयों के साथ जातिगत भेदभाव और शोषण	Racial Discrimination and Exploitation of Africans and Indians in South Africa .	44
7576	मजदूर शिक्षा योजना	Workers Education Scheme .	45
7577	चीन, अमरीका और फ़्रांस की मदद से पाकिस्तानी नौसेना की शक्ति बढ़ाना	Augmentation of Pak-Naval Force with help of China, U.S.A., and France .	45
7578	तमिलनाडु में एल्यूमिनियम कारखाने के अधिग्रहण का इटली की सरकार द्वारा विरोध	Italian Government's Protest against Take Over of Aluminium Factory in Tamil Nadu . .	46
7579	लखनऊ में संयुक्त क्षेत्र में स्कूटर बनाने के कारखाने की स्थापना में हुई प्रगति	Progress made in setting up Joint Sector Scooter Factory at Lucknow .	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7580	व्यास परियोजना, तलवारा, पंजाब के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ	Social Security Benefits to Workers of Beas Project, Talwaram, Punjab .	47
7581	कानपुर में ज०के० तथा अन्य पटसन मिलों में हड़ताल	Strike in J.K. and other Jute Mills in Kanpur	47
7582	संयुक्त राष्ट्र महासभा में पनामा नहर के मामले को उटाने का प्रस्ताव	Proposal move to Raise Panama Canal issue in U.N. General Assembly .	47
7583	राजस्थान के सैनिक स्कूल	Sainik Schools of Rajasthan	48
7584	अतिरिक्त सामान का मूल्य तथा उसकी मात्रा	Value and Quantity of Surplus Goods .	48
7585	बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agriculture Graduates	49
7586	शिविरों में बंगला देश के विस्थापितों के लिये चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था	Arrangement for Medical Treatment in camps for Refugees from Bangladesh .	49
7587	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का बिना बारी आवंटन करने की व्यवस्था	Provision for Out-of-Turn Allotment of Scooters to Government Employees	50
7588	शिल्पी क्राफ्टमन स्तर तक प्रशिक्षण देने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	Industrial Training Institutes Imparting Training upto Craftsman Level . .	51
7589	दण्डकारण्य परियोजना के भूतपूर्व उपमुख्य प्रशासक का कोरापुट से कोंडागांव का दौरा	Tour by Ex-Deputy Chief Administrator, Dandakaranya Project from Koraput to Kondagaon	52
7590	गुजरात सरकार द्वारा 'रोड रोलरों' की सप्लाई का अनुरोध	Request from Gujarat Government for supply of Road Rollers . . .	52
7591	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को दी गई रायल्टी	Royalty Paid to Bihar Government by Centre after Nationalisation of Coal Mines	53
7592	उड़ीसा राज्य से उत्कल वाहिनी रेजीमेंट बनाना	Raising of Utkal Bahini Regiment from Orissa	53
7593	घाटे में चल रही मैगनीज ओर (इन्डिया) लि०	Manganese Ore (India) Ltd., Running at Loss	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7594	चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना	Normalisation of Relations with China .	54
7595	नीति निर्धारण समिति की सहायता के लिये बाहर के विशेषज्ञों का पैनल	Panels of Outside Experts to Assist Policy Planning Committee	54
7596	1971-72 और 1972-73 में खनिज पदार्थों का उत्पादन	Production of Minerals during 1971-72 and 1972-73	54
7597	साइकिल-रिक्शा चलाना बन्द करना	Abolition of Cycle-Rikshaws .	56
7598	कोयला उद्योग की वित्तीय समस्याओं के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिश	Recommendation of Working Group on Financial Problems of Coal Industry	57
7599	पश्चिम बंगाल की कम्पनियों द्वारा कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of offices by Companies from West Bengal	57
7600	पाकिस्तान के साथ युद्ध बन्दियों का आदान-प्रदान	Exchange of P.O.Ws. with Pakistan .	57
7601	ट्रैक्टरों का आधारभूत मूल्य	Base Price of Tractors . .	58
7602	गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा डी०टी० 14बी०/टी० 25 ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of DT. 14B/T. 25 Tractors by Private Co.	58
7603	ट्रैक्टर निर्माताओं को पैक्स	Packs to Tractor Manufacturers .	60
7604	व्यापारिक मोटरगाड़ियों की कमी	Shortage of Commercial Vehicles . .	60
7605	मिश्र के विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान और बंगला देश की यात्रा	Egyptian Foreign Minister's Visit to Pakistan and Bangladesh . . .	60
7606	टिस्को, टेल्को और जेम्को में ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम का क्रियान्वयन करना	Implementation of Provident Fund and Family Pension Act by Contractors in TISCO, TELCO and JEMCO .	61
7607	फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों को उपादान अदा करने की प्रणाली	System of Payment of Gratuity by Firms to their Staff	61
7608	जुलाई से दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान बंगलादेश के साथ किये गये समझौते	Agreements with Bangladesh from July to December, 1972	62
7609	कारों का निर्माण करने के लिये बेरोजगार इंजीनियरों को जारी किये गये आशय पत्र	Letters of Intent issued to unemployed Engineers for manufacture of Cars .	62

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7610	उगांडा से नागरिकता वंचित व्यक्तियों का निष्कासन और तदन्तर पुनर्वास	Repatriation of Non-Citizens from Uganda and their rehabilitation . .	63
7611	हिन्डालको का सरकारीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to take over Hindalco	63
7612	श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों की छंटनी	Retrenchment of working class people	63
7614	उत्तरी बंगाल में कोयला भंडार वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन	Study and Survey of coal-bearing area in North Bengal	64
7615	माटीधरा डेरी परियोजना, दार्जिलिंग के लिये इस्पात कोटे के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की मांग	West Bengal Government's demand for steel quota for Matighara Dairy Project, Darjeeling	64
7616	देश के चाय बागान श्रमिकों की सेवा शर्तों का अध्ययन	Study of working conditions of Tea Garden Labourers in the country .	65
7617	पश्चिम बंगाल में विस्थापितों के पुनर्वास के लिये बृहद योजना	Master Plan for rehabilitation of displaced persons in West Bengal . . .	66
7618	श्रम ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Offices of Labour Bureau	67
7619	तीसरी और चौथी योजना अवधि के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा किये गये सर्वेक्षण और अध्ययन	Survey and Studies conducted by Labour Bureau during Third and Fourth Plan periods	68
7620	श्रम ब्यूरो में तकनीकी कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of technical hands in Labour Bureau	69
7621	उत्तर कोरिया के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता	Bilateral talks with North Korean representatives	69
7622	स्टैनलैस स्टील उद्योग में संकट	Crisis in Stainless Steel Industry .	70
7623	रक्षा मंत्रालय के वायुसेना मुख्यालय में ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Joint Cipher Bureau, A.F.H.Q. Ministry of Defence	70
7624	इस्पात संयंत्रों में चोरी के मामले	Theft cases in steel plants	71
7625	राजस्थान में अरावली पर्वत का विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial survey of Aravalli Mountain in Rajasthan	71
7626	गुजरात में रोड रोलरों की कमी	Shortage of Road Rollers in Gujarat	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7627	संसद सदस्यों को मोटरकारों/स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars/Scooters to M.Ps.	72
7628	मिलिटरी फार्म, पठानकोट के कैजुअल कर्मचारी	Casual Employees of Military Farm, Pathankot	73
7629	केन्द्रीय मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरे	Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers . . .	73
7630	मध्य प्रदेश में दैनिक समाचार पत्रों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की जमा कराई गई राशि	Deposit of E.P.F. by Daily Newspapers in Madhya Pradesh	73
7631	फिलीपीन में भारतीय दूतावास के सामने आनन्दमार्ग के अनुयायियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Anand Marg Followers before Indian Embassy in Philippines	74
7632	इस्पात और अलौह धातुओं की कमी और इसका इंजीनियरी उद्योग पर प्रभाव	Shortage of Steel and Non-Ferrous Metals and its effect on Engineering Industry	74
7633	खानों के सरकारीकरण के समय कठोर व्यवहार की शिकायत	Complaint of harsh behaviour at the time of take-over of Mines . . .	75
7634	उड़ीसा में नौसैनिक प्रशिक्षण (नावल बांयाज) केन्द्र	Naval Boys' Centre in Orissa.	75
7635	तल्चर स्थित वौलवेडा कोयला खान में मजदूरों की मृत्यु	Death of Workers in accident in Daulbeda Colliery at Talcher	75
7636	वर्मा से विस्थापित हुए श्रमिकों का उपयोग	Utilization of Displaced Labour Force from Burma	76
7637	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कर्मचारियों का अन्तः अनुभागीय स्थानान्तरण	Inter-section Transfers of Staff in Office of R.P.F.C. Bihar	76
7638	बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत लगाया गया हर्जाना	Damages levied under Section 14 of E.P.F. Act, 1952 in Bihar . . .	77
7639	बिहार राज्य के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को क्रियान्वित करना	Implementation of E.P.F. Act, 1952 in Bihar State	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7640	विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिये गोदावरी जल मोड़ योजना	Godavari Water Diversion Scheme for proposed Steel Plant at Visakhapatnam	79
7641	विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase capacity of proposed steel plant at Visakhapatanam . .	79
7642	आयातित रोड रोलरों का गुजरात को आवंटन	Allotment of imported road rollers to Gujarat	80
7643	एयरोनाटिकल सोसाइटी आफ इण्डिया बंगलौर द्वारा रजत जयंती मनाना	Celebration of Silver Jubilee by Aeronautical Society of India, Bangalore	80
7644	इस्पात और खान मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में बैठक	Meeting between officers of Ministry and Railways regarding transportation of coal.	80
7645	संयुक्त कार्मिक संघ परिषद् को व्यापक बनाना	Broad-based United Council of Trade Unions	81
7646	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत करना	Submission of Charter of Demands by War Widows . . .	81
7647	टाटा स्टील, जमशेदपुर के पर्सोनल डिवीज़न की रजत जयंती पर विचार गोष्ठी	Seminar on silver Jubilee of Personnel Division of Tata Steel, Jamshedpur	81
7648	अम्बाझारी रक्षा परियोजना, नागपुर को चालू करना	Commissioning of Ambazhari Defence Project, Nagpur	82
7649	नई दिल्ली में बंगला देश दूतावास के भवन के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of land for Bangladesh Embassy Building in New Delhi . .	82
7650	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गये रक्षा कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों को रिहायशी भूखंडों का आवंटन	Allotment of Residental Plots by D.D.A. to relatives of Armed Personnel killed in Indo-Pak War	82
7651	रोजगार कार्यालय द्वारा सिफारिश किये गयें व्यक्तियों को रोजगार	Employment to persons recommended by Employment Exchanges . .	83

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7652 विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी के कार्य के लिये अतिरिक्त नियुक्तियां	Additional appointments by Indian Missions abroad for performing Hindi work	83
7654 शार्ट सर्विस कमिशन	Short Service Commission	83
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	84
हजारी बाग, बिहार में दंगों के बारे में समाचार	Reported disturbances in Hazaribagh, Bihar	84
श्री मधु दण्डवते	Sh. Madhu Dandvate . .	84
श्री रामनिवास मिर्धा	Sh. Ram Niwas Mirdha	85
लोक सभा में एक सदस्य द्वारा दिये गये भाषण का 'हिन्दुस्तान' में गलत ढंग से प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा	Announcement re Misrepresentation of the speech of a Member in Lok Sabha by the *'Hindustan'*	88
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	90
अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन	Amendments to Directions by the Speaker	91
सदस्य की दोष सिद्धि (**श्रीआर०वी०बडे**)	Conviction of Member (*Shri R.V. Bade*)	91
नियम समिति	Rules Committee	91
(एक) पहला प्रतिवेदन	(i) First Report	91
(दो) कार्यवाही सारांश	(ii) Minutes .	92
आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा राज्यों के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका	Petition re grievances of employees of the States of Andhra Pradesh, Manipur and Orissa	92
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	92
एयर इंडिया फ्लाइट की छिप्पू दुर्घटना के बारे में नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement re Report of the Inquiry Commission on stowaway incident on Air India flight	92
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	92
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 . . .	93
(एक) महाराष्ट्र में सूत और खाद्यान्न की कमी	(i) Shortage of yarn and foodgrains in Maharashtra	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(दो) पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा पर चिरकुंडा में हुई दुर्घटनाएं		(ii) Incidents at Chirkunda on West Bengal-Bihar border . . .	93
(तीन) गुजरात में बिजली में कटौती		(iii) Power cut in Gujarat .	93
अनुदानों की मांगें, 1973-74		Demands for Grants, 1973-74	94
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture	94
श्री पम्पन गौडा		Shri Pampan Gowda .	94
श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव		Shri P. Ankineedu Prasada Rao	95
श्री डी० के० पंडा		Shri D. K. Panda	96
श्री मुल्की राज सैनी		Shri Mulki Raj Saini .	96
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी		Shri Swami Brahmanandji . .	97
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली		Shri Ramachandran Kadannappalli	97
श्री ओंकार लाल बेरवा		Shri Onkar Lal Berwa .	98
श्री फखरुद्दीन अली अहमद		Shri F. A. Ahmed	98
मुनाफाखोरी निवारण तथा कीमत नियंत्रण विधेयक—**पुरःस्थापित**		Profiteering prevention and Price Control Bill—*Introduced*	105
संविधान (संशोधन) विधेयक		Constitution (Amendment) Bill . .	106
(अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन), श्री सी० टी० दंडपाणि का		(*Substitution of Article* 335) by Shri C. T. Dhandapani	106
श्री अर्जुन सेठी		Shri Arjun Sethi .	106
श्री डी० बसुमतारी		Shri D. Basumatari	106
श्री वी० मायावन		Shri V. Mayavan .	107
श्री रामसहाय पाण्डे		Shri R. S. Pandey .	108
श्री ओंकार लाल बेरवा		Shri Onkar Lal Berwa . .	108
श्री नाथू राम अहिरवार		Shri Nathu Ram Ahirwar .	109
श्री सरजू पाण्डेय		Shri Sarjoo Pandey . .	110
श्री सी० एम० स्टीफन		Shri C. M. Stephen . .	111
श्री पी० वेंकटासुब्बया		Shri P. Venkatasubbaiah . .	113
श्री मूलचन्द डागा		Shri M. C. Daga	113
डा० हेनरी आस्टिन		Dr. Henry Austin. . . .	114
श्री हुकम चन्द कछवाय		Shri Hukum Chand Kachwai .	114
श्री दरबारा सिंह		Shri Darbara Singh . . .	115
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री झारखंडे राय)		Arrest of Member (*Shri Jharkhande Rai*) .	115

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 19 अप्रैल, 1973/29 चैत्र, 1895 (शक)
Thursday, April 19, 1973/Chaitra 29, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock.

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "सैनिक समाचार" में कार्य कर रहे अधिसंख्यक अनुवादक

*781. **श्री चन्द्र सैलानी** : क्या **रक्षा** मंत्री रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सैनिक समाचार में कार्य कर रहे अधिसंख्यक अनुवादकों के बारे में 14 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2082 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय "सैनिक समाचार" में नियुक्त अधिसंख्यक अनुवादकों के भविष्य में पदोन्नति के अवसर क्या हैं ; और

(ख) क्या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) 18 मार्च, 1963 को जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार अनुवादकों के पदों के स्थान पर सहायक पत्रकारों के पद बनाए जाने के कारण, अनुवादकों की उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सहायक पत्रकारों की नियुक्ति के लिए चुना जाना था और जो लोग ऐसी नियुक्ति के लिए नहीं चुने गए थे उन्हें सिब्बन्दी में अधिसंख्यक अनुवादकों के रूप में बेकार रूप से रख लिया गया था । तथापि सरकार सहायक पत्रकारों के कुछ अतिरिक्त पद बनाने पर विचार कर रही है जिससे इन अधिसंख्यक अनुवादकों को खपाया जा सके और उन का भविष्य सुधर सके ।

Shri Chandra Shailani : What is the number of Supernumerary translators working at present in the Sainik Samachar ?

श्री जे० बी० पटनायक : इस समय तीन अनुवादक वहां काम कर रहे हैं ।

Shri Chandra Shailani : Whether they would be made permanent?

श्री जे० बी० पटनायक : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, हम उनका भविष्य सुधारने की बात सोच रहे हैं ।

पाकिस्तान के रेडियो प्रसारणों में भारत के विरुद्ध घृणा की नीति

+

***782. श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1973 के "सन्डे ट्रिब्यून" में "हैट्रेड आफ इंडिया--थीम आफ 73% रेडियो पाकिस्तान ब्राडकास्ट्स (भारत के प्रति घृणा--पाकिस्तान के 73% रेडियो प्रसारणों की नीति)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने पाकिस्तान और चीन से कोई विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान रेडियो या अन्य प्रचार माध्यमों से भारत विरोधी प्रचार करना स्पष्ट रूप से शिमला समझौते की व्यवस्थाओं का उल्लंघन है । सरकार ने अनेक बार इस तथ्य की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ।

जहां तक चीन का संबंध है, पिछले कई वर्षों से चीन के प्रचार माध्यमों द्वारा भारत विरोधी प्रचार किये जाने के बारे में सरकार को जानकारी है । पिछले कुछ महीनों से शायद इसकी आवृत्ति एव मात्रा में कमी आई है, परन्तु सरकार यह समझती है कि इस मामले में चीन की सरकार से विरोध प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर स्थित आज़ाद कश्मीर रेडियो द्वारा ही प्रतिदिन यह भारत-विरोधी प्रचार किया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा विश्वास है कि तथाकथित आज़ाद कश्मीर रेडियो पूर्ण रूपेण पाकिस्तान सरकार की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान का उस क्षेत्र पर पूरा-पूरा अधिकार है । यह कोई नहीं जानता कि यह केन्द्र कहां पर है । इसके बारे में तो पाकिस्तान सरकार ही ठीक जानती है और हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है, कि यह रेडियो जहां कहीं भी हो, यह सुनिश्चित करना उसका काम है कि शिमला समझौते के अन्तर्गत दोनों देश शत्रुता का प्रचार न करें ।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या भारत ने इस प्रचार का निराकरण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं क्योंकि यह रेडियो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुना जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि ऐसे प्रचार से लोगों में उसकी उपेक्षा करने का निश्चय और दृढ़ होता है क्योंकि हमारे लोगों को वास्तविकता का ज्ञान है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : According to the Hon. Minister such hostile propaganda is violation of Simla Agreement but the fact is that they have indulged in such propaganda in a big way only after this Agreement. I, therefore, want to know whether we have also tried to counteract it through any agency, news media or Radio etc.?

I would also like to know whether Government are aware that some papers in India publish such incriminating material and thereby confirm such news and information ? Whether some action is contemplated against them? Whether we have contacted the countries where Pakistan has been indulging in anti-India propaganda and whether we have sent any protest-notes to Pakistan to stop such propaganda over their Radio, if so, the number thereof?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तानी प्रेस भारत-विरोधी प्रचार करती रही है और पाकिस्तानी दूतावासों ने भी वहां हमारी नीतियों की आलोचना की है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उन देशों में विशेष कर वहां की सरकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इसका प्रमाण यह है कि उन देशों को छोड़कर जो पाकिस्तान के बहुत निकट हैं, किसी भी देश की सरकार ने इस विषय पर पाकिस्तान के पक्ष में हमसे कोई पत्राचार नहीं किया है । अतः हमें इस प्रचार को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए ।

हमारा उन समाचार-पत्रों के विरोध में कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है जिन्होंने पाकिस्तानी प्रसारण प्रकाशित किए हैं क्योंकि हम प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं । यदि कानून के विरुद्ध वह कोई काम करते हैं तभी कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु यदि कोई बात मुझे या जनसंघ को अच्छी नहीं लगती तो इसी कारण कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : जनसंघ को इसमें घसीटने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने कहा था कि ये समाचार-पत्र उक्त रेडियो का हवाला दिए बिना भी कई बातें ऐसी छापते रहते हैं जो मुझे पंसद नहीं होतीं और न ही जनसंघ को पंसद होती हैं परन्तु इसी से तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करना नहीं चाहते। इस संबंध में पाकिस्तान का ध्यान कई बार दिलाया गया है परन्तु कुछ समय तक चुप रहने के बाद फिर से वही बात होने लगती है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked whether we have tried to counteract the anti-India propaganda indulged in by Pakistan in other countries and whether there is some machinery to do that?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी अन्य देश में समाचार-पत्रों में छपी कोई बात विरोध-पत्र भेजने का आधार नहीं हो सकती । यदि किसी देश की सरकार गंभीरता से कोई मामला उठाए तो दूसरी बात है, परन्तु कभी-कभी विरोध प्रकट करने या विशेष प्रकार से किसी बात को कहने भर से भी उस बात का अधिक प्रचार होता है, शायद यह बात सदस्य महोदय को ज्ञात नहीं है ।

Shri Achal Singh : Whether A. I. R. counteracts the Chinese propaganda against us?

Shri Swaran Singh : What for? It is not necessary as not even a single Indian is affected by such propaganda.

Shri Narsingh Narayan Pandey: Whether any protest has been lodged in regard to the propaganda by Pakistan and China regarding Sikkim uprising?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में पाकिस्तानी प्रचार या चीन में उनकी एजेंसी द्वारा वहां समाचारों के प्रकाशन से न हमारे विचारों पर और न ही सिक्किम की स्थिति में कोई अन्तर आया है । किसी भी बाहरी आलोचना का सर्वोत्तम उत्तर स्वयं चोग्याल और युवराज के वक्तव्य हैं ।

श्री एस० ए० शमीम : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि तथाकथित आज़ाद कशमीर रेडियो न केवल भारत-विरोधी प्रचार करता है अपितु हमारे नेताओं को गालियां भी देता है और उनके विरुद्ध असभ्य वाक्यों का प्रयोग भी करता है और क्या उन्हें यह भी पता है कि यह स्टेशन कशमीर में नहीं बल्कि रावलपिंडी में स्थित है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं आज़ाद कशमीर रेडियो नहीं सुनता परन्तु गाली-गलौच कशमीर या किसी भी सभ्य संस्कृति के प्रतिकूल है और हम गाली के उत्तर में गाली देने के बजाय उसको अनसुना करना सबसे बढ़िया जबाब समझते हैं । इसकी स्थिति के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कहीं भी हो, है तो यह पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में ही, यह चाहे इस्लामाबाद में हो या लाहौर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके लिए हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है । शिमला में हमें बताया गया था कि आज़ाद कशमीर रेडियो के नाम पर भी शत्रुता पूर्ण प्रचार नहीं किया जाएगा ।

दूषण से 'हाल' (हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड) को मशीनों को खतरा

***784. श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1973 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "पोल्यूशन में हिटहाल मशीन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) सरकार पहले ही इस बात को समझती है । आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुरोध किया गया है कि पड़ौसी रसायनिक उद्योगों द्वारा गैसों तथा निस्सारी के प्रभाव के परिणामस्वरूप वायुदूषण के स्तर में कमी करने के लिए तत्कालिक तथा दूरगामी उपाय अपनाएं । परिष्करण के पश्चात् धातु पुर्जों पर कुछ बुरे प्रभाव को छोड़कर फैक्टरी में शेष मशीनों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है । वायुदूषण के मशीनों पर दूरगामी प्रभाव का अभी अध्ययन किया जाना है ।

Shri Jagannath Mishra : From the reply it appears that Government is not as serious on this matter as they should be. Naturally it will have adverse effect on machines and humans and the consequences would be disastrous. Whether Government would then be able to shoulder all blame?

Shri Vidya Charan Shukla : Perhaps he did not get my reply properly. I had submitted that so far no adverse effect has been detected and long-term effect is being studied. A final conclusion has yet to be drawn.

In 1967, when this factory was being set up, we had asked the Central Public Engineering Institute, Nagpur to undertake a Survey in this regard. Its report was sent to the

Andhra Government for immediate action. Afterwards another survey was conducted to find out whether pollution has increased or decreased. Hence we are concerned about it, though no effect is evidenced at present on our machines but we want immediate safeguards against any future danger to them. The second Survey proved linking danger and we wrote to the State Government again. Therefore the Hon. member should not have this impression that we are not taking any effective action in the matter.

Shri Jagannath Mishra : The Hon. Minister has stated that after finishing effect was evidenced on metal parts of machinery. I want to know as to what would be the effect if no action is taken immediately?

Shri Vidya Charan Shukla : Some parts used in the manufacture of electronic equipment have been affected but it was set right immediately. We want to check the ill-effects and that is why we conducted the Survey and sent it to Andhra Government for taking action as they are the proper authority to ensure proper action. We have approached the Chemical Industries there to instal anti-pollution devices to solve this problem. We are constantly on the move and time-permitting I would have provided you with full details of steps taken by us. However, we hope to be successful in setting right the pollution as a result of chemical gasses and affluents.

Shri Jagannath Mishra : Secondly, I want to know that the news of the pollution was published in 'Financial Express' and the matter was referred by the Chief Inspector of actories & Boilers Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur for special investigations. The Government also referred the matter to the Government of Andhra Pradesh for necessary actions. What action has been taken in this regard?

Shri Vidya Charan Shukla: I had stated in my reply that 6 years ago when it came to our notice we referred it to Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur. They have conducted the survey twice and we have discussed their report with the Government of Andhra Pradesh and are discussing the action to be taken in this regard. It has not sc far been decided as to what action is to be taken. Therefore, I am not in a position to say anything about that. I can only say that we would sort out the difficulty so that factory and production of the factory is not affected by it.

श्री एस० बी० गिरी : सर्वेक्षण से पता चला कि रसायनों के संदूषण के कारण कुछ कठिनाईयां थीं । जब वे धातुओं अथवा इलैक्ट्रानिक्स को प्रभावित करते हैं, तो हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में काम करने वाले लोगों पर उसका क्या असर पड़ता है ? उनके बारे में कठिनाईयां क्या हैं ? सरकार ने उनकों रोकने के लिए अब तक क्या उपचारी उपाय किये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : दोनों सम्बद्ध हैं । जब वातारवरण में संदूषण कम होता है, तो इससे मशीनों तथा आदमियों दोनों को लाभ होता है ।

Shri Sukhdev Prasad : Sir, the Hon. Minister stated in his reply that information in this regard was received in 1967 and after surveys were got conducted and then reports were received, then the Government of Andhra Pradesh was informed. I want to know from the Government that they have expressed their inability to take any direct action and when Andhra Pradesh Government has been informed, whether any reply has been received from them or not? If any reply was received its nature and what action has been taken after that ?

Shri Vidya Charan Shukla: There has been correspondence but no solution has been found. We are not concerned with the Correspondence but we are making efforts to find out solution.

श्री एस० ए० शमीम : जल संदूषण विधेयक पहले ही पुरः स्थापित किया जा चुका है और यह प्रवर समिति को निर्देशित किया गया है । हमें आश्वासन दिया गया था कि वायु संदूषण विधेयक भी पुरः स्थापित किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त विधेयक कब तक पुरः स्थापित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह बात नहीं उठती । यदि वे उत्तर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस विधेयक के उपायों को इसके पास हो जाने पर पेश करेंगे ।

कोरिया के प्रतिनिधियों द्वारा रावलपिंडी तथा दिल्ली में दिये गये तथाकथित परस्पर विरोधी वक्तव्य

*785. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने रावलपिंडी में तथा उत्तर कोरिया के उच्चाधिकारी प्राप्त प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में ठीक एक ही समय भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में परस्पर विरोधी विचार-प्रकट किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 'पाकिस्तान टाइम्स' की खबर के अनुसार कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत में यह कहा था कि युद्ध-बंदियों और 'मुस्लिम बंगाल' के साथ भावी संबंधों के प्रश्नों पर पाकिस्तान की सरकार ने जो नीति अपनाई है उनका देश उसका पूरी तरह समर्थन करता है । लेकिन उक्त पत्र ने इस बारे में विदेश मंत्री द्वारा किसी विशिष्ट वक्तव्य दिए जाने का उल्लेख नहीं किया है। कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य से भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेता ने हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान शिमला समझौते का अत्यंत हार्दिक स्वागत किया था और यह आशा व्यक्त की थी कि इस समझौते के अनुरूप ही सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी ।

(ख) सरकार ने 21 फरवरी, 1973 के 'पाकिस्तान टाइम्स' के इस समाचार की ओर कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य के प्रधान कोंसलावास का ध्यान आकर्षित किया है और उनका स्पष्टीकरण मांगा है ।

श्री राजदेव सिंह : माननीय मंत्री के उत्तर का प्रथम वाक्य दूसरे वाक्य का अन्तर-विरोधी है । प्रथम वाक्य इस प्रकार है :

"पाकिस्तान टाइम्स" की खबर के अनुसार कोरियाई लोकतान्त्रिक जनगणराज्य के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत में यह कहा था कि युद्ध-बंदियों और 'मुस्लिम बंगाल' के साथ भावी संबंधों के प्रश्नों पर पाकिस्तान की सरकार ने जो नीति अपनाई है उनका देश उसका पूरी तरह समर्थन करता है" ।

दूसरा वाक्य इस प्रकार है :

"लेकिन उक्त पत्र ने इस बारे में विदेश मंत्री द्वारा किसी विशिष्ट वक्तव्य के दिये जाने का उल्लेख नहीं किया है।"

यह दोनों वाक्य अन्तर्विरोधी हैं और उत्तर बहुत ही भ्रमात्मक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के भाग (क) के अन्तर्विरोधी उत्तर के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? दूसरे, स्पष्टीकरण के बारे में उत्तर कोरियाई सरकार को किए गए अनुरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस बारे में कोई अन्तर्विरोधी बात नहीं है । मैंने मुख्य उत्तर में स्पष्टतया यह बताया है कि कोरियाई लोकतांत्रिक जनगणराज्य के विदेश मंत्री का कथित वक्तव्य पाकिस्तान के अखबारों में पहिले ही प्रकाशित हो चुका है । हम अभी यह नहीं जानते कि क्या उन्होंने उक्त वक्तव्य दिया था अथवा नहीं । हमने अपने महावाणिज्य दूत के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा है । अभी तक हमें कोरियाई लोकतंत्रात्मक गणराज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । कोरियाई लोकतंत्रात्मक गणराज्य के विदेश मंत्री ने फरवरी में पाकिस्तान की यात्रा की थी जबकि उनका प्रतिनिधि मंडल मार्च के मध्य में भारत आया । उक्त प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष ने शिमला समझौते को दिल से स्वीकार किया और उसका स्वागत किया । मैं समझता हूं कि उनके विदेश मंत्री का पाकिस्तान में दिया गया कथित वक्तव्य सम्बद्ध नहीं है, क्योंकि यह पता नहीं कि यह ठीक से प्रकाशित हुआ कि नहीं ?

श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश मंत्रालय के पास अपनी बुद्धि है अथवा नहीं ? लगभग एक ही समय पर एक सरकार का दो एजेंसियों द्वारा दिये गये दो अन्तर्विरोधी वक्तव्यों को भारत सरकार एक समान किस प्रकार मानती है ?

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो उन्होंने स्पष्ट की है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने उत्तर का मूल आशय समझा नहीं है । हमारा यह सामान्य अनुभव है कि जब कोई विदेशी उच्च पदाधिकारी यहां पर आता है तो समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित होता है कि वे भारत के विदेश मंत्री से मिले और कहा जाता है कि उन्होंने यह कहा, वह कहा आदि । यह एक प्रकार का समाचार है । दूसरी प्रकार का समाचार यह है कि जब मंत्री समाचार-पत्रों को स्वयं वक्तव्य देकर बताते हैं कि उस विशेष सरकार का यह मत है । जब कोरियाई लोकतंत्रात्मक गणराज्य के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की तो उन्होंने समाचार-पत्रों को स्वयं कोई वक्तव्य नहीं दिया । 'पाकिस्तान टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था कि उन्होंने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजीज अहमद से बातचीत की और यह पता चला है कि बातचीत के दौरान उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री ने पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के प्रति अपनी सरकार का समर्थन व्यक्त किया । यह इस प्रकार के समाचार-पत्र हैं जिनसे पूरी तरह वाकिफ हैं । स्पष्ट है, वे यात्रा करने आए हुए उच्चाधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों को दिये गये वक्तव्यों से भिन्न हैं । समाचार-पत्रों में "कहा जाता है कि उन्होंने यह कहा" अथवा "अधिकृत सूत्रों से पता चला है" के अधीन प्रकाशित हुए समाचार उच्चाधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों को दिये गए वक्तव्य के समतुल्य नहीं हैं । माननीय सदस्य ने इस अन्तर की ओर ध्यान नहीं दिया लगता और इसी लिए वे अपनी बात कर रहे हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : माननीय मंत्री के उत्तर से पता चलता है कि प्रतिनिधि मंडल बाद में आया और विदेश मंत्री का कथित वक्तव्य पहले का है। क्या कोरियाई सरकार का ध्यान विदेश मंत्री के कथित वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया था और उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि बातचीत के समय हमने विशेष रूप से इस मामले पर बातचीत नहीं की थी। मुझे याद है कि कोरियाई लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल के यहां आने पर उनके नेता के साथ अधिकतर बातचीत मैंने ही की थी। जब मैं कुछ कहता हूं, यदि वे यह कहें, "मैं इसे पूरी तरह मानता हूं" तो यह कहना व्यवहारिक नहीं कि उन्होंने दूसरे स्थान पर अन्तर्विरोधी वक्तव्य दिया है।

अलवर (राजस्थान) में स्कूटर फैक्टरी की स्थापना

*786. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री 30 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न सं० 407 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अलवर जिले में स्कूटर फैक्टरी की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखते हुए संयंत्र में कब तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है; और

(ग) प्रति स्कूटर अनुमानित उत्पादन लागत कितनी होगी और प्रति स्कूटर बिक्री मूल्य कितना होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) "दि अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड" के नाम और रूप में एक नई कंपनी बना दी गई है। अलवर में 50 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है। भूमि का विकास पूरा हो गया है और सितम्बर, 1972 से कारखाने के भवन का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है। देश में बनी मशीनों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं। सरकार को भी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। जून, 1972 में निगम द्वारा प्रस्तुत आद्यरूप के संबंध में बेहिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंटवे अहमद-नगर द्वारा सड़क पर चलने के योग्य होने का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) निगम को अभी तक औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है जिससे वह वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर सके अभी यह ठीक-ठीक बता सकना संभव नहीं है कि वाणिज्यिक उत्पादन कब तक प्रारंभ हो सकेगा।

(ग) उत्पादन लागत 2,500 रुपये होने का अनुमान है। उत्पादन शुल्क और बिक्री कर आदि को छोड़कर कारखाने से निकलते समय का बिक्रीमूल्य लगभग 2,650 रुपये होने की संभावना है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : फैक्टरी में उत्पादन प्रारंभ करने के बारे में 30 अगस्त, 1972 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर में बताया गया था कि फैक्टरी में वर्ष 1973 के अंत तक उत्पादन शुरु हो जाएगा। फैक्टरी में उत्पादन शुरु होने के बारे में इस समय पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरु होगा, इसके बारे में सही-सही बताना संभव नहीं है। यह प्रगति हुई है! दस माह पूर्व सरकार ने आश्वासन दिया था कि 1973 के अंत तक उत्पादन शुरु हो जाएगा। अब सरकार का कहना है कि यह बताना संभव नहीं है कि उत्पादन कब शुरु होगा। उस

समय पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के दौरान जब मैंने कहा था कि सरकार समस्या के प्रति जागरुक नहीं है और कार्य शुरु होने में विलंब किया जा रहा है तो सरकार ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि वह परियोजना शुरु करने में बिल्कुल विलंब नहीं कर रही बल्कि सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि परियोजना शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाए । सरकार द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सरकार ने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया है । उस समय दिया गया उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी तथा फैक्टरी-अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन पर आधारित था । वाहन को परीक्षणार्थ बेहिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर भेज दिया गया है । उसमें कुछ तकनीकी दोष है और उन्हें सुधारने में स्वभावतः समय लग गया है । इस बात के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहें हैं कि जब स्कूटर तैयार हो, तो वह सड़क पर चलने योग्य हो और उसमें मुख्य तकनीकी दोष न हों । यदि तकनीकी दोष दूर करने में कुछ समय लग जाता है, तो मेरे विचार में ठीक ही है ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सरकार ने प्रोटोटाईप को उसमें आगे रूप-भेद के लिए यह बताते हुए वापिस लौटा दिया है कि किन-किन वस्तुओं में सुधार करना है ? अन्य स्कूटर फैक्टरियों के प्रोटोटाईपों का परीक्षण करने के बारे में क्या स्थिति है ? गुजरात में गिरनार के प्रोटोटाईप को पास करने में कितना समय लगा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : अन्य प्रोटोटाईपों की स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन दुर्भाग्यवश इस मामले में इंजिनियर और गीयर बाक्स नमूने के अनुरुप नहीं हैं । वर्ष 1971 में इस निगम ने सरकार से बात पूछी थी कि क्या लखनऊ स्कूटर फैक्टरी गीयर बाक्स और इंजिन उपलब्ध कराके हमारी सहायता नहीं कर सकती । हम इस बात की जांच करने के लिए प्रयत्नशील हैं कि क्या इन पुर्जों को दिलवाने में हमें मदद नहीं करनी चाहिए ताकि उनके उत्पादन कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जा सके ।

श्री पी० आर० शिनाय : नई फैक्टरी की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : 24,000

बेहाला पुनर्वास कालोनी, कलकत्ता में फ्लैटों की बिक्री

*787. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहाला पुनर्वास कालोनी, कलकत्ता के वर्तमान निवासियों को, जो विस्थापित हैं एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, पुनर्वास फ्लैट बेचने के प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विक्रय "न लाभ न हानि" के आधार पर किया जायेगा और विक्रय मूल्य की अदायगी आसान किस्तों में दी जा सकेगी; और

(ग) क्या उक्त निवासियों को फ्लैटों का अन्तिम रूप से हस्तांतरण करने तक, पुनर्वास योजना के अन्तर्गत किरायेदारों के रूप में उनके हितों की रक्षा की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को बेहाला कालोनी में फ्लैट सामान्य पूल आवास नियमों के अनुसार आवंटित किए गए थे और इस प्रकार एलाटी इन नियमों के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए उन्हें पुनर्वास योजना के अधीन किराएदार के रूप में माने जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है। क्या मैं यह समझूं कि भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापितों को, जो फ्लैटों में रह रहे हैं और कम आय पाने वाले केन्द्रीय कर्मचारी हैं, फ्लैट बेचने का निश्चित प्रस्ताव, जो 2-3 वर्षों से चला आ रहा था, त्याग दिया गया है ? सही स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : जहां तक मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल सही है। माननीय सदस्य ने फ्लैटों को बेचने के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछा है। यह मामला विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: उत्तर में बताया गया था कि ये फ्लैट सामान्य पूल आवास का अंग समझे जायेंगे। काफी समय पूर्व, 1968 में पुनर्वास विभाग ने वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि ये पुनर्वास फ्लैट हैं, सामान्य पूल फ्लैट नहीं हैं। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि सही स्थिति क्या है ? कालोनी का नाम बेहाला पुनर्वास कालोनी है। क्या ये मकान और फ्लैट पुनर्वास फ्लैटों या पुनर्वास योजना का अंग हैं अथवा इन्हें अचानक सामान्य पूल आवास का अंग माना जा रहा है। क्या उनके मंत्रालय, निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अथवा क्या इन मंत्रालयों में समन्वय नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, विस्थापित सरकारी अधिकारियों को सामान्य पूल प्रणाली के अन्तर्गत आवास दिया जाता है। पुनर्वास योजना के अन्तर्गत पुनः बसाए जाने वाले लोगों के बारे में अलग सिद्धांत है। विस्थापित अधिकारियों को सामान्य पूल आवास के अन्तर्गत आवास दिया जाता है। इन व्यक्तियों को फ्लट बेचने का मामला लगभग अन्तिम स्थिति में है तथा सक्रिय रूप से विचाराधीन है। मुझे आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री समर गुह : यह मामला वर्ष 1968 से सरकार के विचाराधीन है। मैं बेहाला पुनर्वास कालोनी के प्रतिनिधियों और अध्यक्ष श्री आशु बोस के साथ श्री आर० के० खाडिलकर और श्री यशवन्त राव चव्हाण से कई बार मिला था।

क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास विभाग, राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधियों जिनकी अध्यक्षता श्री आशु बोस कर रहे थे, के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में यह निर्णय किया गया था कि ये फ्लैट 8,000 रु० प्रति फ्लैट के हिसाब से बेचे जाऐंगे ? क्या पुनर्वास मंत्री ने त्रिपक्षीय निर्णय का अनुमोदन किया था ? क्या वित्त मंत्रालय को कुछ कठिनाइयां पेश आ रही हैं और क्या गत मार्च में बेहाला पुनर्वास कालोनी के प्रतिनिधि माननीय

मंत्री से मिले थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्रालय शीघ्र ही इसका निपटान कर देगा और कुछ तकनीकी मामलों, जिनका निपटान होना है, के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से बात की जायेगी और यदि हां, तो इस मामले पर शीघ्र निर्णय करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री रघुनाथ रेड्डी: वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय की सलाह से पूरा मामला विचाराधीन है क्योंकि इसमें कुछ विधि सम्बन्धी प्रश्न भी अन्तग्रस्त हैं। आशा है कि शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

New Item Captioned "Mild Steel projects will incur Heavy Losses"

***789. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines be** pleased to state:

(a) whether the attention of the Central Government has been drawn to the news-item published on page 5 of the daily "The Hindustan Times" of 27th March, 1973 under caption "Mild Steel Projects will incur heavy losses"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) विशाखापत्तनम और विजय नगर इस्पात प्रायोजनाओं के लिए, (प्रत्येक प्रायोजना में 20 लाख टन पिण्ड के समतुल्य आकारयुक्त उत्पादों के उत्पादन की परिकल्पना की गई है) तैयार किये गये तकनीकी-आर्थिक शक्यता प्रतिवेदनों में सलाहकारों ने आशंका व्यक्त की थी कि संयंत्र तथा उपस्करों, कच्चे माल, तथा परिवहन की लागत बढ़ जाने के कारण पूंजी निवेश पर काफी आवर्ती हानियां होंगी। अतः पूंजीगत तथा परिचालन लागत को यथासंभव कम करने की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल का गठन किया था। अध्ययन दल की सिफारिश थी कि स्केल इकानामी प्राप्त करने के लिए 2,000 घन मीटर से अधिक आयतन की क्षमता की धमन भट्टियां लगाकर इन दोनों कारखानों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। तदनुसार सलाहकारों से कई बातों पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया था। फिर भी हाल में वोकारो में चालू की गई 2,000 घन मीटर क्षमता की धमन भट्टी के उत्साहक वर्द्धक परिणामों को देखते हुए अध्ययन दल की सिफारिशों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। फिर भी अब तक किए गए अध्ययनों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजी निवेश पर अब भी कुछ आवर्ती हानियां होंगी। इन दोनों प्रायोजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है।

Shri M. C. Daga: One mild steel plant is proposed to be set up at Vijay Nagar and other at Vishakhapatnam. Total expenditure on first and second steel plant will be Rs. 753 and Rs. 747 crores respectively. It has also been stated that recurring loss on first and second steel plant will be Rs. 69.5 crores and Rs. 45 crores respectively. Both the plants will run on loss. May I know the recommendations and final report submitted by the study group? Clear cut reply should be given to my question as to whether recurring loss will continue

श्री सुबोध हंसदा : अध्ययन दल मई, 1972 में गठित किया गया था और अक्तूबर, 1972 में इसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि अन्तिम निर्णय क्या होगा।

Shri M. C. Daga : My question has not been replied to. The Hon. Minister, while replying, has stated that consultants had forecast....., I understand that an astrologer can forecast but how can consultants forecast? How did the Government declare without consulting experts that steel plants will be installed at Vijay Nagar and Vishakhapatnam when both the plants are likely to incur the loss of Rs. 45 crores and Rs. 65 crores per year respectively. How this forecast is made? Why should the tax-payer of India shoulder the tax burden and die?

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि परियोजना की स्वीकृति क्यों दी गई। यह सच है कि इस परियोजना के लिए भूमि, उपकरण और कच्चा माल, परिचालन लागत आदि काफी अधिक पड़ेगी। इसलिए सरकार इस परियोजना पर पुनः विचार कर रही है। सी० ई० डी० बी० एण्ड दस्तूर एण्ड कम्पनी इन सभी बातों का अध्ययन कर रही है और अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

श्री बी० बी० नायक : माननीय इस्पात और खान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि ये समय-बद्ध परियोजनाएं हैं और ये काम शुरू होने के 8 वर्ष के भीतर पूरी हो जायेंगी। अध्ययन दल की सिफारिशों को, जिनका अध्ययन गत 6 महीनों से किया जा रहा है, ध्यान में रखते हुए क्या समय तालिका में कुछ अन्तर होगा, किस मामले में अध्ययन दल के निष्कर्षों के संदर्भ में सम्बद्ध राज्यों या क्षेत्रों को दिया गया बचन भंग होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : माननीय सदस्य को पता है कि जब हम सदन में कोई वक्तव्य देते हैं, तो हमारा उद्देश्य उन वक्तव्यों का आदर करना होता है। लेकिन यदि संयंत्र लगाने में उपलब्ध संसाधनों तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी कठिनाइयां होती है, तो स्वभावतः अन्तिम निर्णय में कुछ अन्तर हो सकता है।

श्री वसंत साठे : मूलतः परियोजनांए प्रारम्भ करते समय, क्या उत्पादन शुरू होने के काल का पूर्वानुमान लगाया गया था ? क्या परामर्शदाताओं अथवा विशेषज्ञों ने योजना तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि पहले कुछ वर्षों में अमुक-अमुक घाटा होगा, अमुक अवधि के बाद घाटा बन्द हो जायेगा और उसके बाद संयंत्र लाभ कमाना शुरू कर देगा ? क्या ऐसी कोई योजना परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई थी, यदि हां, तो वह योजना क्या थी और उत्पादन शुरू होने के समय के बारे में क्या पूर्वानुमान लगाया गया था ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : विस्तृत वित्तीय आंकड़ों के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय करने का कोई प्रश्न नहीं था। इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता और इन दो स्थानों को संयंत्र निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं से युक्त पाकर सरकार ने वहां संयंत्र लगाने का निर्णय किया था। जब भी संयंत्र लगाए जायेंगे तो वास्तविक समस्या पूंजीगत उपकरणों की उच्च लागत तथा आकारयुक्त एवं सपाट उत्पादों के अन्तर की होगी। बोकारों में चालू की गई 2,000 घन मीटर क्षमता की धमन भट्टी के परिणामों को देखते हुए हम अन्तिम निर्णय कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न के दिए गए उत्तर से क्या आप संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कब तक घाटे की स्थिति समाप्त होने और लाभ शुरू होने की आशा है आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाईये ।

श्री डी० डी० देसाई : यह एक विस्तृत प्रश्न है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : स्पष्टत: यदि हम स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में होते तो निर्णय पहले ही कर लेते। हम स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि परामर्शदाताओं ने हमारे समक्ष कई विकल्प प्रस्तुत किये हैं और अब हम उन पर विचार कर रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : पूरे विश्व में घाटे पर चल रहे सभी वर्तमान पुराने इस्पात संयंत्रों में नई मशीनरी लगाई जा रही है और सरकार के कथनानुसार इस्पात की कीमतें बढ़ जाती हैं और इस प्रकार लाभदेयता को बढ़ाया जा रहा है। पूरे विश्व में वर्तमान संयंत्रों के साथ-साथ नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि संयंत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। दूसरी ओर हमारे यहां नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं जो शुरू होते ही घाटा शुरू कर देंगे और इस्पात की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद घाटे में चलते रहेंगे । सरकार इन दोनों के बीच की विषमता को कैसे दूर कर सकती है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य के इस बारे में कुछ पूर्वानुमान हैं जोकि सत्य नहीं हैं।

प्रथमत: भारत में इस्पात का मूल्य ऊंचा नहीं है । उत्पाद-शुल्कों में वृद्धि के कारण ही बाजार भाव में कुछ वृद्धि हुई है। किन्तु भारत का उत्पादन मूल्य विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम बैठता है।

दूसरे, हमारे सम्मुख कठिनाइयां का जहां तक प्रश्न है, वह हमारे देश में उपकरणों के निर्माण के बारे में है, क्योंकि इस बारे में हम उत्पादिता का इस सीमा तक बढ़ाने में सफल नहीं हुए जबकि अधिकांश समृद्ध एवं विकसित देशों ने काफी सीमा तक स्वचालन व्यवस्था की है और उपकरणों के तैयार करने में क्षमता से वे उनके मूल्य कम रख पाते हैं। इसी मामले पर हम ध्यान दे रहे हैं ताकि हम संयंत्र लगने के मूल्य को कम रख सकें।

भारतीय वायुसेना को एवरो जेट विमानों की सप्लाई के लिए आर्डर

\+

***791. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के प्रयोग के लिए अधिक संख्या में एवरो विमान सप्लाई करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० को आर्डर दिए हैं;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना के प्रयोग के लिए इन विमानों के कार्यकरण के बारे में उनके मंत्रालय ने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है; और

(ग) क्या जिस किस्म के एवरो विमानों के लिए आर्डर दिया गया है, उसकी उड़ान क्षमता की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की जानी है?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड भारतीय वायु सेना के लिए एच–748 (एम) भारवाही किस्म के विमान का निर्माण करेगा।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) रक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाली एवरो प्रकार की भारवाही किस्म है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा इस विमान के बारे में समस्याओं के संबंध में क्या रक्षा मंत्रालय के इंजीनियरिंग विभाग तथा इण्डियन एयर लाइन्स के इंजीनियरों के मध्य कोई ऐसी घनिष्ठता है जिससे इस विमान की उपयुक्तता के बारे में उठाई गई समस्याओं पर परामर्श दे सकें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने विमान को अच्छी तरह देखा। इतना ही नहीं उसकी रक्षा अधिकारियों द्वारा–सेना तथा वायु सेना दोनों द्वारा व्यापक परीक्षण भी किया गया और इसे उन कार्यों के लिए उपयुक्त पाया गया जिनके लिए इन्हें लिया गया है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैंने मंत्री महोदय से केवल यही पूछा था कि वायु सेना द्वारा किए गए तकनीकी सुधारों एवं अन्य जानकारी से इण्डियन एयर लाइन्स को अवगत कराया गया है ताकि उठाए गये मामलों तथा उड़ान की धीमी गति, कम भारवहनता और ऊंचे तापमान में अपर्याप्त कार्य-संचालन आदि पर ध्यान दिया जा सके और इन समस्याओं का समाधान किया जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका उपयोग ठीक हो रहा है और मैं इस पर और टिप्पणियां नहीं करना चाहता क्योंकि सरकार ने इस विमान का संचालन के मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है और मुझे विश्वास है कि यह विशेष और ठोस परिणामों पर पहुंचेगी और इस विमान के बारे में सभी संदेहों को दूर कर पायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस समिति की नियुक्ति के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि 'एवरों' का 'हाल' कानपुर में निर्माण निलंबित कर दिया जाये और यदि हां तो उस पर प्रतिरक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसके निलंबित किये जाने की संभावना है अथवा उन प्रयासों की अपेक्षा करते हुए उत्पादन जारी रहेगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल : 'हाल' कानपुर में उत्पादन जारी रहेगा। जहां तक मुझे ज्ञात है हमारे पास इस विमान के उत्पादन को बन्द करने के बारे में कोई सुझाव नहीं आया।

श्री भगवत झा आजाद : एवरों का अधुनिक रूप भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे विमान के मूल्य से कितना भिन्न है? क्या यह संभव नहीं है कि इस विवाद को समाप्त करते हुए और नये विमानों को भारतीय वायु सेना द्वारा तथा इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा किए गये सुधारों के अनुकूल बनाया जाये?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारतीय वायुसेना तथा सेना उनका उपयोग उपयुक्त पदार्थों के विमानों द्वारा गिराने में करना चाहते हैं जबकि इण्डियन एयर लाइन्स का कार्य भिन्न है। मुख्य अन्तर इंजिन के बारे में है। 'एवरो' में इस समय हम डार्ट–532 इंजन का उपयोग करते हैं। कुछ अधिक शक्तिशाली

इंजन डार्ट 532 इंजन है, बेशक यह कुछ अधिक शक्तिशाली है । विवाद इस बात का पैदा हुआ कि डार्ट 532 इंजन कुछ अधिक शक्तिशाली होते हुए इसके संचालन पर कुछ अधिक व्यय होता है। परन्तु इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक संदेहास्पद सुझाव है। इस बारे में कुछ निश्चित परिणामों पर नहीं पहुंचा जा सका। परन्तु मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि एवरो के अधिक श्रेष्ठ रूप कार्यरत होंगे। इण्डियन एयर लाइन्स इसका उपयोग नागरिक परिवहन तथा अन्य कार्यों में लायेगा।

श्री जी० विश्वनाथन: क्या मंत्री महोदय को प्रधान मंत्री के मत का पता है कि उन्हें सन्देह है क्योंकि जब वे नेपाल गयीं तो उन्होंने एवरो वापिस करके स्वदेश लौटने के लिए बोइंग मंगाया ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य सही हैं। प्रधान मंत्री सभी यात्राओं के लिए 'एवरो' का उपयोग कर रही हैं, जिनमें कि उनका उपयोग हो सकता है। यहां तक मुझे ज्ञात है उन्होंने 'एवरो' की सुरक्षा पर कभी संदेह व्यक्त नहीं किया।

जीतपुर कोयला खान दुर्घटना संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन

***793. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मार्च, 1973 को जीतपुर कोयला खान दुर्घटना की जांच हेतु सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : A serious accident took place at Jitpur and Government has set up an Enquiry Commission to look into it. May I know whether any time limit has been fixed for the Commission to submit its report and whether the report has been submitted within the time fixed for the purpose ? May I also know whether the departmental enquiry has been instituted into it to know the main cause of the accident and the action taken against those found responsible for the carelessness leading to such a big accident ; and if no action has so for been taken against such officers, the reasons therefor ?

श्रम और पुर्नवास मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : जांच समिति 24-3-73 को नियुक्त की गई थी। उसने प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिल जाने की सम्भावना है। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी। किन्तु जहां तक विभागीय जांच का सम्बन्ध है, उससे पता चलता है कि दुर्घटना आग पकड़ने वाली गैस के विस्फोट के कारण हुआ। वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है और इस स्थिति में इस सम्बन्ध में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Hon. Minister did not tell about the time-limit fixed for submission of the report the report has not been submitted so far. May I know whether Government has taken any decision to give interim relief to the families of those who died in the said accident ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक अन्तरिम राहत का प्रश्न है, कल्याणकारी संगठनों को राहत दी जा चुकी है और श्रमिक प्रतिकर अधिनियम (वर्कमैन्स कम्पैन्सेशन एक्ट) के अधीन मामले पर शीघ्रता से विचार किया जा रहा है जिससे राहत शीघ्र से शीघ्र दी जा सके। सभा को यह पता है कि स्वयं प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री राहत कोष से हजारों रुपये राहत के लिए दिये थे।

Shiv Sukhdeo Prasad Verma : I asked whether any relief was given to them or not. It has not been answered. Many people have died in the accident and the Commission of Enquiry will take years to submit its report. I would like to know whether the dependents of the deceased will go on staring till the submission of the report. My specifie Question is whether interim relief has been given to them or not.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं आपको पूर्व ब्यौरा देता हूं। कोयला खान कल्याण आयुक्त धनबाद ने प्रत्येक परिवार के लिए 150 रुपये की राशि स्वीकृत की है। आयरन एण्ड स्टील कम्पनी कोयला खान के मालिक ने दुर्घटना में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 500 रुपये की राशि अनुग्रह स्वरूप दी है। कोयला मजदुर संघ (इंटक) ने प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 100 रुपये की राशि दी है। प्रधान मंत्री के कोष से प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। इंडियन आयरन एण्ड स्टील के संरक्षक के पास अपेक्षित राशि रख दी गई है साथ ही ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारी श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र ही मुआवजा प्राप्त कर सकें।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Sir, I want to submit that all the amounts enumerated above have not so far been given to workmen's families. Instead they are only on papers. I want that all this amount should reach the affected persons soon.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जांच आयोग इस स्थिति में नहीं है कि वह शीघ्र रिपोर्ट दे सके। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या विभागीय जांच से यह पता चलता है कि वायु संचारक पंखा (वेंटीलेटर फैन) लगातार दस घंटे तक बन्द रखा गया जिसके परिणाम स्वरूप वहां विस्फोटक गैस इकट्ठी हो गई।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि खान सुरक्षा महानिदेशक निदेशालय द्वारा की गई जांच से पता चला था कि आग पकड़ने वाली गैस के विस्फोट से दुर्घटना हुई थी। इस बात की जांच की जा रहीं है कि आग लगने की दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। चूंकि जांच की जा रही है, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता।

बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों से लोहे तथा इस्पात के अधिक दाम लेना

*795 **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगों को सप्लाई किये जाने वाले लोहे.तथा इस्पात के माल की दर बड़े उद्योगों से ली जाने वाली दरों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे उद्योगों को दिये जाने वाले माल की दरों को घटा कर उन्हें बड़े उद्योगों से ली जाने वाली दरों के बराबर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : लघु उद्योगों को सप्लाई किए गए लोहे तथा इस्पात की केवल उन्हीं श्रेणियों के मूल्य अधिक हैं जिनकी सप्लाई इस्पात कारखानों से राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से की जाती है। चूंकि इस्पात कारखानों से इस्पात पूरे डिब्बों में सप्लाई किया जाता है और रेलगाड़ियों में बड़ी किस्म के नए डिब्बों के आ जाने से न्यूनतम वैगन भार में वृद्धि हो गई है इसलिए लघु उद्योग क्षेत्र की सभी पार्टियां एक ही समय में माल का पूरा डिब्बा नहीं ले सकती।

सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि इन कारणों से लघु उद्योग निगमों की मार्फत माल लेने वाली इकाइयों को माल लगभग उसी मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए जिस पर सीधी सप्लाई वालों को प्राप्त होता है। इस निर्णय को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के बारे में बिचार किया जा रहा है और इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि जो प्रति तिमाही हजार टन माल लेते हैं उन्हें 80 रुपये प्रति टन कम देना पड़ता है जबकि पांच या दस टन माल प्रति तिमाही खरीदने वालों को अधिक मूल्य देना पड़ता है। क्या यह समाजवादी समाज के अनुरूप है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : जैसा कि उत्तर से पता चलता है, सरकार ने वही स्थिति स्वीकार कर ली है जिस पर माननीय सदस्य काफी समय से बल देते चले आ रहे थे। बात यह है कि राज्य लघु उद्योग निगम के माध्यम से आने के बावजूद लघु उद्योगों को इस्पात उसी मूल्य पर मिलना चाहिए जितने मूल्य पर वह सीधे उपभोक्ताओं को मिलता है। इसके लिए नियुक्त किये गये दल ने यह सिफारिश की थी कि राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा जो अतिरिक्त परिवहन भाड़ा आदि लिया जाता है वह सभी के लिए इस्पात के मूल्य पर विभक्त कर दिया जाये ताकि लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों से इस्पात का एक ही मूल्य लिया जाये। शायद यह व्यवस्था माननीय सदस्य को पसन्द आयेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फिजी में रह रहे भारतीयों को निष्कासन की धमकी

***783. श्री वरके जार्ज :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि फिजी में रह रहे भारतीयों को उसी प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं जैसी उगांडा में एशियाई लोगों को दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) फिजी में भारत मूल के लोगों को इस प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। फिजी के प्रधान मंत्री महामान्य राटू सर कामसे से मारा ने फिजी समाज में बहुजातीयपन को स्वीकार करने की नीति का सदा पालन किया है और आलोचकों द्वारा इस नीति के विपरीत किए गए संकेतों की सार्वजनिक रूप से निन्दा की है। फिजी में भारत मूल के प्रमुख नेताओं ने भी इस प्रकार की किसी धमकी के दिये जाने की बात को अस्वीकार किया है। फिजी का प्रबुद्ध नेतृत्व और वहां के सद्भावपूर्ण जातीय सम्बन्ध सुविदित हैं और सभी जगह उनका सम्मान किया जाता है।

Purchase and distribution of relief supplies for Bangladesh refugees

*788. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total value of the medicines, blankets, woollen clothes and cotton clothes purchased by Government for the displaced persons from Bangladesh;

(b) the dates, the names of the parties and the names of the agencies through which these items were purchased and the amount of handling charges paid in respect of each of these items ; and

(c) whether the attention of Government has been drawn to the complaints regarding the distribution of these articles among the displaced persons?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The total value of medicines and medical equipments purchased by the Government of India through the Medical Stores organisations works out to Rs. 2,40,84,129. No blankets were purchased by the Governments as they were received as free gifts from various donors. Separate figures of expenditure incurred on the purchase of woollen clothes and cotton clothes for Bangladesh refugees are not readily available. The required information will be laid on the Table of the Sabha, as soon as it is ready.

(b) The purchases were made by the various Departments of the Government of India and State Governments and other agencies from various sources. The information regarding the dates, the names of the parties and agencies through which these items were purchased and the amount of handling charges if any, paid in respect of each of these items, is not readily available. The information is being collected.

(c) Certain allegations that some relief goods found their way into the market were looked into.

Medical Facilities provided for Pak P.O.Ws in Indian Camps

*790. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the nature of the medical facilities provided for P.O.Ws. in Indian camps of prisoners of war ;

(b) the number of hospitals and dispensaries provided in each such camp for prisoners of war; and

(c) the numbers of prisoners of war died due to illness uptill now?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Medical facilities for POWs are as follows:—

(i) Out-door treatment in Medical Inspection Rooms and in Detention Wards in each Camps.

(ii) Hospitalisation in POW Camp Hospitals.

(iii) Specialised treatment in Military Hospitals.

(b) There are 48 M.I. Rooms and Detention Wards, one in each Camp. There is a special M.I. Room and a Ward consisting of 50 beds for families of POWs at Allahabad. In addition, there are 4 POW Camp Hospitals at Agra, Allahabad, Ranchi and Ramgarh.

(c) The number of POWs who have died due to illness so far is 47.

विदेशों में स्थित भारतीयों के बारे में चर्चा

*792. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में आयोजित विदेशों में स्थित भारतीयों के बारे में परिचर्चा की ओर दिलाया गया है (जिसका समाचार 18 मार्च, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था);

(ख) क्या सरकार ने परिचर्चा की कार्यवाही पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विदेशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को हमने हमेशा यही परामर्श दिया है कि वे जहां जिस देश में रहते हैं वहां के लोगों के साथ और उन देशों के हितों के साथ तादात्म्य स्थापित करें और उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक प्रगति में योगदान करें।

युगांडा में घटित हाल की दुःखपूर्ण घटनाओं का पड़ोसी देशों में बसे भारतीयों तथा विदेशी समुदायों को कुछ हद तक विचलित कर दिया है जो बड़ा स्वभाविक है। युगांडा सरकार ने इस तरह भारी संख्या में जो निष्कासन आदेश दिए हैं उनके जातिगत एवं अमानुषिक स्वरूप के विरूद्ध अनेक अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाए गए रुख को सरकार सराहना और आदर करती है। यद्यपि कुछ अन्य देशों में भी ऐसे मामले हुए हैं जहां अनागरिकों के व्यापार सम्बन्धी लाइसेंस और कार्य-परमिट रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं कि वहां भारतवासी मात्र के विरूद्ध शत्रुता या दुर्भावना का भाव है।

अनेक अफ्रीकी देशों के नेताओं के इन आश्वासनों में सरकार को विश्वास है कि ऐसे अनागरिकों को जो व्यापारिक लाइसेंसों के उत्तरोत्तर वापस लिए जाने तथा कार्य-परमिट रद्द किए जाने के फल-स्वरूप अफ्रीकी देश छोड़ने के इच्छुक हैं व्यवस्थित ढंग से बाहर जाने दिया जाएगा तथा उन्हें अन्यत्र नए ढंग से जीवन आरम्भ करने के लिए अपनी बचत एवं सम्पत्ति अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

आयातित अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि

*794. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में अलौह धातुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि और 1-3-1973 से प्रभावी आय व्ययक आरोपों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि की गई है।

हिन्दुस्तान स्टील तथा मैसूर स्टील द्वारा मिश्रधातु तथा औजारी इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करना

*796. **श्री डी० के० प्रंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील तथा मैसूर स्टील ने 1 मार्च, 1973 से मिश्रधातु तथा औजारी इस्पात के मूल्यों में 1,000 रुपये प्रति टन की वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 1-3-1973 से उत्पादन शुल्क तथा अतिरिक्त कर में की गई वृद्धि के कारण अपने मूल्यों में लगभग 130 रुपये से लेकर 170 रुपए प्रति टन तक की वृद्धि की है। मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने लागत पर प्रभाव डालने वाले कुछ अन्य कारणों से मूल्य में 105 रुपए से 420 रुपए प्रति टन तक की वृद्धि की है। केवल बेदाग इस्पात के मामले में मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने लगभग 1000 रुपए प्रति टन की वृद्धि की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Languages for imparting training to Indian Armed Forced

*797. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the Indian languages used for imparting training to Indian Armed Forces;

(b) whether the Jawans of the Armed forces are still imparted training through English and the extent of knowledge of English to be possessed by the Jawans compulsorily in this regard; and

(c) whether any publication is brought by the Defence Department giving detailed information in regard to armed forces?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Hindi is the main Indian language used for imparting training to Indian Armed Forces. In addition, other Indian languages like Punjabi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam are also made use by the respective Regimental units for training purposes.

(b) Training through English is imparted to Jawans only in those technical trades where for functional purposes it is necessary to do so. Proficiency in English required ranges from ability to speak and write in simple English to matriculation depending upon the requirement of the trades.

(c) Reference is invited to book on Service Conditions 1973, circulated along with the Annual Report of the Ministry of Defence for 1972-73.

Action against Escaping POWs of Pakistan from Camps

*798. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of POWs involved in digging tunnels and cases of conspiracy against whom action has been taken ; and

(b) the particulars thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b) 159 Prisoners of War which include 111 officers 4 JCOs and 44 Other Ranks, were involved in digging tunnels, against whom disciplinary action has been taken as envisaged under the Geneva Convention.

चीनी प्रशिक्षकों द्वारा पाकिस्तानियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण

*799. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 300 चीनी प्रशिक्षक पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में लगभग 40,000 पाकिस्तानियों को गुरिल्ला युद्ध और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं और जम्मू काश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ पाकिस्तानियों द्वारा जोर-शोर से युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार देखें हैं। तथापि, सरकार के पास ऐसी कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है कि पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में चीनी इन्स्ट्रक्टर पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध तथा विनाशक गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जम्मू व कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा के साथ-साथ रक्षा कार्यों में प्रगति जैसी केवल सामान्य सैनिक गतिविधि देखी गई है।

(ग) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैनिक गतिविधियों पर सरकार कड़ी नजर रखे हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

*800. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1973 के कलकत्ता से प्रकाशित "स्टेट्समैन" के पृष्ट पांच पर "संस आफ दि सायल होल्ड फ्यूयर जाब्स इन दि स्टेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी आंकड़े उक्त रिपोर्ट से मेल खाते हैं; और

(ग) उक्त समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ग) सरकार के पास समाचार-पत्र की रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी नहीं है। समाचार-पत्र में उल्लिखित अध्ययन की प्रति अभी पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त होनी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के मूल राज्य के अनुसार आंकड़े एकत्र नहीं करती हैं।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की ओर से संयुक्त क्षेत्र बनाने के संबंध में प्रस्ताव

7536. श्री धर्मराव अफ्जलपुरकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी की ओर से संयुक्त क्षेत्र बनाने के संबंध में कोई कदम उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का वर्तमान कम्पनी को संयुक्त क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैलाडिला में गुटके बनाने के संयंत्र की स्थापना

7537. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना में लौह अयस्क कण बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गए हैं जिनको इस समय किसी प्रकार, प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इन लौह अयस्क कणों पर आधारित कोई गुटके उत्पादन संयंत्र बैलाडिला में लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में हैं और यह संयंत्र कब तक लगा दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा गठित किया गया कार्यकारी दल इस समय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ द्वारा श्रम जीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड की मांग

7538. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1973 को पटना में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपने 16वें सम्मेलन में अन्य बातों के साथ समाचार पत्र उद्योग की कार्य की दशा तथा वर्तमान वेतन स्तरों का पूरी तरह पुनरीक्षण करने के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग की है;

(ख) उक्त सम्मेलन में और किन किन बातों पर विचार किया गया तथा क्या क्या मांगें की गयीं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या निर्णय लिए गए हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी): (क) से (ग) पटना में हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के 16वें वार्षिक सम्मेलन में पास किए गये प्रस्ताव अन्य बातों के साथ-साथ श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना करने, मजूरी बोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक श्रमजीवी पत्रकारों के सभी वर्गों को अंतरिम सहायता के भुगतान, अखबारी स्वामित्व के वितरण आदि से संबंधित थे। सरकार ने इन प्रस्तावों को नोट कर लिया है।

Presence of Copper, Lead and other Minerals in Narmada Valley

7539. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are positive hopes of copper, lead and other important minerals being found in Narmada Valley;

(b) whether Government of Madhya Pradesh have also conveyed this information to the Central Government and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) Reported occurrences and surface manifestation of copper, lead mineralisation from certain localities in the Narmada Valley are available in geological literature. On the basis of known geological evidence, selected areas falling in the Hoshangabad, Siddi and Saleemnabad districts of the Narmada-Valley were recently covered by multi-instrument airborne geophysical surveys in collaboration with BRGM/CGG, France. The results of these surveys are being assessed.

विदेश मंत्रालय के ग्रंथालय के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या

7540. **श्री ए० एस० कसतूरे**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1972 को विदेश मंत्रालय के ग्रंथालय के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या थी और वहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोटा आरक्षित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशिष्टि कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय पुस्तकालय में में 31 अक्तूबर 1972 को कार्यरत कर्मचारियों की वर्गानुसार संख्या (इसमें विदेश स्थित भारत के मिशनों में समान पद सम्मिलित हैं) इस प्रकार हैं :—

(1) मुख्य पुस्तकाध्यक्ष (राजपत्रित) . . .	1
(2) भारत का हाई कमीशन लंदन में पुस्तकाध्यक्ष (रिक्त है) (राजपत्रित)	1
(3) पुस्तकाध्यक्ष (अराजपत्रित) .	*6
*(इसमें से दो पद अभी खाली पड़े हैं)	
(4) सहायक पुस्तकाध्यक्ष (अराजपत्रित)	7

इनमें से कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।

(ख) और (ग) 1971 में पुस्तकाध्यक्ष के एक मात्र पद पर संघलोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की गई थी। इस पद को आरक्षित नहीं माना गया था। बहरहाल आरक्षित पदों से सम्बद्ध स्थायी अनुदेशों के अनुसार भविष्य में आरक्षित पद बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

विदेशों में बने हवाई जहाजों के फालतू पुर्जे खरीदने के लिये व्यय की गयी राशि

7541. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में बने हवाई जहाजों के लिये फालतू पुर्जे खरीदने अथवा उन्ही देशों में उनकी सर्विस कराने पर जहां ये हवाई जहाज बने थे भारत कितनी राशि व्यय करता है; और

(ख) क्या इस बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं और क्या विदेशी कम्पनियों के साथ उचित प्रबन्ध करके इस प्रकार की वस्तुओं के देश में ही बनाने के प्रयत्न किये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1971-72 के दौरान भारतीय वायुसेना के वायुयानों के लिए विदेशों से कुल 1929.15 लाख रुपये के फालतू पुर्जे खरीदे गए तथा 1971-72 के दौरान भारतीय वायुसेना के वायुयानों तथा इंजनों की सर्विसिंग पर 610.39 लाख रुपये कुल व्यय किए गए थे।

(ख) भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश वायुयान अब हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। अधिकतम सम्भव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, उन मदों का देश में ही निर्माण करने के लिए आत्यांतिक प्रयत्न किया जा रहा है जो इस समय भारतीय वायुसेना और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा आयात करने होते हैं। वायुयान संबंधी वस्तुओं और स्टोर के स्वदेशीकरण के संबंध में जहां कुछ सफलता प्राप्त हुई है, और कुछ उपाय अपनाए गए हैं जिससे आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, यह एक विस्तृत और जटिल क्षेत्र है जिसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता है।

रायपुर-भिलाई रोड पर मैसर्स शिव भगवान गोयनका द्वारा छोटे इस्पात कारखाने की स्थापना

7542. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार रायपुर-भिलाई रोड पर मैसर्स शिव भगवान गोयनका द्वारा इस्पात का छोटा कारखाना स्थापित करने के पक्ष में थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संस्थान के लिए कौन सी अन्य योजनायें चुनी गयी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) संभवतः मानवीय सदस्य का अभिप्रायः मसर्स शंकर इस्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को प्रतिवर्ष 50,000 टन साधारण इस्पात, कार्बन इस्पात तथा स्प्रिंग बिलेट के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में एक विद्युत भट्टी एवं निरन्तर ढलाई ईकाई स्थापित करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्र से है। उपर्युक्त आशय-पत्र को कार्यान्वित करने के लिए 28-9-1972 को मैसर्स एलाइड स्टीलस लिमिटेड नाम से एक अभ्यर्थी कंपनी निगमित की गई है। नई कंपनी में श्री शिव भगवान गोयंका को एक अंशधारी के रूप में दिखाया गया है। सरकार ने कारखाने के लिए स्थल का अनुमोदन राज्य सरकार की विशिष्टि सिफारिश पर किया था। मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में इस प्रकार के किसी अन्य कारखाने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

युगोस्लाविया में भारतीय दूतावास भवन के वार्षिक किराये तथा रख-रखाव संबंधी व्यय

7543. श्री हुक्म चन्द्र कछवाय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगोस्लाविया स्थित भारतीय राजदूत के निवास-स्थान तथा दूतावास भवन का वार्षिक किराया क्या है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान इन भवनों के रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राजदूत के रिहायशी मकान का सालाना किराया 75,850.20 रुपये है और राजदूतावास भवन का वार्षिक किराया 39,429.60 रुपये है।

(ख) 1970-71 और 1971-72 वित्तीय वर्षों में इन मकानों की देखभाल पर किया गया खर्च इस प्रकार है :

	1970-71	1971-72
राजदूत निवास	6,800 रु०	5,700 रु०
राजदूतावास भवन	14,400 रु.	8,600 रु०

दण्डकारण्य परियोजना के अमरकोट अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति

7544. श्री आर० वी० बड़े : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के अमरकोट अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति स्वीकृत संख्या के अनुसार नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक और डाक्टरों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अमरकोट अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति स्वीकृत संख्या के अनुसार कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हड़तालों पर रोक तथा मजूरी स्थिरीकरण

7545. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़तालों पर रोक लगाने तथा मजूरी के स्थिरीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या निर्णय लिए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) मजदूरी के स्थिरीकरण और हड़तालों के निषेध के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए हाल में केन्द्र और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी।

पोलैंड का सहयोग

7546. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई का मजगांव गोदी में पोलैण्ड ने सहयोग की कोई पेशकश की है; और

(ख) यदि हां तो पोलैण्ड किन क्षेत्रों में भारत से सहयोग करने को तैयार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई को पोलैण्ड के प्राधिकारियों से सहयोग के लिए औपचारिक पेशकश प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सामुद्रीय मात्स्यिकी में सहकारिता के लिए भारत सरकार द्वारा पोलैण्ड की सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में माही-गिरी ट्रालरस के निर्माण में तकनीकी सहायता, की व्यवस्था भी है और ड्राइन्गस की पूर्ति विनिर्देशन तथा अन्य तकनीकी प्रलेख तथा सलाह, और माहीगिरी ट्रालरस के निर्माण के लिए आवश्यक उपस्कर की पूर्ति और ऐसे उपस्कर के निर्माण में तकनीकी सहायता भी सम्मिलित है। इन बातों के बारे में पोलैण्ड तथा भारत के बीच आपस में मान्य तथा चयन किए गए क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तृत ब्यौरों को अभी तैयार किया जाना है।

उकरेनियन नगर में भारत संबंधी फोटो चित्रों की प्रदर्शनी

7547. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 1973 को जापौर लजये के उकरेनियन टापू में भारत संबंधी फोटो चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। यह प्रदर्शनी 13 से 24 मार्च, 1973 तक हुई थी।

(ख) भारत की स्वतन्त्रता की 25वीं जयंती मनाने के लिए विदेशों से सांस्कृतिक संबंध के लिए उक्रेशियाई समिति ने यह प्रदर्शनी आयोजित की थी। फोटो भारत के प्रधान कोंसलावास, ओडीसा ने सप्लाई किये थे।

उक्रेनियाई समिति उक्रेन के प्रमुख शहरों में ऐसी प्रदर्शनियां करना चाहती है और जापोरलीज्ये में हुई यह प्रदर्शनी भी उसी क्रम में है। इससे पूर्व कीव में 25 जनवरी, 1973 को ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था।

रांची में कोयला खान मशीनरी का पकड़ा जाना

7548. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में पुलिस ने अकोकर कोयला खानों के सरकारीकरण की रात को तीन ट्रक, एक जीप और एक कार पकड़ी थी जिनमें कोयला खानों की बहुमूल्य मशीनें तथा उपकरण थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना से यह पता नहीं चलता कि इन कोयला खानों के कुछ मालिकों को उनके सरकारीकरण की पूर्व सूचना मिल गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की सूचना देने वालों का पता लगा कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान मशीनरी की अन्तर्विष्ट करने वाली कुछेक गाड़ियां कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण की रात्रि को नहीं अपितु पश्चातवर्ती रात्रियों को रांची के समीपवर्ती क्षेत्रों में अभिग्रहीत की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

हिमाचल प्रदेश में समदो-काजा सड़क का निर्माण

7549. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में समदो-काजा सड़क का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) ऐसी आशा है कि सड़क 1977 तक सब प्रकार से पूरी हो जाएगी। तथापि, लगभग दो वर्ष में सीमित रूप से इसके मोटर गाड़ी यातायात के लिए उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के कल्याण कार्यों में रत एजेन्सियां और संगटन

7550. **श्री लालजी भाई :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न भागों में युद्ध में शहीद हुए सनिकों की विधवाओं के कल्याण कार्यों में कितनी एजेंसियां और संगठनरत हैं;

(ख) सरकार उक्त एजेंसियों अथवा संगठनों को किस प्रकार की सहायता दे रही है; और

(ग) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं अथवा युद्ध पीड़ितों के कल्याण के संबंध में सम्पूर्ण देश में 1971-72 में कितना व्यय किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 1971 संक्रियाओं के युद्ध संतप्त परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भारत सरकार के अन्य विभागों और राज्य सरकारों के साथ सहयोग में रक्षा मंत्रालय की है। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि किन्हीं अन्य एजेन्सियों ने कोई योजनाएं चलाई हैं और ऐसी एजेन्सियों को सरकारी सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं उठा है।

(ग) विधवाओं तथा विकलांगों के पुनर्वास के लिए मुख्य योजना उदार पेंशन है। इस योजना के अधीन मृत जूनियर कमीशंड अफसरों और अन्य रैंकों के उत्तराधिकारी आजीवन मासिक पेंशन पा रहे हैं जो मृत व्यक्ति द्वारा लिए गये अन्तिम वेतन के बराबर है। अफसरों की विधवाएं सेवानिवृत्ति की सम्भावित तारीख तक वेतन का तीन-चौथायी पेंशन पाएंगी और उसके पश्चात् सामान्य पेंशन पाएंगी जो मृत्यु के समय धारित पद के लिए अफसर को मिलता। इसी प्रकार से विकलांगों के लिए भी उदार दर पर पेंशन उपलब्ध है। इस पर अथवा पुनर्वास के अन्य उपायों पर वास्तविक खर्च बताना सम्भव नहीं है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा कानपुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना

7551. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कानपुर में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा डायरेक्टर जनरल आफ आर्डिनेंस फैक्टरीज में कलकत्ता के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं और संयंत्र के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) जी हां, श्रीमन्। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो तथा आयुध कारखानों के महानिदेशक के बीच दिसम्बर 1972 में एक परामर्श करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) करार की मुख्य बातें निम्नांकित हैं :—

(1) परियोजना के लिए आवश्यक संयंत्र तथा मशीनरी और उपस्करों के लिए परामर्शदाता निविदा विनिर्दिष्ट तैयार करेगा। वे प्राप्त हुए टेंडरों का अध्ययन तथा जांच करेंगे और ग्राहक को आर्डर देने के लिए सिफारिश करेंगे।

(2) परामर्शदाता, वस्तुओं की मात्रा, सामान्य प्रबन्ध ड्राइंग, सभी सिविल इंजीनियरी निर्माण जिसमें फाउंडेशन भी सम्मिलित हैं, संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने के लिए और सारे संयंत्र की सेवाओं तथा उपयोगताओं के लिए बिल तैयार करेंगे। वे उन सम्भावित निविदा-कर्ताओं को सलाह देंगे जिन्हें सिविल निर्माण और सर्विसिस के लिए टेंडर इन्क्वारीज जारी की जा सकती हैं।

(3) परामर्शदाता सभी इमारती भवनों के लिए विनिर्देशन तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वे संरचनात्मक स्टील निर्माण के लिए सभी सिविल इंजीनियरी निर्माण तथा विस्तृत डिजाइन ड्राइंग भी देंगे।

(4) परामर्शदाता सभी संयंत्र तथा मशीनरी के लिए और परियोजना की क्रियान्विती की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(5) सभी निर्माण कार्यों तथा सेवाओं के लिए परामर्शदाताओं को देय शुल्क 213 लाख रुपए होगा, जिसे निश्चित राशि समझा जाएगा और इसमें कोई वृद्धि नहीं हो सकेगी। संयंत्र के लगभग पांच वर्षों में चालू हो जाने की सम्भावना है।

भारत-पाक युद्ध के बाद खेमकरण सेक्टर में पुनः बसाये गये लोग

7552. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद खेमकरण सेक्टर में पुनः बसाये गये लोगों की संख्या क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पट्टी सब-डिवीजन के खेमकरण क्षेत्र में 6,623 व्यक्तियों को पुनः बसा दिया गया है। निम्न-लिखित मदों के सम्बन्ध में इन व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता दी गई है :—

	लाख रुपए
(i) फसल की हानि/क्षति के लिए अनुग्रहपूर्वक सहायता	73.59
(ii) नकद अनुदान	49.44
(iii) तदर्थ पुनर्व्यस्थापन अनुदान .	18.27
(iv) भवनों की क्षति	6.47
(v) पशुओं की हानि	2.62
(vi) चारा अनुदान	22.33
(vii) कम्बल अनुदान	00.18
(viii) बर्तन अनुदान	00.05
(ix) अनुग्रह पूर्वक अनुदान	00.71
योग	173.66

बंगलादेश का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश

7553. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पाने का समर्थन किया है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो इसके प्रवेश का विरोध करते आये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाता है। अगस्त, 1972 में सुरक्षा परिषद ने सदस्यता के लिए बंगलादेश के आवेदन पत्र पर विचार किया। बंगला देश को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करते हुए भारत यूगोस्लाविया और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने जो प्रस्ताव रखा था वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किए जाने के कारण पराजित हो गया। गिनी, सोमालिया और सूडान ने मतदान में भाग नहीं लिया। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सुरक्षा परिषद के 1972 में सदस्य राष्ट्रों की सूची दी जा रही है।

बंगलादेश की सदस्यता के प्रश्न पर गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार किया गया था। दो प्रस्ताव स्वीकार किए गए जिसमें से एक में बंगलादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने की मांग की गई थी। चूंकि इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराया गया अतः ठीक ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश के प्रवेश का विरोध करने वाले थे। परन्तु तथ्य यह है कि बंगलादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के लिए सामान्य सहमति थी क्योंकि उस समय (नवम्बर 1972) तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का बहुत बड़ा वर्ग बंगला देश को मान्यता दे चुका था।

विवरण

1972 में सुरक्षा परिषद् के सदस्य

1. अर्जेन्टाइना
2. बेल्जियम
3. चीन
4. फ्रांस
5. गिनी
6. भारत
7. इटली
8. जापान
9. पनामा
10. सोमालिया
11. सूडान

12. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ

13. ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड का संयुक्त राज्य.

14. संयुक्त राज्य अमरीका

15. युगोस्लाविया

हिन्दी कवि सम्मेलन

7554. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कवियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हिन्दी कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया था;

(ख) कवि सम्मेलन के लिए कितनी राशि के टिकट बिके; और

(ग) इस अवसर के लिये कितनी संख्या में और कितने मूल्य के टिकट जारी किये गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कवियों के नामों की एक सूची संलग्न है।

(ख) 11,863 रुपए।

(ग) 10 रु० वाले 431 टिकट

5 रु० वाले 840 टिकट

3 रु० वाले 921 टिकट

2 रु० वाले 295 टिकट

विवरण

*1	श्री रामधारी सिंह दिनकर	पटना (बिहार)
2.	डा० रामकुमार वर्मा	प्रयाग (यू० पी०)
3.	श्री सोहन लाल द्विवेदी	नई दिल्ली
*4.	श्री भवानी प्रसाद मिश्र	नई दिल्ली
5.	श्री इन्द्रजीत सिंह तुलसी	नई दिल्ली
6.	श्री कुलदीप	आगरा (यू० पी०)
7.	श्री गोपाल कृष्ण कौल	गाजियाबाद (यू० पी०)
*8.	श्री वेकल उत्साही	गोंडा (यू० पी०)
9.	श्री सोम ठाकुर	आगरा (यू० पी०)
*10.	श्री पारस ब्रह्मचर	बाहराइच (यू० पी०)
11.	श्री रामानाथ अवस्थी	नई दिल्ली
12.	श्री आत्म प्रकाश शुक्ल	एटा (यू० पी०)

*कवि-सम्मेलन में भाग नहीं लिया ।

13. श्री सत्य प्रकाश प्रेखर	नई दिल्ली
14. श्रीमती ईन्दूमती कोशिक	दिल्ली
15. श्री वशीह अहमद मैयुख	कोटा (राज०)
16. श्री शंतोसानन्द	नई दिल्ली
17. श्री देवराज दिनेश	नई दिल्ली
18. श्री राम कुमार चर्तुवेदी चंचल	जावरा (मध्य प्रदेश)
19, श्री उदय प्रताप सिंह	करनल (यू० पी०)
20. श्री राम अवतार चोंहान शशि	भेनपूरी (यू० पी०)
21. श्री नरेन्द्र मिश्र	चित्तौड़गढ़ (राज०)
22. श्री तारा प्रकाश जोशी	जयपुर (राज०)
23. गजानन्द वर्मा	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)
24. श्री गोबिन्द व्यास	दिल्ली
25. श्री मणिक वर्मा	हारदा (मध्य प्रदेश)
26. श्री शैल चतुर्वेदी	आगरा (यू० पी०)
27. श्री मधु पांडे	नागपुर (महाराष्ट्र)
28. श्री ओम प्रकाश आदित्य	नई दिल्ली
29. श्री रमेद्र त्रिपाठी	लखनऊ (यू० पी०)
30. श्री हुलहद मुरादाबादी	मुरादाबाद (यू० पी०)
31. श्री राधे श्याम परगलब	मथुरा (यू० पी०)
32. श्री सौद फैजाबादी	आजमगढ़ (यू० पी०)

Comprehensive Plans of Iran to enter Indian Ocean

7555. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri P. Narasimha Reddy :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Hindustan' dated the 19th December, 1972 wherein comprehensive plans of Iran to enter the Indian Ocean have been reported;

(b) Whether the Shah of Iran has announced to seek aid from all the foreign countries for 10 years to strengthen his naval force ; and

(c) if so the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) such an article appeared in the 'Hindustan' dated 20th December, 1972.

(b) Government of India is not aware of any such statement. However, His Imperial Majesty the Shah of Iran has been quoted in the press as saying "Iran is becoming an Indian Ocean power. In 10 years' time we are going to be right in it."

(c) Government's view that the Indian Ocean area should be an area of peace, free from Great Power naval presence, rivalries and tensions, is well known. India subscribed to the Lusaka Declaration of September, 1970, and was one of the co-sponsors of the U.N. General Assembly Resolution No. 2832 (XXVI) of December 16, 1971, calling upon all States to maintain the Indian Ocean area as a zone of peace and also of U.N.General Assembly Resolution No. 2992 (XXVII) of December 15, 1972, in terms of which an *ad hoc* Committee of 15 Nations has been appointed to study the implications of the Resolution. Iran supported both Resolutions and along with India is a member of the *ad hoc* Committee.

बंगला देश के स्वाधीनता सेनानियों की भारत में कथित नजरबन्दी

7556. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बंगला देश के दैनिक "इत्तेफाक" (28 दिसम्बर 1972) में बंगला देश के अनेक स्वाधीनता सेनानियों की भारत में कथित नजरबन्दी के बारे में छपी सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ऐसे निरुद्ध व्यक्तियों या विचाराधीन बन्दियों को, यदि कोई हों तो, अन्तर्राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार बंगलादेश निर्वासित कर दिया गया है या किया जा रहा है; और

(ग) क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत और बंगलादेश के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों में इस प्रकरण में किसी उपेक्षा के कारण कोई अन्तर न आए या वे खराब न हों ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के अधिकांश बंदियों को पहले ही बंगला देश प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। बाकी कुछ का प्रत्यावर्तन किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

भारत से बाहर स्वर्गवासी हुए स्वतंत्रता सेनानियों के अवशेषों को भारत लाने का प्रस्ताव

7557. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बाहर मरे स्वतंत्रता सेनानियों के अवशेषों को लाने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत से बाहर मरे इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत से बाहर शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की ठीक-ठीक संख्या बताना संम्भव नहीं है।

उर्वरकों का आयात

7558. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने टेंडर तथा वार्ता द्वारा प्रत्येक देश से वर्षवार 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का आयात किया ;

(ख) इसी अवधि में उर्वरकों का आयात किस दर पर किया गया ; और

(ग) क्या माल भारतीय अथवा विदेशी जहाजों में लाया गया तथा दिये गये भाड़े में कितनी विदेशी मुद्रा लगी ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) विवरण 'क' संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4841/73]**

(ग) : (1) पोत पर्यन्त निःशुल्क ठेकों से संबद्ध जहाजी लदान तथा भाड़े आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण 'ख' में दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4841/73]**

(2) लागत तथा भाड़े वाले ठेकों में जहाजों का प्रबन्ध पूर्ति कर्ताओं द्वारा किया जाता है तथा भाड़ा प्रभार अलग से नहीं दिया जाता क्योंकि वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य में सम्मिलित होता है।

(3) कुछ लागत तथा भाड़े वाले ऐसे ठेके भी हैं जिनमें कल्पित भाड़े दिए होते हैं। ऐसे मामलों में यद्यपि वे लागत तथा भाड़े वाले ठेके होते हैं, भाड़े का भुगतान वास्तविक आंकड़ों पर ही किया जाता है। इन मामलों में भुगतान किए गऐ भाड़े से संबद्ध जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

इस्पात के आवंटन के लिए मैसूर राज्य का अनुरोध

7559. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने केन्द्र से प्रति तिमाही 15,000 टन इस्पात का आवंटन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं, वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। मुख्य उत्पादकों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात के अन्ततः उपयोग उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में मोटरगाड़ी तथा संबंध सहायक उद्योग विकास परिषद् की बैठक

7560. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में मोटरगाड़ी तथा सम्बद्ध सहायक उद्योग विकास परिषद् की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और चर्चा का क्या निष्कर्ष रहा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) जी, हां ।

(ख) परिषद् ने देश के विभिन्न राज्यों में बिजली में अत्याधिक कटौती पर चिन्ता व्यक्त की और विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि मोटरगाड़ी, ढलाई पर जैसा उद्योग को लगातार अधिक परिमाण में बिजली दी जानी चाहिए ।

इस विषय पर भारी उद्योग मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के साथ बात की थी, जिसने मै० इन्नोर फ़ाउंडरी को अप्रैल, 1973 में अब उसकी औसत खपत के 25% से 75% तक बिजली की सप्लाई बढ़ाना स्वीकार कर दिया है ।

परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार 250 कि० वा० से अधिक के डीजल जनरेटर सेंटों का आयात करने के बारे में विचार करें । आयातित जनरेटर सेटों का विषय सरकार के विचाराधीन था और हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें 300 के० वी० ए० से अधिक क्षमता वाले और 1500 के० वी० ए० तक के डीजल जनरेटर सेटों का आयात करने की अनुमति दी गई है ।

विकास परिषद् औद्योगिक बस्तियों के रूप में लघु उद्योग स्थापित करने के सुझाव का स्वागत करती है और परिषद जिन उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती है उनसे इस तरह के विकास को बढ़ावा देने के लिये कहा गया है ।

मोटरगाड़ी उद्योग के लिये इस्पात के बारे में परिषद् की यह इच्छा थी कि इस्पात की काफी परिमाण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विभिन्न श्रेणी के इस्पात का थोड़ी मात्रा में सीधे निर्यात करने पर विचार किया जा सकता है । भारी उद्योग मंत्रालय ने इस संम्बन्ध में मोटरगाड़ी तथा सहायक वस्तु संघ के साथ इस मामले में बातचीत की थी जिससे समस्या किस प्रकार की है और उसके संभावित समाधान ढूंढ निकालने के बारे में अध्ययन किया जा सके ।

परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि मोटरगाड़ी अनुसंधान संघ को चाहिए कि वह अनुसंधान तथा परीक्षण केन्द्रों को सुविधाएं प्रदान करे ।

भारत एलुमिनियम कंपनी में सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो की सलाहकार के रूप में नियुक्ति

7561. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नबाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्योरो को इस्पात उद्योग के बाहर पहला काम मिल गया है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की भारत एलुमिनियम कम्पनी ने उक्त ब्युरो को अपने कोर्बा स्थित संयंत्र के लिए प्रमुख भारतीय सलाहकार नियुक्त किया है ;

(ग) क्या उक्त ब्योरो और भारत एलुमिनियम कम्पनी के बीच कोई करार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी शर्त क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) सन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्योरो ने पहले भी इस्पात उद्योग के बाहर कार्य किए है लेकिन कोरबा एलूमिनियम परियोजना की विस्तृत इंजीनियरी के लिए, प्रमुख भारतीय परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति, एलूमिनियम उद्योग में प्रथम प्रधान कार्य है ।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) करार की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :--

मैसर्स सैन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्युरो, कोरबा प्रबन्धक और गढ़ाई संकुल के सिविल संरचनात्मक विद्युतकीय और यांत्रिकीय कार्यों इत्यादि के डिजाइन तैयार करने के लिए भारत एलूमिनियम कम्पनी के प्रमुख भारतीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा और रूसियों के साथ कार्य समन्वित करेगा । अन्य बातों के साथ, उनकी सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी सम्मिलित होंगे :-

(i) विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राइंगै और प्रलेखन तैयार करना ;

(ii) संयंत्र की साधारण रूपरेखा तैयार करना ;

(iii) निविदाएं आमंत्रित करने के लिए तकनीकी विनिर्देशों, ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूचियों इत्यादि तैयार करना ;

(iv) प्राप्त निविदाओं की संवीक्षा

(v) अन्य पार्टियों द्वारा आपूर्तित उपस्करों के ड्राइंग को जोड़ना और उसकी जांच-पड़ताल करना ;

(vi) पुरालेखों का अनुरक्षण ;

(vii) कार्य-स्थल पर्यवेक्षण; और

(viii) प्रधान नियंत्रण तन्त्र तैयार करना ।

(ii) सेन्ट्रल इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो को संदेय शुल्क :

संविदा में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए सैन्ट्रल इंजीनियरिंग डिजायन ब्यौरो को संदेय कुल राशि 228 लाख रुपये होगी । इसके अतिरिक्त कार्य-स्थल पर पर्यवेक्षण के लिए सैन्ट्रल इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो को उनकी वास्तविक लागत और उस पर 20% का संदाय किया जाएगा।

(iii) कार्य-निष्पादन की गारंटी

करार के अधीन, मैसर्स सेन्ट्रल इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो अपने द्वारा तैयार किए गए तकनीकी विनिर्देशों और डिजाइनों में किसी प्रमाणित खराबी, त्रुटी और चुक के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा। वह समस्त विस्तृत इंजीनियरी डिजाइनों, ड्राइंग और दस्तावेजों इत्यादि के समय पर वितरण के लिए भी जिम्मेदार होंगे ।

(iv) यदि प्रमुख भारतीय परामर्शदाता कभी भी अपनी त्रुटी के कारण उसको सौंपे गए कर्त्तव्यों में से किसी की भी उपेक्षा करते हैं अथवा अवज्ञा करते हैं अथवा उसके कार्यकरण हेतु असमर्थता प्रकट करते हैं अथवा असमर्थ है अथवा अन्यथा करार में अंतर्विष्ट किन्हीं उपबन्धों या शर्तों को भंग करते हैं और जिनका उनके द्वारा प्रेक्षण तथा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है तथा जो भारत एलुमिनियम कम्पनी द्वारा उपेक्षा या अभाव के कारण उत्पन्न न हो या उसे आरोग्य न तो ऐसी स्थिति में भारत एलूमिनियम कम्पनी को प्रमुख भारतीय परामर्शदाता को लिखित रूप में तीन मास का नोटिस देने और करार की समाप्ति की तारीख तक बकाया शुल्क का संदाय कर करार समाप्त करने का अधिकार है।

भारी उद्योग के अंतर्गत उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता के विश्लेषण के लिए आंकड़े

7562. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन प्रत्यक उद्योग की अधिव्याप्ति क्षमता के विश्लेषण के लिए आकंड़े एकत्र कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो आँकड़े एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और सरकार के नियंत्रणाधीन उद्योगों के कार्यालय में बढ़ाने में दक्षता में यह किस हद तक सहायक होगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो आँकड़े कब तक एकत्र कर लिए जायेंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ, । भारत हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कृतिक बलों (टास्क पोर्सेज) द्वारा इकट्ठे किए गए कुछ आँकड़ों की समीक्षा करने पर यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सहायता से भारी इंजीनियरी उद्योग जैसे लोहा इस्पात, अलौह धातु, मोटर गाड़ी उद्योग, मशीनी औजार, कोयला लौह-अयस्क और पत्तन विकास के सम्बन्ध में अधिष्ठापित और उपलब्ध क्षमताओं का विस्तृत सर्वेक्षण और विश्लेषण प्रारंभ किया जाये।

(ख) आंकड़े इकट्ठे करने और विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य उत्पादन अन्तर का पता लगाना और भविष्य की पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए देश में भारी औद्योगिक आधार का समेकित विकास करने के लिए कार्यवाही सह-परिणामोन्मुख योजना तैयार करना है। इससे सामान्य रूप से उद्योगों और विशेषरूप से सरकार के नियंत्रणाधीन उद्योगों की कार्य कुशलता सुधारने में बहुत सहायता मिलेगी।

(ग) प्रस्तावित सर्वेक्षण और विश्लेषण के जैसा कि उस समय प्रकल्पित किया गया है दिसम्बर, 1973 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

केरल में टेल्क फैक्टरी द्वारा ट्रांसफार्मरों का निर्माण

7563. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टैल्क फैक्टरी ने ट्रैक्टर बनाने आरंभ कर दिए हैं ;

(ख) क्या यह कारख़ाना जापान के सहयोग से लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां निर्मित पहला ट्रांसफार्मर गुजरात राज्य को दिया जायेगा ; और

(घ) इस ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होगी ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। एक जापानी कम्पनी के साथ।

(ग) प्रथम ट्रांसफार्मर जिसका निर्माण मई, 1966 में किया गया था, केरल राज्य विद्युत बोर्ड को दिया गया था।

(घ) उस ट्रासफार्मर की क्षमता 66/11 के०वी० वोल्टेज के अनुपात में 4000 के० वी० ए० थी।

जोधपुर राजस्थान में ट्रैक्टर निर्माण का कारखाना लगाना

7564. श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर) : क्या **भारी उयोग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोधपुर राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माण कारखाना लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक लग जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

Possibility of Talks between Prime Ministers of India and Bangladesh regarding Problems of P.O.Ws.

7565. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether any talks are likely to be held between the Prime Ministers of Bangladesh and India in the near future to discuss particularly the problems of Pak Prisoners of War; and

(b) whether a joint meeting of the representatives of India, Bangladesh and Pakistan is contemplated in case Pakistan recognises Bangladesh?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Talks have recently taken place in Dacca and Delhi between reprcsentatives of the two Governments as a result of which a joint Indo-Bangladesh Declaration was made on the 17th April, 1973. The text of the Declaration has been placed on the Table of the House.

(b) In principle, trilateral discussions are necessary for the solution of all outstanding problems involving India, Bangladesh and Pakistan. However, Pakistan has made these impossible by not accepting the sovereign and equal status of Bangladesh.

एच० एम० टी० लेबल वाली घड़ियों की बंबई में बिक्री

7566. श्री रामशेश्वर प्रसाद सिंह :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में एच० एम० टी० लेबल वाली जाली कलाई घड़ियां बिक रहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) इस जांच का परिणाम क्या निकला और भविष्य में जाली घड़ियों की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार को इन रिपोर्टों का पता है कि बम्बई में एच० एम० टी० लेबल वाली जाली कलाई घड़ियां बिक रहीं हैं । इस बात की जांच की जा रही है ।

Scooters Quota for each State

7567. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the quota of scooters given to each State;

(b) the names of the States which have surrendered their quota as a result of non-distribution of their full quota during the last year; and

(c) whether the quota of Andaman Islands has been given to private businessmen ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheswar Prasad): (a) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 4842/73]

(b) Nil.

(c) No, Sir.

इस्लामी सम्मेलन में भारत-विरोधी प्रचार

7568. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1973 के 'संडे ट्रिब्यून' में "एन्टी इण्डिया प्रापेगेंडा एट इस्लामिक कांफ्रेंस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, सरकार ने यह रिपोर्ट देख ली है।

(ख) हमारा यह दृष्टिकोण सभी विदेशी सरकारों को स्पष्ट तौर पर बार-बार बता दिया गया है कि हम पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों को आवश्यकता से एक दिन भी अधिक नहीं रखना चाहते हैं; उनमें वे देश भी शामिल हैं, जिन्होंने 24–26 मार्च, 1973 को बेंगाजी (लिबिया) में आयोजित इस्लामी सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ग) बेंगाजी सम्मेलन के प्रस्ताव हमारे पास औपचारिक रूप से नहीं भेजे गए । लेकिन हमने पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों से सम्बद्ध प्रस्ताव देखा है, जिसकी प्रति संलग्न है। सरकार के ख्याल में, यह प्रस्ताव एक-तरफा, पक्षपातपूर्ण है और इससे स्थिति को सुधारने में कोई सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है। काहिरा स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा टैलेक्स से भेजे गए बेंगाजी सम्मेलन के प्रस्ताव संख्या 5 का मूलपाठ, जिसका शीर्षक है––"भारत में पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों का मामला"––इस प्रकार है :

"लिबिया अरब गणराज्य––बेंगाजी में 19-21 सफर 1393 हिजरी (24-26 मार्च, 1973) तक आयोजित विदेश मंत्रियों का चौथा इस्लामी सम्मेलन—

भारत में रोके गए पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों और नागरिक नज़रबंदों की तत्काल रिहाई और पुनर्देशावर्तन के बारे में पाकिस्तानी शिष्टमंडल द्वारा समर्थन की अपील को ध्यान में रखते हुए,

भारत-पाकिस्तानी उप-महाद्वीप की स्थिति पर सुरक्षा परिषद के पस्ताव संख्या 307 और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या 2793/(6) का पुनराह्वान करते हुए,

इस तथ्य की सराहना के साथ यह संकेत करते हुए कि पाकिस्तान सरकार ने इक-तरफा तरीके से भारतीय युद्ध-बंदियों को मुक्त कर दिया,

इस पर गहरी चिन्ता करते हुए कि भारत में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों को अभी रोक रखा है जो कि जनेवा अभिसमय और इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का उल्लंघन है,

अंतर्राष्ट्रीय रेड क्राम की रिपोर्टों के अनुसार यह जानकर कि भारत में ये युद्धबंदी अत्याचार से पीड़ित हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, भोजन कपड़ा नहीं मिल रहा है, और बहुत से गोलियों से मार डाले अथवा जख्मी कर दिए गए हैं—

(1) भारत द्वारा पाकिस्तानी युद्धबंदियों तथा नागरिक नजरबंदों को निरंतर रोके रखने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और भारत सरकार से उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग करता है ;

(2) संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अपील करता है कि वे पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई से सम्बद्ध महासभा तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर अमल कराने के लिये सभी सम्भव प्रयास करें ;

(3) सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश करता है कि वे पाकिस्तान सरकार को ऐसी सभी ठोस मदद प्रदान करें जिससे कि वह युद्धबंदियों को वापस ला सके और उन्हें फिर से बसा सके;

(4) इस्लामी सम्मेलन के महासचिव से अनुरोध करता है कि वह इस सम्मेलन द्वारा पारित सिफारिशों पर अमल करें और उसके परिणामों से सदस्य देशों को अवगत कराएं।"

एशियाइयों को निकालने के लिये जाम्बिया का दबाव

7569. **श्री नारायणचन्द पाराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जाम्बियन प्रेशर फार एक्सपेलिंग एशियंश" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि लुसाका के ब्रिटिश दैनिक "टाइम्स आफ जाम्बिया" द्वारा भारतीय समुदाय के विरुद्ध जाम्बिया के लोगों में असंतोष के बीज बोये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रचार का जाम्बिया में रहने वाले 12,000 भारतीयों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जाम्बिया की अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के जाम्बियाकरण की नीति के अनुरूप 1968 और 1972 में जो आर्थिक सुधार आरम्भ किए गए थे, उनके कारण जाम्बिया में व्यापार करने वाले गैर-नागरिकों पर, जिनमें भारतीय राष्ट्रिक भी शामिल हैं, निःसन्देह बुरा असर पड़ा है।

सरकार को जाम्बिया सरकार के इस आश्वासन पर भरोसा है कि जो गैर-नागरिक जाम्बिया की अर्थव्यवस्था के क्रमिक जाम्बियाकरण के परिणामस्वरूप जाम्बिया छोड़कर चले जाना चाहते हैं, उन्हें जाने के लिए बाकायदा व्यवस्था होगी और उन्हें अन्य स्थान पर नए सिरे से गुजर-बसर करने की दृष्टि से अपनी बचत राशि तथा सम्पत्ति वापस ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

जाम्बिया में हमारे हाई कमिश्नर भारतीय निवासी समुदाय से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उन्हें सही स्थिति से अवगत रखा जा सके और किसी भ्रामक प्रचार का प्रतिकार किया जा सके ।

देश के आयुध कारखानों में आग लगने की घटनायें

7570. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश के आयुध कारखानों में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गईं ; कितनी घटनाओं की जांच की गई ;

(ख) इन से कितनी राशि को हानि हुई ; और

(ग) क्या इन घटनाओं के लिए किन्ही लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है और क्या इन मामलों में कोई कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गंगटोक में एक भारतीय अधिकारी को दोषसिद्धि

7571. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक अधिकारी की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि की जांच गंगटोक में की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) गंगटोक स्थित हमारे राजनीतिक अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उस कार्यालय के द्वितीय सचिव (सूचना) श्री राय सिंह को 1969 के जून में दिल्ली वापस बुला लिया गया और केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो द्वारा दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में उन पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1947 तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाया गया ।

(ख) श्री राय सिंह का अभियोजन इस आरोप पर किया गया था कि उन्होंने 1968 में सिक्किम और भूटान की यात्रा करने वाले दो सांस्कृतिक दलों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संम्बन्ध परिषद द्वारा उन्हें दिए गए धन में से 5,000 रुपये से अधिक के लोक धन का अपयोजन किया था । 22-3-1973 को दिए गए अपने निर्णय में न्यायालय ने श्री राय सिंह को भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(सी) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रु० के जुर्माने का दंड दिया, जुर्माना न देने पर चार महीने का और कठोर कारावास । भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रु० जुर्माने का दंड दिया गया, जुर्माना न देने पर तीन महीने का और कठोर कारावास । दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी । 1971 के अगस्त से अधिकारी निलम्बित है । ज्ञात हुआ है कि उनने निर्णय के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की है । याचिका के निणयाधीन होने के कारण सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असमर्थ है ।

श्रम कल्याण संबंधी गोष्ठी

7572. **श्री वरके जार्ज** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में 23 मार्च, 1973 को हुई श्रम कल्याण सम्बन्धी गोष्ठी में किए गए निर्णयानुसार श्रमिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त गोष्ठी में और किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्कस के सहयोग से श्रम कल्याण के विषय पर 23 और 24 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। दिल्ली प्रशासन विचार-गोष्ठी के मुख्य निष्कर्षों पर विचार कर रहा है। वे त्रिपक्षीय श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम कल्याण उपायों के आयोजन से सम्बन्धित हैं ।

(ग) विचार गोष्ठी में :

(1) श्रम कल्याण प्रतिबोध और उसका सीमाक्षेत्र

(2) श्रम कल्याण का संगठनात्मक नमूना—एक संदर्श ; और

(3) दिल्ली में श्रम कल्याण-कार्य कलाप के बारे में तीन कागजों पर विचार किया गया।

ब्यौरे तैयार करने से पूर्व यह निर्णय किया गया था कि ऐसे कल्याण बोर्डों के कार्याचालन के बारे में कुछ राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जाये ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

7573. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित वृद्धि कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) और (ख) 17 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य-बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार डाक्टरी देख रेख संम्बन्धी खर्च की उच्चतम सीमा बढ़ाने का निर्णय किया :

1. **प्रतिबन्धित डाक्टरी देख रेख :**

56 रुपये से 63 रुपये प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी ।

2. **विस्तारित डाक्टरी देख-रेख**

60 रुपये से 67 रुपये प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी ।

3. **पूर्ण डाक्टरी देख-रेख**

70 रुपय से 80 प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी ।

निगम ने यह भी निर्णय किया है कि उपयुक्त उच्चतम सीमा के अतिरिक्त, डगों, पट्टियों और औषाधेयों पर प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 30 रुपये से ऊपर का खर्च, परन्तु 45 रुपये से अनधिक, भी दिया जायेगा । इस खर्च का वहन भी राज्य सरकारें और निगम सामान्य अनुपात में करेंगी ।

खर्च के बारे में संशोधित उच्चतम सीमाएं पहली अप्रैल, 1973 से लागू होंगी।

समुद्री सीमा निश्चित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कसौटी

7574. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के लिए अपने क्षेत्रीय समुद्र की सीमा निश्चित करने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय कसौटी है;

(ख) क्या किसी शक्तिशाली देश द्वारा दुर्बल देशों के समुद्री संसाधन हथियाने का खतरा विद्यमान नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में संघर्ष रोकने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय कसौटी निश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य विश्व संस्था के समक्ष यह मामला उठाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस समय क्षेत्रीय समुद्र की बाध्य-सीमा सम्बद्ध राज्य के समुद्री तट से लगी उपयुक्त आधार-रेखा से तीन समुद्री मील से लेकर दो सौ समुद्री मील तक होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1956 की अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय-समुद्र की सीमा निश्चित करने के अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड की चर्चा करते हुए कहा है कि :—

"आयोग का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार क्षेत्रीय समुद्र-सीमा को 12 मील से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ।"

परन्तु, इस विचार को बहुत से देशों ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उनका दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य अपनी क्षेत्रीय समुद्र सीमा तय करने का स्वयं अधिकारी है।

(ख) उच्च तकनीकी जानकारी रखने वाले शक्तिशाली देश निश्चय ही कमजोर देशों के समुद्री संसाधनों से ज्यादा लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

(ग) क्षेत्रीय समुद्र की बाध्य-सीमा, समुद्र के संसाधनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शासन-प्रणाली तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर समुद्री कानून विषयक संयुक्त राष्ट्र पूर्णाधिकार सम्मेलन में विचार किया जायेगा इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन न्यूयार्क में नवम्बर/दिसम्बर 1973 में प्रारम्भ होने वाला है । संयुक्त राष्ट्र सागर-तल समिति द्वारा इस सम्मेलन के लिए तैयारी-कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार इस समिति में भाग ले रही है तथा समुद्री कानून विषयक संयुक्त राष्ट्र पूर्णाधिकार सम्मेलन में भी भाग लेगी।

दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकियों और भारतीयों के साथ जातिगत भेदभाव और शोषण

7575. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश तथा अन्य पश्चिमी औद्योगिक एवं नौवहन कम्पनियों में काम कर रहे काले लोगों (अफ्रीकियों और भारतीयों) को समान कार्य के लिए श्वेत लोगों से कम मजूरी दी जाती है;

(ख) क्या 'नाटाल' में हुई सफल हड़तालों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकी लोगों के हो रहे इस शोषण का पहले ही संकेत दिया जा चुका है; और

(ग) इस प्रकार के जातिगत भेद-भाव और शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश तथा कुछ अन्य फर्मों द्वारा अपने अश्वेत कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह स्तर से भी बहुत कम मजूरी दिये जाने की अखबारों में छपी खबरों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) दक्षिण अफ्रीका के अनेक शहरों में अधिक वेतन की मांग को लेकर काम रोक देने व हड़ताल किए जाने के बारे में अखबारों में छपी खबरें भी सरकार ने देखी है।

(ग) हमने विश्व के किसी भी भाग में जातिगत भेद-भाव एवं किसी भी रुप में शोषण किए जाने की सदैव भर्त्सना की है, ऐसी बुराइयों को समाप्त करने में संघर्षरत सभी लोगों का हमने पूर्ण समर्थन किया है।

मजदूर शिक्षा योजना

7576. श्री राजदेव सिंह :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के अन्त तक मजदूर शिक्षा योजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई और देश में मजदूरों की जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) क्या सरकार ने मजदूर शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वर्ष 1964 में गठित की गई पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों को कार्यरुप दे दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) 1958 में इस योजना के प्रारंभ से लेकर 1972 के अन्त तक, योजना के अधीन 26,937 श्रमिक-शिक्षक और 13,23,033 श्रमिक प्रशिक्षित किए गए हैं। प्रशिक्षित श्रमिक सामान्यतः मजदूर संघ संगठन में अपनी भूमि का और श्रमिकों तथा नागरिकों के रुप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति बेहतर जागरुकता दिखाते हैं।

(ख) समिति द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री सहित, पुनरीक्षा समिति का प्रारुप प्रतिवेदन राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजा गया था जिन्होंने इस योजना की जांच की और अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में सिफारिशें की।

चीन, अमरीका और फ्रांस की मदद से पाकिस्तानी नौसेना की शक्ति बढ़ाना

7577. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन, अमरीका और फ्रांस की मदद से पाकिस्तानी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के कथित पाकिस्तानी प्रयासों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती हुई शक्ति का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्। सरकार ने इस संबंध में प्रेस-रिपोर्ट देखी है।

(ख) भारतीय नौसेना की प्रभावक्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पग उठाए जाते रहे हैं।

तमिलनाडु में एल्यूमिनियम कारखाने के अधिग्रहण का इटली की सरकार द्वारा विरोध

7578. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री सेझियान :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के एल्यूमिनियम कारखाने के प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में इटली की सरकार ने विरोध प्रगट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में इटली सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) 26 फरवरी, 1973 को मद्रास ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के, राष्ट्रीयकरण होने तक, प्रबन्ध ग्रहण करने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते समय, ईटली सरकार ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है और यह बांछा प्रगट की है कि क्या भारत में विदेशी विनिधान के बारे में नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है। इटली की फर्म, मोन्टीकाटिनी इडीसन की, जो कि मद्रास ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के विदेशी तकनीकी सहयोगी है, मद्रास ऐलूमिनियम कम्पनी में लगभग 27% साझा शेयर हैं। इसके अतिरिक्त, ईटली की वित्तीय संस्था मोडिओबान्सा ने कम्पनी को विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। इसलिए, ईटली की सरकार, कम्पनी का राष्ट्रीयकरण होने तक, तमिलनाडु द्वारा उसके प्रबन्ध ग्रहण के प्रस्ताव से ही संबंधित है।

तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव इस समय राज्य सरकार के परामर्श में केन्द्रीय सरकार के परीक्षणाधीन है। मामले पर विनिश्चय लिए जाने के पश्चात् ईटली सरकार को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

लखनऊ में संयुक्त क्षेत्र में स्कूटर बनाने के कारखाने की स्थापना में हुई प्रगति

7579. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री वरके जार्ज :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री सरकारी क्षेत्र में लखनऊ में स्कूटर कारखाने के संबंध में 22 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कारखाने में कब तक उत्पादन होने लगेगा और यह कारखाना कब तक अधिकतम क्षमता के अनुसार उत्पादन करने लगेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : संयुक्त क्षेत्र के स्कूटर बनाने के लखनऊ स्थित संयंत्र में अगस्त, 1974 तक उत्पादन होने लगेगा और 1977 तक 1,00,000 संख्या की इष्टतम क्षमता प्राप्त कर लेने की आशा है।

व्यास परियोजना, तलवारा पंजाब के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ

7580. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यास परियोजना, तलवारा, पंजाब के मजदूर बोनस और भविष्य निधि जैसे सांविधिक लाभों से वंचित हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि केन्द्रीय परियोजना के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के सांविधिक लाभ उपलब्ध हों ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। वह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

कानपुर में जे० के० तथा अन्य पटसन मिलों में हड़ताल

7581. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में जे० के० तथा अन्य पटसन मिलों के कर्मचारियों की 1 फरवरी, 1973 से लम्बी हड़ताल चल रही है ;

(ख) क्या उनकी मुख्य मांग न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता तथा कार्य दर पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के कर्मचारियों के समान करने की है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी विवाद का हल करने तथा हड़ताल समाप्त करने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र ने कर्मचारियों को, उद्योगवार, मजूरी समान करने तथा मानकीकरण करने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जे० के० जूट मिल्स, कानपुर में 29 जनवरी, 1973 से हड़ताल चल रही है।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार जो इस विवाद के संबंध में समुचित सरकार है, इस मामले पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पनामा नहर के मामले को उठाने का प्रस्ताव

7582. **श्री भागीरथ भंवर**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों को देखा है कि पनामा नहर क्षेत्र के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में संकल्प पर अमरीका द्वारा वीटो इस्तेमाल किये जाने के पश्चात् पनामा नहर के मामले को अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पनामा नहर क्षेत्र संबंधी संकल्प पर अमरीका द्वारा वीटो का इस्तेमाल किये जाने के बाद, 21 मार्च, 1973 को सुरक्षा परिषद् में अपने वक्तव्य के अंत में पनामा के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि :

"हमारी सरकार यह घोषणा करना चाहती है कि हम नहर क्षेत्र के प्रश्न को यथा समय सुरक्षा परिषद् की कार्यसूची में शामिल करेंगे। और यथा समय हम नहर क्षेत्र के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र की महा सभा की कार्यसूची में भी शामिल करेंगे।"

विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि पनामा इस प्रश्न को कब उठाने का इरादा रखता है। अब तक इस प्रश्न के बारे में संयुक्त राष्ट्र में कोई संकेत नहीं है।

(ख) सरकार की प्रतिक्रिया उचित अवसर पर तय होगी।

Sainik Schools of Rajasthan

7583. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the name of the places in Rajasthan where Sainik schools are located and the number of students studying there as also the annual expenditure incurred on them; and

(b) whether admission of students is made there on the basis of the criteria laid down and if so, the nature thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) There is only one Sainik School in Rajasthan at Chitorgrah with 484 students on roll on 31.3.1973. The annual expenditure during 1972-73 is Rupees Nine Lakhs sixty-three thousand approximately.

(b) Admission is made in the order of merit of successful boys in the Sainik Schools' Entrance Examination held each year. In case, however, of SC/ST candidates, all successful boys are admitted.

Value and Quantity of Surplus Goods

7584. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Supply** be pleased to state:

(a) the particulars, value and quantity of surplus goods on 1st April, 1971;

(b) whether the said goods have been sold out; and if so, the revenues earned therefrom ; and

(c) the reasons for selling these goods and whether these goods were not required in future?

The Minister of Supply (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The book value of surplus stores outstanding as on 1-4-71 was Rs. 25.56 crores with break-up in broad categories of stores as follows:—

Category of Stores	*Book Value (in crores)*
M.T. Spares	Rs. 12.93
Vehicles	Rs. 6.28
Others	Rs. 6.35

(b) Outstanding worth Rs. 25.49 crores as book value have been sold out. It is, however, not possible to indicate the total sale value of these goods as these have been sold out along with other surplus goods subsequently received for disposal.

(c) The stores were sold out as they were not required by the Indenting Departments.

Unemployed Agriculture Graduates

7585. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of unemployed Agriculture Graduates who have registered their names for employment and the time since when they are unemployed and the number of those out of them who have been provided employment during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation: (Shri G. Venkatswamy): Number of job-seekers on live register of and placements effected by the Employment Exchanges in respect of Agricultural Graduates during the period 1970-72.

Year	Live Register* (at the end of each year).	Placements** during the year.
1	2	3
1970	7,153	738
1971	8,007	1,283
1972 . . .	9,903	1,309

*(i) Information regarding the duration of unemployment, by occupational categories, is not being collected.

(ii) All the job-seekers registered with the Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

**The placements made during a particular year are not necessarily out of the applicants registered during that year.

Arrangement for Medical Treatment in Camps for Refugees from Bangladesh

7586. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the arrangements made for the medical treatment in the Camps of the refugees who came to India during 1971 was stating the number of hospitals and dispensaries opened;

(b) the value of the medicines supplied in each of the Camps; and

(c) the number of refugees who died upto the 1st March, 1973?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy): (a) Adequate arrangements were made for providing medical facilities to the refugees from Bangladesh in the camps situated in the various States by the State Government and the Central Government. Sufficient stocks of medicines were built up at the Central Government medical

stores depots for issue to the various hospitals and dispensaries for the use of refugees from Bangladesh. Adequate arrangements were also made for immediate preventive measures under mass inoculation programme against spread of epidemics like Cholera, Smallpox and Diphtheria in the camps. As on 30-11-71, following special hospitals and dispensaries had been opened for refugees:

(i) Medical Units functioning (in Camps) . .	700
(ii) Referral hospitals functioning (existing and new)	50

(b) The detailed value of medicine supplied campwise is not available. However, the total value of medicines and equipment purchased through the medical stores organisation for the medical care of the displaced persons from Bangladesh works out to Rs. 2.40 crores. Besides this, medicines and medical equipment worth Rs. 1.60 crores was also received for the use of refugees through the World Health Organisation and friendly contries bilaterally.

(c) The details of refugees who died up to 1st March, 1973, due to various diseases are not available. However, in the case of indentifiable diseases like Cholera, Smallpox and Diphtheria the number of persons attached and died as on 30.11.71 are as under:

Attacks	51,176
Deaths	6,346

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का बिना बारी आवंटन करने की व्यवस्था

7587. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी कोटे से, बिना बारी के स्कूटरों तथा कारों का आवंटन करने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 के दौरान श्रेणीवार, ऐसे कितने आवंटन किये गये; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) आरक्षित कोटे के संचालन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) 1972 में किए गए इस प्रकार के आवंटनों की संख्या निम्न प्रकार है:—

कारें :

फिएट (प्रीमियर प्रेसीडेंट) 43, एम्बासेडर एक भी नहीं ।

स्कूटर :

बजाज 60. लम्ब्रेटा 5.

(ग) बिना बारी आवंटन के प्रमुख कारण जनकार्य संबंधी अत्यावश्यकताएं और मरम्मत पर होने वाले खर्च के कारण गाड़ी का रखरखाव न कर पाना है।

शिल्पी क्राफ्टमैन स्तर तक प्रशिक्षण देने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7588. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 तक देश में, राज्यवार, शिल्पी (क्राफ्ट्समैन) स्तर तक प्रशिक्षण देने वाले कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे; और

(ख) प्रत्येक संस्थान में व्यवसायवार कितने-कितने स्थान है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ;

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 357 है, जिनमें 32 इंजीनियरी व्यवसायों के 1,43,215 और 22 गैर-इंजीनियरी व्यवसायों के 12,424 स्थानों की क्षमता है । विस्तृत अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

31-12-1972 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या संबंधी विवरण

1. आंध्र प्रदेश	21
2. असम	8
3. बिहार	29
4. गुजरात	18
5. हरियाणा	17
6. हिमाचल प्रदेश	7
7. जम्मू व काश्मीर	7
8. केरल	10
9. मध्य प्रदेश	23
10. महाराष्ट्र	32
11. मणिपुर	1
12. मेघालय	1
13. मैसूर	14
14. नागालैण्ड	1
15. उड़ीसा	10
16. पंजाब	29
17. राजस्थान	15
18. तमिलनाडु	32

19. त्रिपुरा	2
20. उत्तर प्रदेश	50
21. पश्चिम बंगाल	17
22. अरुणाचल प्रदेश	1
23. चंडीगढ़	2
24. दिल्ली	7
25. गोवा	1
26. मिजोराम	1
27. पांडिचेरी	1
अखिल भारतीय योग	357

दण्डकारण्य परियोजना के भूतपूर्व उप-मुख्य प्रशासक का कोरापुट से कोंडागांव का दौरा

7589. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना का भूतपूर्व उप-मुख्य प्रशासक, जुलाई, 1967 में कोरापुट से कोंडागांव को स्टाफ कार में गया था तथा वह सरकारी दौरे पर वहां एक सप्ताह तक रहा था तथा उसने यात्रा भत्ता लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई थी तथा उक्त अधिकारी से राशि वसूल कर ली गई थी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात सरकार द्वारा 'रोड रोलरों' की सप्लाई का अनुरोध

7590. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 'रोड़ रोलरों' की सप्लाई के लिए महानिदेशक, सड़क विकास से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में गुजरात सरकार से दो मांग पत्र प्राप्त हुए थे जो 1972-73 में 57 रोड रोलर तथा 1973-74 में 100 रोड रोलर सप्लाई करने के लिए थे।

(ख) देश में रोड रोलरों के सीमित उत्पादन की तुलना में अत्यधिक मांग को देखते हुए 33 रोड रोलर गुजरात सरकार को 1972-73 में सप्लाई के लिए आवंटित किए गए थे। जहां तक 1973-74 की सप्लाई का संबंध है, उत्पादन में वृद्धि कर दी गई है तथा जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से आवंटन किया जा रहा है।

Royalty paid to Bihar Government by Centre after nationalisation of Coal Mines

7591. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the amount of royalty received by the Government of Bihar from the nationalised mines per month; and

(b) the amount of royalty paid so far to the Bihar Government by the Centre after nationalisation of coking and non-coking mines as also the amount thereof which is still to be paid?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

उड़ीसा राज्य से उत्कल वाहिनी रेजीमेन्ट बनाना

7592. **श्री अनादिचरण दास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा से उत्कल वाहिनी नाम से सेना की एक रेंजीमेंट बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्धारित समय क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रही मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड

7593. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उसे कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या उक्त कंपनी ने सरकार से 1.5 करोड़ रुपयों का ओवर ड्राफ्ट लिया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या कम्पनी को इस कारण घाटा हो रहा है कि अयस्क की उत्पादन लागत तथा विक्रय मूल्यों में असंतुलन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : अगस्त 1972 तक कार्यकारी पूंजी की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्पनी ने अपने बैंक से 1.27 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाना

7594. **श्री समर गुह :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत मार्च महीने के अन्त में पंजाब में एक सार्वजनिक सभा में यह वक्तव्य दिया था कि भारत यही आशा करता है कि भारत और चीन के साथ शीघ्र सामान्य संबंध स्थापित हो जायेंगे ; और

(ख) भारत और चीन के संबंधों में सुधार की सम्भावना के बारे में ऐसी आशा किये जाने से संबंधित तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। विदेश मंत्री ने यह कहा था कि कभी न कभी चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य होंगे ही लेकिन इस विषय में तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा पक्ष भी कोई उत्सुकता न दिखाए।

नीति निर्धारण समिति को सहायता के लिये बाहर के विशेषज्ञों का पैनल

7595. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश मंत्रालय की नीति निर्धारण समिति की सिफारिश के लिए बाहर के विशषज्ञों का पैनल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

1971-72 में और 1972-73 में खनिज पदार्थों का उत्पादन

7596. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 और 1972-73 की अवधि में देश में खनिज पदार्थों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उक्त अवधि में 1970 की तुलना में देश में खनिज पदार्थों के उत्पादन में कमी हुई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) खनिज पदार्थों के उत्पादन की 1972 में क्या स्थिति थी; और

(घ) उक्त अवधि में क्रोमाइट, कोयला और अभ्रक के उत्पादन की क्या स्थिति थी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) 1970, 1971 और 1972 के दौरान खनिज उत्पादन को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। 19 महत्वपूर्ण खनिजों में से, एपाटाइट, क्रोमाइट, कोयला, मैग्नेसाइट, कायनाइट, अभ्रक और जस्ता सान्द्र को छोड़कर 12 खनिजों के उत्पादन में 1970 की तुलना में 1971 में वृद्धि हुई है और उनके ह्रास के कारण उपाबंध I में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल० टी० 4843/73] 1972 के दौरान एपाटाइट, स्वर्ण, जिप्सम, मैग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक, फासफोराइट और स्टीअटाइट को छोड़कर, खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई और उनके ह्रास के कारण उपाबंध II में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रख गये। **देखिए** संख्या एल० टी-4843/73] कुल उत्पादन का समग्रतः मूल्य 1970 से बढ़ते जा रहा है।

विवरण

भारत में खनिज उत्पादन–1970-72

क्रम सं०	खनिज	एकक	1970	1971	1972 के लिए अनुमानित*
1.	ऐपाटाइट	टन	15,997	11,307	10,647
2.	बाक्साइट	हजार टन	1,374	1,517	1,653
3.	क्रोमाइट	,,	274	273	282
4.	कोयला	लाख टन	737.00	715.00	743.80
5.	ताम्र अयस्क	हजार टन	518	666	787
6.	डोलोमाइट	,,	1,148	1,320	1,340
7.	स्वर्ण	किलोग्राम	3,241	3,656	3,324
8.	जिप्सम	हजार टन	926	1,088	1,080
9.	लौह अयस्क	लाख टन	313.70	342.60	345.30
10	कायनाइट	हजार टन	121	63	68
11.	सीमा सान्द्र	टन	3,880	4,262	4,616
12.	चूनाश्म	लाख टन	238.40	250.70	253.60

*कोयला और पेट्रोलियम (अपरिष्कृत) को, जिसके लिए अनुमान क्रमशः दस और नौ महीनों की आधार सामग्री पर आधारित है, छोड़कर 1972 के लिए अनुमान आनुपातिक आधार पर 11 महीनों के लिए वास्तविक आधार सामग्री पर आधारित है।

क्रम सं०	खनिज	एकड़	1970	1971	1972 के लिए अनुमानित*
13.	मैग्नसाइट . .	हजार टन	354	296	293
14.	मैगनीज अयस्क	,,	1,702	1,841	1,610
15.	अभ्रक अपरिष्कृत .		16.6	14.9	13.8
16.	पैट्रोलियम (अपरिष्कृत) . .	लाख टन	68.10	71.90	75.90
17.	फास्फोराइट	हजार टन	156	232	218
18.	स्टीटाइट . .	,,	159	176	167
19.	जस्ता सान्द्र . .	टन	15,888	15,855	16,954
20.	अन्य खनिज (मूल्य) . .	लाख रुपयों में	5,490	6,070	6,030
21.	कुल मूल्य (आणविक खनिजों और सामान्य नमक को छोड़ कर)	,,	48,630	49,490	50,690

साइकिल-रिक्शा चलाना बन्द करना

7597. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में साइकिल रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक प्रतिबन्ध लगाए जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जो० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) क्योंकि 1955 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने रिक्शा खींचने के क्रमिक उन्मूलन की सिफारिश की थी, तदनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी और आदर्श विनियमों का भी सुझाव दिया था। मामले में राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार हो रहा था। तत्पश्चात, भारत सरकार को सलाह दी गई थी कि संकल्पित प्रतिबन्ध संवैधानिकता के बारे में कानूनी बाद विषय उत्पन्न कर सकते हैं। तब इसे राज्य सरकारों पर मामले में आवश्यक विधान बनाने की संवैधानिकता के प्रश्न पर अपने विधि विभाग से विचार विमर्श करके निर्णय लेने के लिये छोड़ दिया गया था।

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् ने अपनी 13 वीं बैठक में, जो 3 और 4 नवम्बर, 1970 को हुई, इस पद्धति को यथाशीघ्र हटा देने के प्रश्न पर विचार किया। शीघ्र कार्यवाही के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया था :—

(1) स्थानीय निकायों को कहा जाय कि वे जहां तक सम्भव हो नये लाइसेंस जारी न करें।

(2) अनुपस्थित मिलकियत की पद्धति को निरुत्साहित किया जाना चाहिये और रिक्शा खींचने वालों की, स्वयं या सहकारी समितियों द्वारा गाड़ियों के मालिक बनने में सहायता की जाये।

(3) जहां संभव हो, हाथ से खींची जाने वाली और साइकिल रिक्शा को आटो रिक्शा से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

(4) राज्य में नगरों में रिक्शा खींचने को हटा देने के लिए एक विस्तृत योजना बनायी जानी चाहिये।

उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें/प्रशासन विभिन्न कार्यवाहियां कर रहे हैं।

कोयला उद्योग की वित्तीय समस्याओं के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिश

7598. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उद्योग की वित्तीय समस्याओं के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन पर कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : कोयला उद्योग के लिए आर्थिक-व्यवस्था पर कार्यवारी दल ने रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कोयला उद्योग की तात्कालिक वित्तीय समस्याओं और, विशिष्टतया पूर्वी क्षेत्र में, उद्योग के लिए वित्त-प्रबंध करने हेतु बैंक ऋण की विद्यमान वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता के संबंध में, संबंधित विभिन्न सुझाव समाविष्ट थे। रिजर्व बैंक ने सुझाव पर विचार किया और दिसम्बर 1972 में कोयला उद्योग की कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं पर समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दो परिपत्र जारी किए।

कार्यकारी दल द्वारा की गई अन्य सिफारिश, अर्थात् कोयला उद्योग की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र वित्तीय संस्था की स्थापना की आवश्यकता, रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल से कम्पनियों द्वारा कार्यालयों का स्थानान्तरण

7599. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' में "फाइव कम्पनीज ट्रांसफर आफिसिज फ्राम वैस्ट बंगाल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा कलकत्ता से अपने कार्यालयों को स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार ने प्रश्नगत समाचार-पत्र रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

पाकिस्तान के साथ युद्ध बन्दियों का आदान-प्रदान

7600. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध बन्दियों के आदान प्रदान के बारे में इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या यह कार्य बंगला देश की सरकार के परामर्श से किया जा रहा है, और ;

(ग) यदि हां, तो इस पर बंगला देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) भारत और बंगला देश की सरकारों ने इस संबंध में जो पहल की है, वह 17 अप्रैल, 1973 से संयुक्त घोषणा पत्र में रख दी गई है । इस संयुक्त घोषणा का मूलपाठ पहले ही सदन की मेज़ पर रखा जा चुका है ।

ट्रैक्टरों का आधारभूत मूल्य

7601. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोजेक्ट इक्युपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के जरिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को जैंटर 2011/2511 ट्रैक्टरों के जो एस० के० डी० पैक्स मिले थे, उनके सम्पूर्ण ट्रैक्टर का आधारभूत मूल्य कितना कूता गया था और उनकी संख्या कितनी थी तथा 1500 पदों की अंतिम खेप किस तिथि को प्राप्त हुई थी;

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा सम्पूर्ण ट्रैक्टर का कितना आधारभूत मूल्य कूता गया था जिस पर कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से 6000 जैंटर 2011/2511 ट्रैक्टरों के सी० के० डी० पैंकों की अनुमति दी है तथा उसकी तिथि क्या है; और

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा मूल्यों में कितनी वृद्धि की अनुमति दी गयी है, इसके क्या कारण हैं तथा यह ट्रैक्टर किसानों को कितना महंगा पड़ेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 10,567 रु० लागत बीमा भाड़ा सहित, 1500 पैकों की अंतिम खेप प्रत्यक 500 की तीन अलग-अलग लदानों में 27-9-71, 24-10-71 और 16-11-71 को प्राप्त हुई थी ।

(ख) 12,980 रु० लागत बीमा भाड़ा, मार्च, 1972।

(ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के द्वारा मूल्यों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है । चैकोस्लोवाकिया में मूल्यों में सामान्य वृद्धि होने के कारण संपूर्ण ट्रैक्टर के आधारभूत मूल्य में वृद्धि चेकोस्लोवाकिया के संभरणकर्ताओं ने की थी । प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन ने जिन बैंकों को अनुमति दी थी उनका आयात बिना किसी विलोपन के एस० के० डी० शर्तों पर किया गया था । तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने जिन बैंकों की अनुमति दी थी उनमें से कुछ 32.5 विलोपन और कुछ 45% विलोपन सहित थे । विलोपित हिस्से देश में ही प्राप्त करने पड़ते हैं और इस प्रकार प्राप्त किए गए हिस्सों की लागत आयातित हिस्सों की लागत से भिन्न होगी। इन्हीं बातों के कारण ट्रैक्टरों के दो सेटों की कीमतों में अंतर होता है। कृषक के लिए एस० के० डी० पैक से जोड़े गए ट्रैक्टर का कारखाने से निकलते समय का मूल्य (उत्पादन शुल्क और बिक्री कर को छोड़कर) 18,986 रु० है जबकि 32.5 प्रतिशत विलोपन के जोड़े गए ट्रैक्टर का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 19,636 रु० है।

गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा डी० टी० 14 बी०/टी० 25 ट्रैक्टरों का निर्माण

7602. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर सरकारी कम्पनी द्वारा डी० टी० 14 बी/टी० 25 ट्रैक्टरों के निर्माण की योजना सितम्बर, 1968 में स्वीकार कर ली गई थी; और

(ख) इस कंपनी ने सितम्बर, 1968 से प्रति वर्ष कितनी प्रगति की है तथा प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया तथा अधिष्ठापित किया । इस एकक ने उत्पादन कार्यक्रम के कितने चरण पूरे किये और 1969 से प्रति वर्ष · इमारत में वृद्धि परिवर्तन पर कितनी राशि खर्च की ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस योजना के लिये अक्टूबर, 1968 में सिद्धांत रूप में सहमति दी गयी थी । जबकि यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस संबंधी उपबन्धों से मुक्त था। फिर भी, फरवरी, 1971 में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने के पश्चात् ही योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

(ख) कम्पनी ने आयतन प्रगति इस प्रकार बतायी है :—

(1) लगभग 25 लाख रुपये की पूंजी जारी की गई है और चूकता हो गई है ।

(2) लगभग 12 लाख रुपये की लागत से भूमि प्राप्त कर ली गई है ।

(3) लगभग 49,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में लगभग 8.30 लाख रुपये की लागत से कारखाने की इमारत बना दी गई है । लगभग 43,000 वर्ग फीट वाली एक अन्य इमारत निर्माणाधीन है और मई, 73 के अन्त तक उसके पूरे हो जाने की आशा है ।

(4) 8.1 मैगावाट की विद्युत शक्ति की मंजूरी दी गई है और 50 मैगावाट कनेक्शन प्राप्त हो गये हैं। जून, 1973 के अन्त तक 11 किलोवाट की लाइन डाली जाने की आशा है ।

(5) सहयोगियों द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है । डिजाइन डाकुमेन्टेशन भी उनसे मिल गया है । भारतीय मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप इन डिजाइनों को ढालने हेतु इस समय पूरी तकनीशियनों का एक दल भारत आया हुआ है ।

(6) खरीदे और अधिष्ठापित किए गये पूंजीगत माल का मूल्य और इमारत में बढ़ाये गये तथा परिवर्तित निर्माण कार्य की वर्षवार लागत निम्न प्रकार है :—

	को समाप्त हुए वर्ष			
	9/71	9/72	10/72 से 3/73	योग
				(रुपये लाख में)
(1) आर्डर दिया गया/क्रय किया गया पूंजीगत	2.36	12.86	0.05	15.27
माल देशी आयातित	कुछ नहीं	12.06	16.79	28.85
(2) अधिष्ठापित पूंजीगत माल	1.44	0.26	0.05	1.75
(3) इमारत में बढ़ाये गये और परिवर्धित निर्माण कार्य की लागत	7.50	0.01	2.89	10.40

अभी तक एकक ने 20 प्रतिशत की कमी करके पूर्जे जोड़कर ट्रैक्टर बनाए हैं स्वीकृत निर्माण कार्य के कार्यक्रम के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत की कमी करके उसे प्रथम प्रावस्था की शुरूआत करनी है । कम्पनी ने बताया है कि लगभग 45 प्रतिशत की कमी करने में उसे एक वर्ष और लग जायेगा।

ट्रैक्टर निर्माताओं को पैक्स

7603. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 से आगे प्रति वर्ष देश में ट्रैक्टरों के निर्माताओं को कितने पैक्स दिये गये तथा प्रत्येक पैक का मूल्य क्या है;

(ख) टैरिफ आयोग के समक्ष ट्रैक्टर निर्माताओं तथा सरकार द्वारा रखे गए उनके विचारों की तुलना में मूल्य कितने न्यूनाधिक हैं; और

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशक की सिफारिशों पर प्रत्येक ट्रैक्टर निर्माता को प्रति वर्ष कितने कितने मूल्य के फालतु पुर्जों के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4844/73)

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण 2 में दी गई है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4844/73)

व्यापारिक मोटर गाड़ियों की कमी

7604. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापारिक मोटरगाड़ियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । दो प्रमुख मेकों की सवारीगाड़ियों की मुख्य रूप से कमी है, जिनके लिये ग्राहकों की लगभग 1/2 से 2/$\frac{1}{2}$ वर्ष तक की प्रतीक्षा करनी होती है ।

(ख) सरकार ने इन दो मेकों के निर्माताओं को अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है । एक तीसरे एकक को भी विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है । सरकार ने चार नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी है । जिनकी क्षमता प्रतिवर्ष कुल 54,000 सवारीगाड़ियों की होगी ।

मिश्र के विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान और बंगला देश की यात्रा

7605. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में मिश्र के विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान की यात्रा करने के बाद जारी की गई संयुक्त मिश्र-पाकिस्तान विज्ञप्ति में युद्धबंदियों के प्रश्न सहित भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य अनिर्णित समस्याओं के समाधान की बात कही गई है;

(ख) क्या मिश्र के विदेश मंत्री ने बंगला देश की भी यात्रा की थी; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) मिश्र अरब गणराज्य के विदेश मंत्री की 16 मार्च, से 18 मार्च, 1973 तक की पाकिस्तान-यात्रा की समाप्ति पर मिश्र-पाकिस्तान की एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इस विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि "दोनों पक्ष आशा व्यक्त करते हैं कि उपमहाद्वीप के सभी देश उपमहाद्वीप के सभी लोगों के लाभ और कल्याण के लिए शान्ति और पारस्परिक मित्रता के साथ रहेंगे तथा युद्धबन्दियों सहित सभी प्रमुख प्रश्न और समस्यायें शीघ्र और संतोषजनक ढंग से हल करेंगे।"

(ख) जी हां।

(ग) जहां तक मिश्र-पाकिस्तान की संयुक्त विज्ञप्ति के उपरोक्त उद्धरण का संबंध है, भारत ने भी बहुत बार यही आशा व्यक्त की है कि उपमहाद्वीप के सभी देश शान्ति और मित्रता से रहेंगे और अपनी सभी समस्यायें शीघ्र और संतोषजनक ढंग से हल करेंगे।

जहां तक मिश्र के विदेश मंत्री की बंगलादेश यात्रा का संबंध है, यह प्रमुख रूप से दोनों देशों के बीच विपक्षीय संबंधों का मामला है।

टिस्को, टेल्को और जैम्को में ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम का क्रियान्वयन करना

7606. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टिस्को, टल्को और जैम्को के कितने ठेकेदार अलग-अलग कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन आते हैं;

(ख) उन ठेकेदारों के नाम, उनको अलग से अधिनियम के अधीन लाने की तारीख, कर्मचारियों और अंशदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये सभी प्रतिष्ठान 1 मार्च, 1971 से नये सदस्यों के बारे में परिवार पेंशन के लिए अंशदान अदा कर रहे हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों को उपदान अदा करने की प्रणाली

7607. **श्री ज्योतिर्मय वसु**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों को उपदान देने की वर्त्तमान प्रणाली और सिद्धान्तों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या सरकार एक आवश्यक कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत सभी फर्में और कम्पनियां उपदान के लिए धन की व्यवस्था करेंगी और उसे राज-कोष में उसी तरह जमा करेंगी जिस प्रकार भविष्य निधि की राशि जमा की जाती है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 जो कि 16-9-1972 से प्रवर्तन में आया उसके अन्तर्गत आये हुए कर्मचारियों को उपदान की अदायगी विनियमित करता है । फिर भी, किसी भी कर्मचारी को नियोजन के साथ हुए किसी संविदे अथवा समझौते या पंचाट के अधीन उपदान की और अच्छी शर्तें प्राप्त करने का अधिकार है ।

(ख) और (ग) सांविधिक उपदान निधि स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

जुलाई से दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान बंगला देश के साथ किये गये समझौते

7608. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान भारत सरकार और बंगला देश के बीच हुए विभिन्न समझौतों के मूल पाठ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों और संधियों को किस सीमा तक क्रियान्वित कर दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत तथा बंगला देश के बीच जुलाई से दिसम्बर, 1972 तक सम्पन्न निम्नलिखित करारों के पाठ संसद के पुस्तकालय में रख दिए गए हैं :—

(1) 3-8-1972 को भारत तथा बंगला देश के बीच सम्पन्न यात्रा-व्यवस्था संबंधी करार।

(2) 1-11-1972 को हस्ताक्षरित अन्तर्देशीय जल-पारगमन तथा व्यापार संलेख।

(3) 24-11-1972 को सम्पन्न भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग संविधि।

(4) 30 दिसम्बर, 1972 को सम्पन्न सांस्कृतिक सहयोग करार।

(ख) इन करारों को सन्तोषजनक ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है ।

कारों का निर्माण करने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों को जारी किये गये आशय पत्र

7609. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा कारों के उत्पादन के बारे में 22 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर वर्ष 1968 से 1972 की अवधि के दौरान कारों के निर्माण के लिए जिन युवा बेरोजगार इंजीनियरों को आशय-पत्र जारी किये गये, उनके नामों का ब्यौरा और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) श्री संजय गांधी द्वारा डिजाइन की गई और बनाई गई कार का कब निश्चित रूप से परीक्षण किये जाने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर वर्ष 1968 से 1972 तक की अवधि में कार बनाने के लिए ग्यारह पार्टियों को आशय-पत्र दिये गये हैं। सरकारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं के प्रायोजक इंजीनियर हैं अथवा इंजीनियरी का ज्ञान रखने वाले हैं :—

1. श्री पी० शिवानंद राव,

मैं० एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, सेलम ।

2. श्री एम० मदन मोहन राव,

मैं० मोहन मोटर कं०, मद्रास ।

3. श्री संजय गांधी,

मैं० मारूति लि०, गुड़गांव ।

(ख) मैं० मारूति लि० गुड़गांव को दिया गया आशय पत्र 31 दिसम्बर, 1973 तक वैध है । आशा है कि इस अवधि में उनकी कार के आद्यरूप का वैव्हीकल रिसर्च एण्ड डैवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अहमदाबाद परीक्षण करेगा ।

उगांडा से नागरिकता-वंचित-व्यक्तियों का निष्कासन और तदन्तरपुनर्वास

7610. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा से नागरिकता-वंचित जिन व्यक्तियों को भारत भेजा गया, उन्हें भारत में कहां-कहां बसाया गया है; और

(ख) प्रत्येक स्थान पर कितने व्यक्तियों को बसाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) युगांडा से आए नागरिकता-वंचित प्रत्यावासियों के पुनर्वास का प्रश्न अभी विचाराधीन है । विभिन्न राज्यों में चले गये इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

हिन्डालको का सरकारीकरण करने संबंधी प्रस्ताव

7611. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्डालको का सरकारीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों की छंटनी

7612. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सारे देश में श्रमिक वर्ग के कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सारे देश में रोज़गार के कितने नये अवसर उत्पन्न किये गये; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों में बड़े पैमाने पर छंटनी की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

उत्तरी बंगाल में कोयला भण्डार वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन

7614. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी बंगाल में पाउडर के रूप में कोयले के भण्डार वाली ऐसी बड़ी पट्टी है, जो दार्जिलिंग जिले के बागराकोटे से शुरू होती है और इस कोयले का उर्वरक के लिए समुचित रूप से उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है और कोयले पर आधारित उर्वरकों के उत्पादन के लिए इस कोयले का प्रयोग करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या उचित अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागराकोटे और अन्य क्षेत्रों में निम्न वाष्पीय बिटूमिनी कोयले से कड़े पत्थर के कोयले तक की 150 लाख टन संकेतिक उपलभ्य राशियां होने की सूचना मिली है ।

(ख) सरकार ने कोयला आधारित उर्वरक बनाने के लिए दार्जिलिंग जिले के बागराकोटे क्षेत्र के कोयले का उपयोग करने के लिए अध्ययन नहीं किया है । सरकार ने अभी तक तालचेर (उड़ीसा), कोरबा (म० प्र०) और रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों की केवल तीन प्रायोजनाएं अनुमोदित की हैं । इन संयंत्रों का संनिर्माण प्रगति पर है । कोयला आधारित और उर्वरक संयंत्र का भविष्य इन तीन संयंत्रों की सफलता पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, उत्तरी बंगाल की उर्वरक की मांग बारौनी (उत्तरी बिहार) स्थित संनिर्माणाधीन उर्वरक संयंत्र से और असम के नामरूप उर्वरक संयंत्र के विस्तारण से पहले ही आवृत्त है । इनके अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर और हल्दिया नाम दो अन्य उर्वरक संयंत्र संनिर्माणाधीन हैं ।

(ग) सरकार का कोयला आधारित उर्वरक विनिर्माण के लिए बागराकोटे के कोयले का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

माटीधरा डेरी परियोजना, दार्जिलिंग के लिए इस्पात कोटे के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार की मांग

7615. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी जिले दार्जिलिंग में बहु-उद्देश्यीय माटीधरा डेरी परियोजना के काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इस्पात के कोटे को जारी करने के लिए पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार काफी समय से मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए कितने इस्पात की मांग की गई और उक्त मात्रा को तत्काल जारी करने के लिए राज्य सरकार कब से मांग करती आ रही है; और

(ग) इस्पात की सप्लाई करने में विलम्ब का क्या कारण है और इस्पात के कोटे को कब तक पूरा किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) मुख्य इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन बोर्ड डायरेक्टोरेट, पश्चिमी बंगाल से 15 मार्च 1973 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने 350 टन इस्पात की मांग की थी । पत्र में माइजवार आवश्यकता तथा अन्य आवश्यक विवरण नहीं दिये गये थे । उनसे ये ब्यौरे मांगे गए हैं और इस माल को शीघ्र मुहैया करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

देश के चाय बागान श्रमिकों की सेवा शर्तों का अध्ययन

7616. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चाय बागान श्रमिकों की काम करने की शर्तों का सरकार ने कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ चाय बागान में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या के बारे में ऐसे अध्ययन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दार्जिलिंग चाय बागान मजदूरों को सब से कम मजूरी दी जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चाय बागान श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो ने 1961-62 के दौरान भारत के चाय-बागान और चाय-कारखानों में श्रम दशाओं का सर्वेक्षण किया था । चाय बागान के इस सर्वेक्षण से नियोजित श्रमिकों की संख्या अनुमानित और श्रमिकों की अनुमानित औसत दैनिक आय के बारे में जिस सूचना का पता लगा, वह प्रदेश-वार नीचे दी जाती है :—

क्रमांक	प्रदेश	*नियोजित श्रमिकों की अनुमानित संख्या (सितम्बर, 1961)	अनुमानित औसत दैनिक आय (रुपये)	
			**सभी श्रमिक	उत्पादन से संबंधित सभी श्रमिक
1.	असम और त्रिपुरा	5,73,209	2.29	2.23
2.	पश्चिम बंगाल	2,29,411	2.14	2.06
3.	दक्षिण भारत	1,58,746	1.86	1.80
4.	शेष	4,494	1.44	1.38
	अखिल भारत	9,65,860	2.18	2.11

*ऐसे श्रमिकों से संबंधित हैं जो बागान श्रम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत आते हैं और जो उसके अन्तर्गत नहीं आते ।

**जो बागान श्रम अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आते हैं ।

उपर्युक्त सर्वेक्षण में, क्षेत्रवार, चाय-बागान के प्रति एकड़ में कार्य करने वाले मजदूरों के बारे में सूचना एकत्र नहीं की गई थी ।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(घ) चाय-बागान के श्रमिकों के कल्याण और उनकी कार्य-दशायें, बागान-श्रम अधिनियम 1951 द्वारा विनियमित की जाती है और इसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाए जाते हैं । इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए वृहद योजना

7617. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में पांच वर्षों के अन्दर विस्थापितों के पुनर्वास के लिए वृहद योजना प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो वृहद योजना की विशिष्ट बातें क्या हैं और उस पर कितना धन व्यय होगा ;

(ग) क्या सरकार ने अन्तिम रूप से योजना को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक धन राशि की मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें मास्टर प्लान में सम्मिलित योजनाएं तथा उन पर होने वाला व्यय दिया गया है, संलग्न है ।

(ग) और (घ) मास्टर प्लान में सम्मिलित अधिकांश योजनाएं पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति के अधिकार-क्षेत्र में आती हैं । प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

विवरण

मास्टर प्लान में सम्मिलित योजनाओं तथा उन पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाला विवरण

मद	(लाख रुपयों में)
	वांछित राशि
1. आर्थिक जोत-क्षेत्र	1065
2. आय के सहायक साधन	50
3. सिंचाई	250
4. बीज तथा खाद	50
5. आवासीय प्लाट	1014

मद	वांछित राशि
6. कालोनियों का विकास .	2393
7. गृह निर्माण ऋण . . .	1004
8. लघु व्यापार ऋण	450
9. कालोनियों में भूमि अर्जन . .	200
10. ग्रामीण शरणार्थियों का आर्थिक पुनर्वास	1163
11. चिकित्सा सुविधाएं . . .	269
12. विस्थापित व्यक्तियों के लिए तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण	116
13. औद्योगिक बस्तियों	1023
14. विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	1955
15. ग्रामीण उद्योग .	2000
16. गृह तथा अपंगालय	1079
17. उत्पादन केन्द्र . .	2
18. पांच वर्ष के लिए प्रशासनिक व्यय	366
योग .	144,49

अर्थात 144 करोड़ रुपये

श्रम ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय

7618. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना की अवधि के दौरान श्रम ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय को सुदृढ़ करने की कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या, उनमें कर्मचारियों की संख्या, स्थान और कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले काम का क्या ब्यौरा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में स्थित हैं । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में (तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों सहित) एक सहायक निदेशक,

दो ग्रेड-I के अन्वेषक और एक संगणक होता है । उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य का स्वरूप निम्नप्रकार है :—

(1) मूल्य की विवरणियों को समय पर प्राप्त करने और श्रम ब्यूरो द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तरों को सुनिश्चित करना;

(2) मूल्य आंकड़ों के सुचारू और निरन्तर रूप से एकत्रीकरण करने को सुनिश्चित करना;

(3) मूल्य समाहर्त्ताओं को मूल्य एकत्रीकरण की तकनीकों पर गहन प्रशिक्षण देना;

(4) मूल्यों की तत्स्थान जांच के लिए बाजारों के व्यक्तिगत नियमित आवधिक दौरे;

(5) मूल्य समाहर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए साप्ताहिक/मासिक मूल्य विवरणियों की जांच;

(6) बाजार के सामान्य रुख पर कड़ी नजर रखना और जब कभी आवश्यक हो, मूल्य एकत्रीकरण कार्य के उचित पुर्ननिर्धारण के सुझाव देना; अर्थात
मूल्य एकत्रीकरण निकासों में परिवर्तन, लेन देन के एकक में परिवर्तन, वस्तुओं की स्थानापत्ति आदि ।

उपरोक्त नियमित कार्य के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए जो कि श्रमब्यूरो को दिये जाते हैं; उपयोग किया जाता है ।

तीसरी और चौथी योजना अवधि के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा किये गये सर्वेक्षण और अध्ययन

7619. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी योजना अवधि के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा कितने सर्वेक्षण और अध्ययन किये गये;

(ख) अध्ययन वार सर्वेक्षण से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है, अध्ययन और सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ और किस तारीख को पूरा हुआ, अंकन, रिपोर्ट लिखने और अन्तिम रूप से प्रकाशन में कितना समय लगा; और

(ग) अनुसन्धान कार्य की बेहतर किस्म को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की संचालनात्मक क्षमता में सुधार करने और अध्ययन में और अन्तिम रूप से रिपोर्ट के प्रकाशन में विलम्ब को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 109

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण (1 और 2) में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4845/73]

(ग) अध्ययन संचालित करने और उनकी रिपोर्टों को समय पर अंतरिम देने के लिए श्रम ब्यूरो निदेशक हर प्रयास करते हैं । फिर भी, श्रम ब्यूरो ने इन मामलों में सुधार करने के लिए निम्न विशिष्ट कदम उठाये हैं :—

(1) हाथ से तालिका बनाने के स्थान पर मशीन से तालिका बनाने के लिए मशीन तालिका इकाई की स्थापना ;

(2) संक्षिप्त परिणामों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के शीघ्र प्रकाशन के लिए एक रोटा प्रिंट इकाई की स्थापना ।

(3) महत्वपूर्ण मामलों में निजी प्रेसों की सहायता प्राप्त करना;

(4) आंकड़ों के संग्रह और संकलन में समुचित देख-रेख रखने के लिए, ब्यूरो के चार क्षेत्रीय कार्यालयों और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना ;

(5) श्रम आंकड़ों से संबंधित सभी मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए श्रम आंकड़ा संबंधी पुनरीक्षा समिति की स्थापना ;

(6) उपयुक्त क्षेत्रीय कर्मचारी-वर्ग की भर्ती और उन्हें उचित प्रशिक्षण देना ।

श्रम ब्यूरो में तकनीकी कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

7620. श्री बसन्त साठे : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो में काफी संख्या में तकनीकी कर्मचारी 5-10 वर्ष की सेवा कर चुकने के बाद भी अस्थायी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो 3, 5, 10 और 15 वर्षों की सेवा कर चुकने के बाद भी अस्थायी हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जैसी कि स्थिति 31-3-73 को थी, तकनीकी (अलिपिक वर्गीय) व्यक्तियों की कुल संख्या 392 में से, केवल निम्नलिखित अस्थायी थे :—

3 वर्षों की सेवा वाले	34
5 वर्षों की सेवा वाले	10
10 वर्षों की सेवा वाले	कोई नहीं
15 वर्षों की सेवा वाले	कोई नहीं

(ग) उपलब्ध स्थायी पदों की संख्या के अनुसार, पात्र व्यक्तियों को स्थाई दर्जा देने के संबंध में श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा पहले ही कार्यवाई प्रारम्भ की गई है ।

उत्तर कोरिया के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता

7621. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और उत्तर कोरिया के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में मार्च के अन्तिम सप्ताह में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) क्या पुनर्मिलन के मामले पर कोई समझौता हुआ था; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कोरिया जनतांत्रिक लोकगणराज्य ने कोरिया के पुनः एकीकरण के बारे में हुई हाल की घटनाओं से भारत को सूचित किया है । भारतीय पक्ष ने कोरिया जनतांत्रिक लोकगणराज्य और कोरिया गणराज्य के इस निर्णय का स्वागत किया है कि पुनः एकीकरण शांतिपूर्ण ढंग से और सीधी द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्राप्त किया जाए ।

स्टैनलैस स्टील उद्योग में संकट

7622. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टैनलैस स्टील उद्योग को स्टैनलैस स्टील के बर्तनों की मांग पूरा करने में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और उसका उत्पादन तेजी से हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फैक्टरी के लिए कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण बर्तनों के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उद्योग को आवश्यक सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिससे स्टैनलैस स्टील के मूल्यों के बढ़ने पर रोक लगाई जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के वायुसेना मुख्यालय में ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पदोन्नति

7623. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के वायुसेना मुख्यालय के ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रयास किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर काफी समय से पर्याप्त संख्या में तकनीकी सहायक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तकनीकी सहायक की भरती की न्यूनतम अर्हतायें गणित में स्नातकोत्तर डिग्री है, यदि हां, तो तकनीकी सहायक के पद पर उन व्यक्तियों को पदोन्नत करने के लिए कोई जांच की जाती है जिनके पास गणित में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है; और

(ङ) क्या गणित में बिना स्नातकोत्तर डिग्री वाले तकनीकी सहायकों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत करने के लिए मामले की कोई जांच की जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ज्वाइंट साइफर ब्यूरो में राजपत्रित पदों को चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । सरकार द्वारा जारी किए गये स्थायी आदेशों के अनुसर, ।

ऐसे चयन के मामलों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विभागीय उम्मीदवारों को कतिपय रियायतें उपलब्ध हैं । ऐसे उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए जब कभी विभागीय पदोन्नति समिति विचार करती है तो इन आदेशों का सख्ती के साथ अनुसरण किया जाता है ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किसी भी रिक्त स्थान पर इस समय कोई तकनीकी सहायक तदर्थ आधार पर काम नहीं कर रहा है ।

(घ) भर्ती नियमों के अनुसार तकनीकी सहायक ग्रेड पर सीधी भर्ती के लिए आवेदक के पास कम से कम गणित या गणित सांख्यिकी के विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है । हां, विभागीय पदोन्नति के लिए आवेदकों के पास केवल डिग्री होना ही पर्याप्त माना गया है ।

(ङ) जिनके पास डिग्री स्तर की शिक्षा है, ऐसे तकनीकी सहायक ज्वाइंट साइफर ब्यूरो में राजपत्रित पदों के लिए हकदार माना जाता है केवल ऐसे पदों को छोड़कर जिनके लिए स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य अर्हता निर्धारित है ।

इस्पात संयंत्रों में चोरी के मामले

7624. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात संयंत्रों में चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कितने तथा किस किस्म के फेरो-मैंगनीज और फैरो-सिलीकोन की चोरी हुई;

(ग) चोरी हुआ माल कितने मूल्य का था; और

(घ) पुलिस को जांच पड़ताल के फलस्वरूप कितना माल बरामद किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में अरावली पर्वत का विमान द्वारा सर्वेक्षण

7625. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत खनिजों तथा लवण निक्षेपों का पता लगाने के लिए राजस्थान में अरावली पर्वत तथा इसके आस-पास के क्षेत्र का विमान द्वारा सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में किन जिलों तथा क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जुलाई 1967 और मई 1968 के बीच "यू० एस० ऐड" की सहायता से बहु-यान्त्रिक हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया था जिसमें शैलों की अरावली पट्टी के उत्तरी और मध्य भाग का 30,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र सम्मिलित किया गया । बी० आर० जी० एम०/सी० जी० जी०, फ्रांस के सहयोग में किए गए अन्य बहु-यान्त्रिक हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा 1971-72 के दौरान, गुजरात के क्षेत्रों को सम्मिलित कर, अरावली ग्रुप के शैलों के दक्षिण विमुख विस्तार का और आगे सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) "यू० एस० ऐड०" की सहायता से किए गए हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण "आपरेशन हार्ड राक" नामक परियोजना के अंश थे । इस परियोजना की क्रमिक प्रावस्थाओं में हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा भूतल पर लाए गए लक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित है । इस भूतल अनुवर्ती कार्य में भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भूरासायनिक सर्वेक्षण सम्मिलित हैं जिनके पश्चात् आशाजनक लक्ष्यों के हीरक क्रोड व्यधन किए गए 'आपरेशन हार्ड राक' के अधीन सम्मिलित किए गए क्षेत्र के बोर में कार्य का यह पहलू अधिकांशतः संपूरित किया जा चुका है और फैंच सर्वेक्षणो में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के लिए भूमीक्षण भूतल निर्धारण की प्रारंभिक प्रावस्था आरम्भ की गई है ।

(ग) 'आपरेशन हार्ड राक' के अधीन उदयपुर, चितौड़, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, सीकर, झुनझुन, अलवर, नागोड, टोंक और बुण्डी जिलों के भाग सम्मिलित किए गए थे और फ्रांस से सहायता प्राप्त सर्वेक्षणों के अधीन उदयपुर, डूंगरपुर, बंसवाड़ा, सिरोही और पाली को सम्मिलित किया गया था ।

गुजरात में रोड रोलरों की कमी

7626. श्री अरबिन्द एम० पटेल : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में रोड रोलरों की भारी कमी है जिस से राज्य के निर्माण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अन्य राज्यों की तरह, मांग और उपलब्धता के मध्य विद्यमान अन्तर के कारण ।

(ख) कमी से प्रभावित राज्यों को आवंटन, प्राथमिकता के आधार पर, करने के आदेश दे दिये गये हैं । मांग की पूर्ति करने के लिए निर्माण में बड़ोतरी करने के लिए सभी उपाय किये गये हैं ।

संसद् सदस्यों को मोटरकारों/स्कूटरों का आवंटन

7627. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में संसद् सदस्यों को कितनी मोटरकारें/स्कूटर आवंटित किए गए; और

(ख) संसद् सदस्यों को मोटरकार/स्कूटर आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संसद् सदस्यों को 1970, 1971 तथा 1972 के वर्षों में आवंटित की गई कारों तथा स्कूटरों की संख्या नीचे दी गई है :—

कारें			स्कूटर		
फिएट (अब प्रीमियर प्रेसीडेंड)	एम्बैसडर	योग	वेस्पा (अब बजाज 50)	लम्ब्रेटा	योग
492	113	605	496	23	519

(ख) संसद् सदस्यों को चार वर्षों में एकबार उनका आवेदन मिलते ही केन्द्रीय सरकार के कोटे से कारों तथा स्कूटरों का आबंटन किया जाता है । गाड़ियां संसदीय-कार्य के सम्बन्ध में उनके प्रयोग के लिये होती हैं ।

Casual Employees of Military Farm, Pathankot

7628. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of employees who have been working in the Military Farm, Pathankot on casual basis for the last six years;

(b) whether their services have been terminated and other employees have been appointed in their place;

(c) whether termination of services of the employees, who had been working for the last seven years, is in conformity with any policy of the Government; and

(d) if not, whether Government would provide any alternative jobs to them?

The Deputy Defence Minister (Shri J. B. Patnaik): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers

7629. Shri Hukum Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5258 on the 21st December, 1972 regarding Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers and state:

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) The requisite information is still awaited from a few Departments/Ministries of the Government of India. Government expect to be able to furnish the requis ite information very shortly.

Deposit of E.P.F. by Daily newspapers in Madhya Pradesh

7630. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount of provident fund deposited during the last three years by each of the newspapers published in Hindi, English and Urdu languages in Madhya Pradesh;

(b) the amount remaining to be deposited by each of them as per Government information; and

(c) whether after deducting the amount of provident fund from the salaries of the employees it is not being deposited?

The Deputy Minister in the Minister of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy); (a) to (c) The Provident Fund Authorities are collecting the required information. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

फिलिपीन में भारतीय दूतावास के सामने आनन्दमार्ग के अनुयायियों द्वारा प्रदर्शन

7631. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलीपीन की आनन्दमार्ग शाखा की सदस्यता का दावा करने वाले लगभग 500 व्यक्तियों ने 18 मार्च, 1973 को मनीला में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और यह आरोप लगाया कि उनके नेता, जिन पर पटना जेल में हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है ; को विष दिया गया;

(ख) क्या प्रदर्शकों ने हत्या के आरोप में मुजरिम पी० आर० सरकार की बिना किसी शर्त रिहाई की मांग की; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रीय गठन क्या है और इस प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) फिलीपीन में आनन्दमार्ग प्रचारक संघ के सदस्यों द्वारा 18 मार्च 1973 को मनीला में विरोधस्वरूप एक जलूस निकाला गया । ये लोग अधिकतर फिलीपीन के नागरिक थे और संयोजकों का दावा है कि इस जलूस में लगभग 500 व्यक्तियों ने भाग लिया । उन्होंने कहा कि यह जलूस अन्य देशों में मनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय विरोध दिवस के क्रम में था । प्रदर्शनकारियों द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में अन्य बातों के अतिरिक्त भारत सरकार से श्री पी० आर० सरकार को रिहा करने की अपील की गई जिससे कि उन्हें जहर देकर मारे जाने से बचाया जा सके ।

श्री पी० आर० सरकार पर पटना में षडयन्त्र एवं हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

इस्पात और अलौह धातुओं की कमी और इसका इंजीनियरी उद्योग पर प्रभाव

7632. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरी उद्योग इस्पात और अन्य अलौह धातुओं की कमी से अत्यन्त प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कमियां किस सीमा तक हैं और इससे प्रभावित होने वाले प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं; और

(ग) उद्योग को कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) इस्पात की बहुत सी श्रेणियों की उपलब्धि मांग से कम है तथा देश के सभी उपभोक्ता क्षेत्रों को अपर्याप्त आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए किये गये उपायों में, औद्योगिक सुधारों, बेहतर मालिक-मजदूर सम्बन्धों, बेहतर रख-रखाव आदि द्वारा देशीय उत्पादन बढ़ाना, आयात विशेषतया दुर्लभ श्रेणियों के इस्पात के मामले में काफी उदार नीति अपनाना, निर्यात को विनियमित करना, वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाना, तथा विद्युत् भट्टियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने सम्बन्धित उपाय सम्मिलित हैं ।

जहां तक अलौह धातुओं का सम्बन्ध है, जानकारी प्राप्त की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खानों के सरकारीकरण के समय कठोर व्यवहार की शिकायत

7633. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा खानों के सरकारीकरण के समय भूतपूर्व कोयला खान मालिकों के प्रति कठोर व्यवहार के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विषय क्या है; और

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच की गई है और यदि हां, तो अनुचित रूप से परेशान करने के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां । साफ्ट कोक उत्पादक कोयला खान संगम ने, कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन कोयला खानों का प्रबन्ध ग्रहण करने के सरकार के विनिश्चय के विरुद्ध विरोध प्रकट करते समय यह आरोप लगाया था कि अभिरक्षकों को गुप्त रूप से असंख्य और असीमित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप वह पागलों का-सा व्यवहार कर रहे हैं और कुजु घाटी, रामगढ़ और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में खान स्वामियों को उनके घरों से बाहर घसीटा गया तथा उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और सामान को कोयला-खानों के साथ सम्बद्ध किया गया । उन्होंने इस प्रकार के क्रियाकलापों की तत्काल रोकथाम तथा गलत तरीके से और जबरन ग्रहण की गई सम्पत्ति को वापिस किए जाने की मांग की ।

(ग) कोयला खान प्राधिकारी के परामर्श से शिकायत की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में नौसैनिक प्रशिक्षण (नावल बायाज) केन्द्र

7634. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के चिलका स्थान पर प्रस्तावित नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यक्रम क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तल्चर स्थित दौलबेड़ा कोयला खान में मजदूरों की मृत्यु

7635. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1973 को उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में तल्चर स्थित दौलबेड़ा कोयला खान में घटी दुर्घटना में दो मजदूर मर गए थे तथा तीन को चोटें आई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) महानिदेशक, खान सुरक्षा (श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन) द्वारा किए गए अन्वेषण की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

बर्मा से विस्थापित हुए श्रमिकों का उपयोग

7636. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा इण्डियन एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि बर्मा से विस्थापित हुए श्रमिकों का उपयोग अधिक खाद्यान्न, फल, तिलहन और सब्जियां उगाने के लिए किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कर्मचारियों का अन्त अनुभागीय स्थानान्तरण

7637. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि

(क) क्या हैड क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर जिवीजन क्लर्क कर्मचारियों का अन्तः अनुभागीय स्थानान्तरण के बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के सम्मेलन में जो निर्णय किया गया था और जिसे केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को इसकी क्रियान्विति के लिए प्रेषित किया गया, उस निर्णय का पालन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार द्वारा नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्गों के अन्तर्गत आने वाले बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एक ही सीट पर दो वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उनका अभी तक स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है:--

(क) और (ख) जनवरी, 1972 में हुए सातवें क्षेत्रीय आयुक्तों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार के सात मुख्य लिपिकों और अनेक लिपिकों को पहले ही एक से दूसरी सीट पर और एक अनुभाग से दूसरे में बदला गया है । क्षेत्रीय कार्यालय की अविरामता और कार्य दक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कुछ और कर्मचारीयों को क्रमिक ढंग से स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां भी की जा रही हैं ।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत लगाया गया हर्जाना

7638. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों द्वारा देर से जमा कराई गई राशि पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लगाया गया हर्जाना बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर कम किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितने मामलों में अभी तक ऐसे हर्जानों को कम किया है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपने खातेदारों को कम की गई हर्जानों की राशि की तुलना में अधिक दर से ब्याज देने के कारण लाखों रुपयों की हानि हुई है और इस बारे में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है । वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

बिहार राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को क्रियान्वित करना

7639. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कितने संस्थापनों कारखानों, खानों को लाया गया है और बिहार में उसके अन्तर्गत अब तक क्या योजना बनाई गई है;

(ख) कितने कारखानों, संस्थापनों और खानों को इसके क्षेत्राधिकार से अब तक अलग किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं और इनको कब अलग किया गया था;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत उपबन्ध से कितने संस्थापनों, कारखानों, खानों को छूट दी गई है; और

(घ) क्या अलग किए गए तथा छूट दिए गए यूनिटों को इसके क्षेत्राधिकार में पुनः लाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:--

(क) 1-4-1973 को 1966 ।

(ख) [अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत 6 प्रतिष्ठानों सहित] 1-4-1973 को 238 । इन प्रतिष्ठानों के ब्यौरे, जिनमें उन्हें अधिनियम के क्षेत्राधिकार से अलग करने के कारण और तारीखें दर्शाई गई हैं, विवरण में दिए गए हैं । शेष प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना जो लगभग 21 वर्षों की अवधि से सम्बन्धित है, उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 6 ।

(घ) भविष्य निधि निरीक्षकों को समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे इन मामलों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम/कर्मचारी भविष्य निधि योजना की प्रयोज्यता की पुनः जांच करें ।

विवरण

अवकूटन किए गए प्रतिष्ठानों/कारखानों/एककों की सूची

क्रमांक	कोड सं०	प्रतिष्ठान/कारखानों के नाम	रिलीज की तारीख	कारण
1.	बी०आर०/82	मैसर्स दोकानिया गुलवेनाइजिंग वर्क्स गिरिडिह, हजारीबाग	31-3-60	कर्मचारियों की संख्या 50 से कम थी (अब सम्मिलित कर लिए गए) ।
2.	बी०आर०/380	मैसर्स लक्ष्मी प्रसाद कासावाधा शेल्लाक फैक्टरी, टंडवा, पलामू	25-9-62	कर्मचारियों की संख्या 50 से कम थी ।
3.	बी०आर०/381	मैसर्स शम्भुलाल मनोहरलाल, डाकघर मुर्हा, जिला रांची	6-5-60	कर्मचारियों की संख्या 50 से कम थी ।
4.	बी०आर०/574	पाथेश्वरी बेकरी, महेन्द्र, पटना-6	17-5-61	अनुसूचित शीर्षक के अन्तर्गत उस समय शामिल करने योग्य न था । अब शामिल कर लिया गया है ।
5.	बी०आर०/383	मैसर्स पाकुर लाख फैक्टरी, हरिन्दडांगा बाजार, पाकुर (एस०पी०)	1-12-59	कर्मचारियों की संख्या 50 से कम थी ।
6.	बी०आर०/664	मैसर्स दुमका राईस एण्ड आयल मिल्स, दुमका, संथाल परगना	30-6-62	इस समय उपलब्ध नहीं है।
7.	बी०आर०/1031	मैसर्स रहमानिया होटल, सब्जी बाग, पटना-4	8-10-64	कर्मचारी 20 से कम थे ।
8.	बी०आर०/860	मैसर्स माडल डेरी, डिगा घाट, पटना	31-7-62	मुख्य कार्यालय बम्बई क्षेत्र में सम्मिलित है।
9.	बी०आर०/1438	मैसर्स पटना सीटी बाल्टी निर्माण उद्योग सहयोग समिति लि०, गुरु गोविन्द पथ, पटना-8	23-6-68	गलत रूप से सम्मिलित ।
10.	बी०आर०/1461	मैसर्स प्यारचन्द मोदी रामचन्द्रा झुमरीतेलैया, हजारीबाग	27-2-69	कर्मचारी 20 से कम थे।

विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिये गोदावरी जल मोड़ योजना

7640. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए बनाई गई गोदावरी जल मोड़ योजना को आरम्भ करने के लिए अविलम्ब सहायतार्थ आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपना अनुरोध फिर दोहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को मानने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की क्षमता तथा प्राडक्ट मिक्स के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है । पानी की सप्लाई के लिए बनाई गई पूर्व योजना में परामर्श-दाताओं के परामर्श से समुचित संशोधन करने पड़ेंगे । परामर्शदाता इस योजना के प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के बारे में भी बतायेंगे । आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव

7641. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 30 लाख टन करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या यह संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी जानकारी उपकरण और मशीनरी से स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजना, जिसमें 20 लाख टन पिण्ड के समतुल्य इस्पातयुक्त उत्पादों के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी, के लिए तैयार किए गए तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन में परामर्शदाताओं ने बताया था कि इस प्रायोजना पर बहुत अधिक खर्च आएगा और इस पर काफी अनुवर्ती हानियां होंगी । इसकी पूंजीगत तथा परिचालन लागत को कम करने तथा इसकी मितव्ययिता में सुधार लाने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था । इस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश कमी थी कि 2,000 घन मीटर से अधिक क्षमता की धमन भट्टियां लगाई जाएं जो अधिक मितव्ययी होंगी । बोकारो, जहां हाल में ही 2,000 घन मीटर क्षमता की धमन भट्टी चालू की गई थी, में हुए अनुभवों के आधार पर इस अध्ययन दल की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है । इस कारखाने की क्षमता, प्राडक्ट मिक्स, पूंजीगत तथा परिचालन लागत के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है ।

(ख) यद्यपि इस कारखाने का रुपांकन तथा इंजीनियरी कार्य भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा किया जाएगा । कुछ उपकरणों के आयात के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जाएगा जिससे यह परियोजना समय पर चालू की जा सके ।

आयातित रोड रोलरों का गुजरात को आवंटन

7642. **श्री डी० बी० जदेजा**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान आयात किए गए रोड रोलरों में से कितने रोड रोलर गुजरात राज्य को सप्लाई किए गए ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चूंकि 1971–72 तथा 1972–73 के वर्षों में रोड रोलरों का कोई आयात नहीं किया गया था इसलिए उन वर्षों में गुजरात राज्य को किसी आयातित रोड रोलर की सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

एयरोनाटिकल सोसाइटी आफ इंडिया, बंगलौर द्वारा रजत जयंती मनाना

7643. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरोनाटिकल सोसाइटी आफ इण्डिया ने 9 मार्च से 12 मार्च, 1973 तक बंगलौर में अपनी रजत जयन्ती मनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर में दिखाई गई वस्तुओं को देश के व्यापक हित के लिए दिल्ली में प्रदर्शित करने का है ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्। सोसाइटी ने 9 से 11 मार्च 1973 तक बंगलौर में अपनी रजत जयन्ती मनाई थी और उस सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था ।

(ख) माननीय सदस्य के सुझाव पर इस क्षेत्र में उद्योग तथा सहायक संस्थाओं के परामर्श से विचार किया जाएगा ।

Meeting between officers of Ministry and Railways regarding transportation of coal

7644. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether officers of his Ministry had a meeting with the Railway officers on or a bout 14th March and asked them to arrange transportation of coal to the various States as early as possible; and

(b) if so, the decisions arrived at the said meeting?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) There was a meeting on the 14th March 1973, at New Delhi, taken by this Ministry with the representatives of the Ministry of Railways and the various State Governments/Union Territories to discuss the question of setting up of coal dumps at selected centres all over the country.

(b) There was agreement in principle to the coal dump proposal, which envisaged movement of coal, soft coke etc., in full rakes to selected destinations in the different State from where coal would be distributed to small consumers either by the State Government/ Union Territories or through their agents, having regard to the local circumstances. It was also decided that details of the scheme would be worked out in separate meetings to be held between the representatives of the State Governments, the Railways etc.

संयुक्त कार्मिक संघ परिषद् को व्यापक बनाना

7645. **श्री मधु दण्डवते**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वतमान संयुक्त कार्मिक संघ परिषद् को व्यापक बनाने का कोई प्रयास है ताकि केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन को इसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सके जो कि परिषद् में अभी तक शामिल नहीं है; और

(ख) यह परिषद् श्रमजीवी वर्ग के हित में क्या भूमिका निभायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, यह परिषद् श्रमिक वर्ग में एकता लाने और श्रमिक वर्ग की बेहतर दशाओं के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन कार्रवाई करने की दृष्टि से बनाई गई ।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत करना

7646. **श्री मधु दंडवते**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के सम्मेलन ने सरकार को कोई मांगपत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सरकार को इस प्रकार के किसी सम्मेलन की कोई जानकारी नहीं है और न कोई "मांगपत्र" ही प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टाटा स्टील, जमशेदपुर के पर्सोनल डिवीजन की रजत जयन्ती पर विचार गोष्ठी

7647. **श्री डी० के० पंडा**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर में टाटा स्टील के पर्सोनल डिवीजन की रजत जयन्ती के अवसर पर 25 मार्च, 1973 को शान्ति उत्पादकता और प्रगति के लिए प्रबन्ध व्यवस्था पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार गोष्ठी में क्या विशेष विचार व्यक्त किए गए तथा सुझाव दिए गए तथा देश में स्थायी औद्योगिक शान्ति तथा प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं; और

(ग) सरकार की उक्त विचारों और सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

अम्बाझारी रक्षा परियोजना, नागपुर को चालू करना

7648. **श्री जे० जी० कदम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाझारी रक्षा परियोजना, जिला नागपुर, कब चालू की गई थी;

(ख) क्या इसने पूरी क्षमता पर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है; और

(ग) क्या रिहायशी उद्देश्यों से बनाई गई सभी इमारतें उपयोग में लाई जा रही हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) परियोजना के लिए सरकारी मंजूरी दो भागों में जारी की गई थी। सिविल निर्माण 1963 में मंजूर किया गया था और संयंत्र तथा मशीनरी 1966 में ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) 2677 आवासीय भवनों में से 2465 का अभी तक उपयोग किया गया है ।

नई दिल्ली में बंगलादेश दूतावास के भवन के लिए भूमि का आवंटन

7649. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास का भवन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सम्पत्ति थी ;

(ख) क्या पाकिस्तान का एक बड़ा भाग इस बीच अलग होकर बंगला देश गणराज्य बन गया है;

(ग) क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त भवन का कोई भाग बंगलादेश को मिलेगा ; और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बंगलादेश सरकार को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में अपने दूतावास के लिए भवन का निर्माण करने हेतु कोई अन्य उपयुक्त भूमि आवंटित की गई है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह एक ऐसा मामला है जिसे पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सरकारों को परस्पर तय करना है ।

(घ) बंगलादेश सरकार को डिप्लोमेटिक इनक्लेव के विस्तार क्षेत्र में राजदूत प्लांट सं० 7,8 तथा 9 देने का प्रस्ताव किया गया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कर्मचारियों के निकट संबंधियों को रिहायशी भूखंडों का आवंटन

7650. **श्री वी० मायावन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध के दौरान मारे गये रक्षा कर्मचारियों के निकट संबंधियों ने रिहायशी भूखंडों के आवंटन हेतु रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं; और

(ग) उन राज्य सरकारों ने जिन राज्यों से मत अधिकारियों का संबंध रहा है । इन भूखंडों के अलाटियों को क्या सहायता अथवा लाभ दिए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० बी० पटनायक) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिये** संख्या एल०टी० 4846/73]

रोजगार कार्यालय द्वारा सिफारिश किये गए व्यक्तियों को रोजगार

7651. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 22 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर में उल्लिखित कुछ मामलों की यह जानने के लिए जांच करवाई है कि क्या संबंधित नियोक्ताओं का इन मामलों में गलत आशय तो नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई नमूना-जांच नहीं की गई । तथापि, इस विभाग को अब तक भेजे गये मामलों की जांच से किसी भी नियोजक के गलत आशय का पता नहीं चला है ।

Additional Appointments by Indian Missions Abroad for performing Hindi work

7652. Shri Narendra Singh Bisht: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some additonal appointments have been made by Indian Embassies abroad for performing Hindi work; and

(b) if so, an account thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Two Hindi Officers in the pay-scale of Rs. 700-1250 have been appointed in our High Commissions in Port Louis (Mauritius) and Suva (Fiji). One Hindi PA in the pay-scale of Rs. 210-530 has been posted in our High Commission in Suva.

शार्ट सर्विस कमीशन

7654. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शार्ट सर्विस कमीशन के लिए अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अवसरों की संख्या काट कर तीन कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, विशेषकर जबकि पहले अवसर के उपरान्त अभ्यर्थी यात्रा आदि का खर्चा स्वयं उठाता है ; और

(ग) क्या अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए देश के स्वस्थ शरीर वाले नवयुवकों को प्रोत्साहन देने को दृष्टि में रख कर सरकार स्थिति का पुनरीक्षण करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग) जी हां श्रीमन्। क्योंकि यह निर्णय हाल ही में किया गया है अतः इस अवस्था में पुनरीक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) (1) सेना में कमीशन पद पर पहुंचने के लिए अभ्यार्थियों में साहस, कमान क्षमता आदि जैसे आवश्यक प्रारम्भिक गुणों की सर्विस सेलेक्शन बोर्ड प्रक्रिया के माध्यम से शार्ट सर्विस कमीशन के लिए जांच से पहले अवसर में भी सही मूल्यांकन हो जाता है। अतः बार-बार आने वाले अभ्यर्थी सेलेक्शन के लिए अपने दूसरे तथा तीसरे प्रयासों में बहुत अधिक सुधार नहीं ला पाते हैं।

(2) अनुभव से ऐसा पाया गया है कि जो अभ्यर्थी तीन प्रयासों में असफल हो गये हैं वे उसके पश्चात् भी सफल नहीं हुए हैं।

(3) सर्विस सेलेक्शन बोर्ड प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थी को जांचने पर खर्च में केवल यात्रा खर्च ही नहीं होता है बल्कि भोजन, सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के कर्मचारियों का भरणपोषण आदि जैसे संगठनात्मक अन्य भारी खर्च भी होता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हजारीबाग, बिहार में दंगों के समाचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : **मैं गृह मंत्री** का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'हजारीबाग में दंगों और उनके परिणामस्वरूप दुर्बल वर्गों के अनेक व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार"

गृह मंत्रालय में और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : सरकार को हजारीबाग में और उसके आस पास हाल में हुए दंगों पर अति खेद है। इस महीने की 12 तारीख को हजारीबाग के निकट पेटवाल गांव में निकाले गये राम नवमी के जुलूस के समय फसाद शुरू हुए, जिसके परिणामस्वरूप हजारीबाग कस्बे में और उसके आस पास हिंसा तथा आगजनी की घटनायें हुईं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 व्यक्तियों की जानें गईं तथा 36 व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल किया गया। अब तक 300 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कानून के विभिन्न उपबन्धों के अधीन 18 मामले दर्ज किये गये हैं। बताया जाता है कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है और 16 तारीख को शाम के बाद कोई गम्भीर घटना नहीं हुई है। दंगों के बारे में अभी तक पूरा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार के मुख्य मंत्री ने स्वयं हजारीबाग का दौरा किया था। प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। और अन्य उपयुक्त उपाय भी किये गये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने किस प्रकार इतने गम्भीर मामले के बारे में 16 पंक्तियों का एक साधारण-सा वक्तव्य दे दिया है। जिस प्रकार की घटनायें हजारीबाग में हुई हैं इनसे देश में साम्प्रदायिक शक्तियों को प्रश्रय मिलता है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थिति में आरम्भ में ही कठोर कार्यवाही की जाये। जिस धर्म के लोग हताहत होते हैं उस धर्म के लोग दुखी होते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात से दुखी नहीं होता है कि कितने मनुष्यों की हत्या कर दी गई है। अतः सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे साम्प्रदायिक दंगे हमेशा के लिए रुक जायेंगे।

कुछ शरारती तत्व धार्मिक जलुसों का अनुचित कार्यों के लिये उपयोग करते हैं । प्रधान मंत्री ने इस बात का भी संकेत दिया है कि इन दंगों के पीछे विदेशी एजेंसियों का भी हाथ रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हजारीबाग तथा कितने अन्य स्थानों पर विदेशी एजेंसियों का किस सीमा तक हाथ है। जब कभी इस प्रकार के खतरनाक साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उनमें निर्धन हिन्दू और मुसलमान मारे जाते हैं। अमीर लोगों पर कोई आंच नहीं आती । इस मामले के पीछे भी यदि किसी लखपति का हाथ हो या और भी कुछ लोगों का हाथ हो। इसलिये इस समस्या की जांच की जानी चाहिए ।

मुझे पता चला है कि बंगला देश के कुछ लोग भारत में आ गये हैं और हजारीबाग जैसे स्थानों पर बस गये हैं। पाकिस्तान समर्थक ये तत्व उकसाने का काम करते रहे हैं और वही साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार हैं। रामनवमी के अवसर पर जलूस पर जो आक्रमण किया गया था वह एक घटना प्रतीत होती है। जिन लोगों ने दंगे करवाये हैं उनके लिये धर्म या विश्वास का प्रश्न ही नहीं है, वे असन्तुष्ट तत्व हैं। वे बंगलादेश में पराजित होने का यहां बदला लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस जानकारी की पुष्टि करें या इसका खंडन करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है । इस मामले के साथ निपटने में वहां की सरकार और पुलिस बुरी तरह असफल रही है। समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि जलूस से दो दिन पूर्व रिक्शा चलाने वाले दो व्यक्तियों ने बताया था कि वह दो दिन बाद वहां पर नहीं आयेंगे क्योंकि हजारीबाग में लोगों की हत्या की जायेगी। इससे स्पष्ट है कि यह काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। 12 अप्रैल को जलूस पर आक्रमण किया गया। छुरेबाजी की घटना 15 अप्रैल को हुई। 13 अप्रैल से छोटा नागपुर डिवीजन का आयुक्त और सदर्न रेंज का पुलिस का उप-महानिरीक्षक तथा पुलिस के अन्य अधिकारी हजारीबाग में ही ठहरे हुए थे । क्या उन्हें शरारती तत्वों के गतिविधियों की कोई जानकारी न थी ?

क्या यह सच है कि देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाने में वे भी निहित स्वार्थों के साथ गठबन्धन किये हुए थे ? मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाई गई गैर-जिम्मेदारी का क्या कारण था ?

साम्प्रदायिक तत्वों के साथ निपटने के बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद तथा कुछ अन्य एजेन्सियों ने कुछ अल्पावधि और कुछ दीर्घावधि उपायों का सुझाव दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सुझावों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यह कहना ठीक नहीं है कि मेरे वक्तव्य का आकार छोटा होने का कारण यह है कि हम साम्प्रदायिक घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते हैं। हमने राज्य के प्रशासन से पूछताछ करके सभा को जानकारी दी है। बिहार में अब भी स्थिति तनावपूर्ण है और अभी पूरे तत्वों का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार की स्थिति के साथ निपटने के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये हम पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि देश की मिश्रित संस्कृति पर जोर दिया जा सके। राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया गया है। अब भी हम राष्ट्रीय एकता परिषद की व्यवस्था को सक्रिय बनाने पर विचार कर रहे हैं।

इस अवस्था में यह कहना बहुत कठिन है कि इन दंगों के पीछे किसी विदेशी एजेंसीयों का हाथ है या बंगाल से आये असंतुष्ट लोग इनके लिये जिम्मेदार है। हमें अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये हमने एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को वहाँ पर भेजा हुआ है।

जहां तक सरकार और पुलिस की असफलता का सम्बन्ध है, राज्य सरकार और विशेषकर जिला प्रशासन को उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति की जानकारी थी। 12 अप्रैल को भी वहां पुलिस का एक दल और एक मजिस्ट्रेट घटनास्थल पर मौजूद थे परन्तु स्थिति के साथ निपटने के लिये उनकी संख्या पर्याप्त न थी। बाद में दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये और स्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास किया था।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ समय पूर्व हमारे देश की प्रधान मंत्री ने भी साम्प्रदायिक दंगों में विदेशी एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया था। इस बात को लगभग 6 महीने हो गये हैं। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि इस अवधि में तत्सम्बन्धी जानकारी एकत्र न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : यदि माननीय सदस्य का विदेशी एजेंसी से तात्पर्य बंगला देश के असन्तुष्ट तत्वों से है तो मैंने उसका उत्तर दे दिया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस घटना में किसी विदेशी तत्व का हाथ नहीं है।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : Sir, such incidents do not occur all of a sudden. The police officers should take early action to see that such evils are nipped in the bud. A piece of land of a school was illegally occupied and civil suit was filed by the Government. Order of eviction was passed in that case. When a procession was taken out on the occasion of Ram Naumi, the same was attacked in which many people were killed. Thereafter a chain of events took place in which many people lost their lives and shops were looted. Hazaribagh has special importance because 50 thousand Bengali refugees have been living there and a great number of Pakistani Prisoners of war are also staying there. It is for the seventh time in three years that such incidents have exupted in this area. Inspite of all this police officers have remained mere silent spectators and took no preventive action. Shri Shanker Dayal Singh M.P. has told the Prime Minister that disgruntled Bihari Muslims are responsible for these incidents. For how long we shall continue to face these communal riots ? If Jan Sangh party is responsible for instigating these riots why this party is not banned ? (*Interruptions*)

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : On a point of order, Sir. Wherever disturbances take place, Jan Sangh is held responsible for the same. Let the hon'ble Minister of Home Affairs place the facts before this House or such remarks should not be allowed to be passed.

Mr. Speaker : The hon'ble Members should not say such things. They should ask categorical questions.

Shri Shrikishan Modi : I wanted to say that such persons should not be dealt with leniently who instigate people as a result of which the poor and the innocent are killed in the riots. I want to know whether it is a fact that C.I.A. is responsible for these riots? Let the Government make the position clear.

I welcome the steps being taken to revise the text books of schools. I would suggest that character building should be taught as a compulsory subject right from the beginning.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is a fact that there is background of a land dispute which has been going on for quite some time and Hazaribagh is one of the districts in which communal tension has deep roots. The State Government had the prognostication of the disturbances on the occasion of Ram Naumi and therefore a Magistrate was posted there. When the disturbances started, the Magistrate was present there and he was accompanied by some police personnel also and the administration took all possible steps to deal with the situation. When the disturbances took serious turn, B.S.F. was called and the same is posted there even today. We shall however consider the suggestion of teaching character building as compulsory subject alongwise other suggestions made by the hon'ble Member.

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : बंगला देश बन जाने के बाद भी हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे बन्द नहीं हुए। शासक दल प्रान्तीय एवं संकीर्ण भावनाओं को प्रोत्साहन देती है। सरकार साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफल रही है। जब वह आर्थिक समस्याओं को हल करने में असफल हो गई तो उन्होंने 'सन आफ दी साइन' का नारा लगाना आरम्भ किया। आसाम, आन्ध्र प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। हजारीबाग में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों और घायल हुए व्यक्तियों को क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये देने का निर्णय किया गया है जोकि बिल्कुल अपर्याप्त है। दंगों से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जनता के सहयोग के बिना केवल पुलिस और सीमा सुरक्षा बल से यह समस्या हल नहीं हो सकती। अतः सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

श्री राम निवास मिर्धा: मैं माननीय सदस्य के इस आरोप का खंडन करता हूं कि सरकार और कांग्रेस दल संकीर्णतावाद और प्रान्तीयता की भावनाओं को प्रोत्साहन देता है। वस्तुतः सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार और कांग्रेस दल ने हमेशा व्यापक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। जहां तक मृत व्यक्तियों के शव मिलने और मुआवजे के बारे में जानकारी का सम्बन्ध है, मेरे पास सम्पूण जानकारी नहीं है अतः मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता। अब स्थिति नियंत्रण में है। मुख्य मंत्री ने स्वयं वहां का दौरा किया है और वह स्वयं लोगों के पुनर्वास के काम की देखरेख कर रहे हैं।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : It has been observed that the situation has always deteriorated after the posting of P.A.C. B.S.F. or C.R.P. They themselves have communal feelings. May I know whether Government are aware of this fact and if so whether any action is proposed to be taken ? Besides these armed forces themselves indulge in looking. This is a dangerous tendency. Whenever curfew was released in Hazaribagh, violence rupted. May I know whether Government will consider the property of givings relaxation is in curfew ? I would also like to know the names of the political parties whose workers have been arrested. I do not want to name but there are political parties in our country which provoke people to indulge in riots. Whatever may be the reasons but such riots do take place. I would like to know whether Government are aware of the people who derive political advantage out of such

riots and the steps Government proposes to take in the matter. A new trend has recently developed as regards Hindu, Muslim riots. In such riots people now plunder others instead of killing them. I want to know whether Governement is aware of their new trend and whether Government will take notice of small regional newspapers which foment Communal feelings. Government should also be visiant about the institutions purely religious nature. What is the view of Government about R.S.S. and Jamait e-Islami two such institution May I know whether Government propose to revive the National Integration Council and whether it will be extended to the state and the Distributor level and whether Government will give compensation to those who have been wounded or to the relatives of those who have been killed in these riots ?

Shri Ram Niwas Mirdha:—The Hon Member has expressed his views in general over a member of issues relating to Communal riots. As regards the revival of the National Integration Council, I have already told that we are going to revive it is a new form. I hope the State Governments will also set up such councils at State level and they will deem if necessary to have such integration councils of district levels, also. As regards regional news papers, we keep an eye on them and take action against those papers which are found guilty of creatings communal tension or riots. As regards the Disturbed Areas Special courts Bill, it is before the Select Committee these days. I disagree with the Member when he says that wherever the armed Forces go, they inflame riots instead of pacifying them. I refute this charge. Wherever the C.R.P. or P.A.C. were sent they did their job of restoring the peace in disturbed areas.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : हर जगह पुलिस के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं।

Shri Jharkhande Rai : In Aligarh. Banaras and Firozabad communal riots spread after P.A.C. reached there to control the situation.

Shri Ram Niwas Mirdha: Incidents take place when curfew is released and it is with in the powers of the local authorities to decide whether the curfew should be lifted or released and they decide to it after taking into consideration the exising circumstances. In the end I would like to say that we all should make efforts to create an atmosphere in the country in which such incidents may not take place.

लोक सभा में एक सदस्य द्वारा दिये गये भाषण का "हिन्दुस्तान" मे गलत ढंग से प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE MISREPRESENTATION OF THE SPEECH OF A MEMBER IN LOK SABHA BY "HINDUSTAN"

अध्यक्ष महोदय :· मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राज्य सभा के सभापति से 2 अप्रैल 1973 का निम्न पत्र मिला है :

"राज्य सभा की 31 मार्च 1973 की बैठक में श्री विभूति मिश्र संसद् सदस्य के उस भाषण पर, जो उन्होंने, 30 मार्च 1973 को राज्य सभा को समाप्त करने विषयक संकल्प को पेश

करते हुए दिया था और जिसका समाचार 31 मार्च, 1973 के हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान में "राज्य सभा राजनीतिक भ्रष्टाचार का केन्द्र–विभूति मिश्र" शीर्षक से छपा था, चर्चा हुई थी। मैं आपके विचारार्थ उस दिन राज्य सभा की कार्यवाही सारांश के सम्बद्ध उद्धरण जिसमें मेरी टिप्पणियां भी सम्मिलित हैं, आपके पास भेज रहा हूं ताकि आप इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर सकें। आप निःसंदेह मेरे इस मत से सहमत होंगे कि दोनों सदन और उनके सदस्यों को एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिये और दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होने चाहियें। मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप इस मामले में जो कार्यवाही करें उससे मुझे अवगत कराने की कृपा करेंगे।

2. मैंने राज्य सभा के सभापति को 5 अप्रैल, 1973 को निम्न पत्र लिखा :

".....मैंने (लोक सभा की 30 मार्च, 1973 की साइकिलोस्टाइल्ड वाद-विवाद में श्री विभूति मिश्र के भाषण को पढ़ा है। उससे पता लगता है कि श्री विभूति मिश्र ने अपने भाषण में वह बात नहीं कही है जो समाचार पत्र में उनके नाम से छाप दी गई है। उस दिन के वाद-विवाद की एक प्रति मैं आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। दोनों सदनों और उनके सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों के बारे में मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

यह स्पष्ट है कि समाचार पत्र ने गलत शीर्षक दिया है। इस सम्बन्ध में हम समाचार पत्र के सम्पादक से बातचीत कर रहे हैं।

आप की सभा के सदस्यों ने इस विषय पर जो चिन्ता व्यक्त की है उसकी मैं सराहना करता हूं। आप उन्हें लोक सभा और मेरी ओर से यह आश्वासन दें कि हमारे मन में उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान है।

3. 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक को भी इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं। 16 अप्रैल, 1973 को उसने मुझे निम्नलिखित पत्र लिखा :

"श्री विभूति मिश्र, संसद् सदस्य ने लोक सभा में अपने भाषण में यह नहीं कहा था कि "राज्य सभा राजनीतिक भ्रष्टाचार का केन्द्र है"। अतः यह शीर्षक "राज्य सभा राजनीतिक भ्रष्टाचार का केन्द्र––विभूति मिश्र" इस दृष्टि से गलत है कि यह ऐसा लगता है जैसे विभूति मिश्र ने यह कहा हो। गलती इस प्रकार हुई। श्री एस० एम० बनर्जी जो श्री विभूति मिश्र के बाद बोले थे, ने यह शब्द कहे थे जो शीर्षक में दिये गये हैं। जिस रिपोर्टर ने कार्यवाही नोट की उसने यह अन्तर नहीं किया कि उनमें शब्द किस ने कहे। वस्तुतः ये शब्द एस० एम० बनर्जी ने कहे थे किन्तु 'हिन्दुस्तान' में ऐसा लिख दिया गया जैसा कि ये शब्द विभूति मिश्र ने कहे हों। किन्तु गलती का पता तत्काल लग गया और 2 अप्रल, 1973 के 'हिन्दुस्तान' में इसकी शुद्धि प्रथम पृष्ठ पर उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाशित की गई जैसा कि मूल समाचार प्रकाशित किया गया था। यह मैं मानता हूं कि वास्तव में यह गलती थी और रिपोर्टर द्वारा श्री एस० एम० बनर्जी के भाषण को श्री विभूति मिश्र का भाषण समझ लेने के कारण हुई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण गलती के लिये मैं क्षमा मांगता हूं।

अन्त में, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकारी रिपोर्ट में लिखित श्री एस० एम० बनर्जी के उक्त शब्दों के बारे में यह स्पष्ट कर दें कि श्री बनर्जी ने ये शब्द उस ढंग का उल्लेख करते हुए किये थे जिस ढंग से राज्य सभा के कुछ सदस्य अपने वर्तमान पदों तक पहुंचे हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध करता हूं कि वह समाचार पत्र द्वारा की गई इस गलती के लिये क्षमा प्रदान करें।"

समाचार पत्र के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण और उसके द्वारा जारी की गई शुद्धि के सन्दर्भ में यदि सभा चाहे तो इस मामले को यहां ही समाप्त कर दिया जाये। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है। मैं राज्य सभा के सभापति को भी इस बारे में सूचित कर दूंगा।

इस अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे सभी संयम रखें और इस सभा में कोई ऐसी बात न कहें जो राज्य सभा और इस सभा में भेदभाव पैदा करे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बोकारो इस्पात लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं श्री एम० मोहन कुमारमंगलम् की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) बोकारो इस्पात लिमिटेड के वर्ष 19721-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोकारो इस्पात लिमिटेड का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 4836/73]

(2) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्कस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्कस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 4837/73]

सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या स०आ० 959 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 4838/73]

खनिज रियासत (संशोधन) नियम, 1973

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सं० नि० 58 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 4839/73)

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोंधन

AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

सचिव : मैं निदेश 109 से 112 का लोप करने वाले निदेशों सम्बन्धी संशोधनों की एक प्रति तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश 113ग की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

सदस्य की दोषसिद्धि

CONVICTION OF MEMBER

श्री आर० बी० बड़े

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे पुलिस अधीक्षक, पश्चिम निमाड़, खरगोन, मध्य प्रदेश, से दिनांक 14 अप्रैल, 1973 का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है ।

श्री आर० बी० बड़े, सदस्य, लोक सभा को जिन्हें 12 अप्रैल, 1973 को 18.20 बजे नवघाट खेदी (बरवाह) में गेहूं को एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था, 13 अप्रैल, 1973 को मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बरवाह के न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 25 रुपये का जुर्माना न दे सकने के कारण 7 दिन के कारावास का दण्ड दिया गया। सदस्य को उसी दिन मण्डलेश्वर जेल भेज दिया गया "

नियम समिति

RULES COMMITTEE

एक पहला प्रतिवेदन

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुन) :—मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का पहला प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

दो कार्यवाही सारांश

Minutes

श्री शिवनाथ सिंह : नियम समिति की 25 नवम्बर, 1971; 7 और 14 दिसम्बर, 1972, तथा 5 अप्रैल, 1973 को हुई बैठकों के कार्यवाही—सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा राज्यों के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका

PETITION REG : GRIEVANCES OF EMPLOYEES OF THE STATES OF ANDHRA MANIPUR AND ORISSA

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर, और उड़ीसा राज्यों के, जो इस समय राष्ट्रपति के शासनाधीन हैं, कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में सर्वश्री ए० श्रीरामुलु और आई० वी० रामकृष्ण राव द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

एयर इंडिया फ्लाइट की छिप्पू दुर्घटना के बारे में नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. REPORT OF THE INQUIRY COMMISSION ON STOWAWAY INCIDENT ON AIR INDIA FLIGHT

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 9 मार्च, 1973 को मैंने माननीय सदन के सामने 3 मार्च को बम्बई से लन्दन जाने वाली एयर-इण्डिया की उड़ान में तीन व्यक्तियों के बिना टिकट विमान में चढ़ जाने में सफल होने की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया था, और इस बात का उल्लेख किया था कि इस मामले की जांच करने के लिए जाच अयोग अनिनियम' के अन्तर्गत महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के एक जज की नियुक्ति की जा रही है । न्यायमूर्ति श्री विमद लाल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है । रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है। आपको स्मरण होगा कि बिना टिकट यात्रियों की घटना के मामले में एयर इण्डिया और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया था । आयोग की रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए वे तथा अन्य अभिकरण अब और आगे की कार्यवाही करेंगे ।

2. 3 मार्च, 1973 की घटना के उपरान्त सुरक्षात्मक प्रबन्धों को, विशेषकर चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर, सुदृढ़ करने के लिये तुरन्त कार्रवाई की गयी थी, तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का निरीक्षण करने व सुरक्षा सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिये सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों का एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) भी गठित किया गया था । चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल यथाशीघ्र नियुक्त करने का भी निर्णय किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके लिये किसको उत्तरदायी ठहराया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैंने प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रख दी है ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

Matters under Rule 377.

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र तथा विशेषकर नागपुर और मालेगांव की ओर दिलाना चाहता हूं जहां खद्यान्न के अभाव और सूत की कमी के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई है । महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर होती जा रही है । ट्रकों और कारों के लूटने के समाचार आ रहे हैं । जनता को राशन में बहुत कम खाद्यान्न मिल रहा है । नागपुर में हैजा फैला हुआ है । हमें उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह :

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): The incident which took place at Chirkunda situated on the border of Bihar and Bengal is very painful. The mob got Shri Jagdish Narain Chobbey released from Police custody and took him away. There is no law and order there. The Situation is explosive. The Hon. Minister should make statement on it.

अध्यक्ष महोदय : श्री मालंकर

श्री पी० जी० मालंकर (अहमदाबाद) : मैं सरकार का ध्यान अहमदाबाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां 60 हजार कपड़ा कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और 33 मिलें बन्द पड़ी हैं। समस्या यह है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी पिछले 23 दिनों से नियमानुसार-काम पर आन्दोलन कर रहे हैं। धुवरन और अहमदाबाद को अवारीष्ट ईंधन तेल की सप्लाई बन्द कर दी गई है जिसके कारण राज्य सरकार ने समूचे गुजरात में बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी है इससे उत्पादन कम हो गया है और बेरोजगारी फैल गई है ।

यह एक मानवीय भूल हुई है जिसे रोका जा सकता था । इसके लिये सरकारी क्षेत्र का प्रबन्धक वर्ग जिम्मेदार है, प्रधान मंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिये और हस्तक्षेप करना चाहिये ताकि वहां सामान्य स्थिति लाई जा सके ।

अनुदानों की मांगे 1973-74

Demands for Grants---1973-74

कृषि मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : हालांकि कृषि मंत्रालय की मांगों पर बहस निर्धारित समय से अधिक हो गई है परन्तु मैं फिर भी कुछ मदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा, तत्पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कल से तीन दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं । इसलिये वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार दिया जाना चाहिये । यह प्रतिवेदन 40 लाख से अधिक कर्मचारियों से सम्बन्ध रखता है हम अधिवेशन के समाप्त होने से पूर्व इस पर विचार करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पम्पन गौड !

***श्री पम्पन गौडा** (रायचूर) : मैसूर में नदियों के होते हुए भी अभाव की स्थिति व्याप्त है । वर्तमान स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि जनता के लिये इसको सहन करना कठिनतर हो गया है ।

यह एक विडंबना है कि मैसूर में सिंचाई की सुविधायें नगण्य हैं । हमने इसकी पूरी उपेक्षा की है, इस बार में फसल अच्छी होने की संभावना नहीं है, सरकार को चाहिये कि वह सिंचाई के मामले में राज्य सरकार को मदद दे ।

मंत्रालय के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन से पता चलता है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में पूर्णवेक्षा वृद्धि हुई है , परन्तु मक्का, बाजरा आदि जैसे अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, यदि हम इस दिशा में कुछ न कर सकें तो निर्धन व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मेरा सरकार से अनुरोध है कि गेहूं उत्पादकों से समान बाजरा, मक्का, रागी आदि खाद्योन्नों के उत्पादकों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये ।

दालों के उत्पादकों को सहायता देने के लिये आवंटित धन-राशी बहुत कम है । दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है और भूमि की उर्वरकता बढ़ती है । 20 एकड़ भूमि वाले किसानों को कम से कम दो या तीन एकड़ पर दालों का उत्पादन करने को बाध्य करना चाहिये ।

अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक न दिये जायें तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, यह खुशी की बात है कि सरकार ने उर्वरकों के नए कारखाने स्थापित करके इसका उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है । सहकारी समितियां उर्वरकों की सप्लाई करने के मामले में अनियमिततायें बरत रही है। मुझे आशा है कि सरकार इस की जांच करेगी ।

कुछ राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा 10 एकड़ निर्धारित की गईसमितियां जबकि अन्य राज्यों में यह 20 एकड़ है । मेरे विचार में भूमि की अधिकतम सीमा उपज के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। इस सीमा को निर्धारित करने में एकरूपता होनी चाहिये । क्षतिपूर्ति का निर्धारण युक्तिसंगत आधार पर

---

*मूल कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation fot he speech delivered in Kannada.

होना चाहिये । चूंकि अब सरकार ने खाद्यान्नों का थोक-व्यापार अपने हाथ में ले लिया है इसलिये किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिये, इसके अलावा उसे कपड़ा, चीनी, तेल आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध किये जाने चाहिये ।

साप्ताहिक राशन की व्यवस्था से लोगों को राशन लेने में बहुत समय खराब करना पड़ता है। इससे उनमें असंतोष की ही वृद्धि होगी, भूमि के अधिक टुकड़े होने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिये इसे रोका जाना चाहिये ।

खेती में रुचि रखने वालों को भूमि दी जानी चाहिये, खेती के आवश्यक उपकरण तथा खाद, बीज आदि उचित मूल्यों पर दियें जाने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अंकिनीडु प्रसाद राव !

श्री पी० आंकनीडु प्रसाद राव (ओंगोल) :–हालांकि यह मंत्रालय देश को अनगिनत समस्याओं को सुलझाने में अथक परिश्रम कर रहा है किन्तु फिर भी एसी कुछ बातें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

देश में कृपि विश्वविद्यालय प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं परन्तु छोटे किसानों को नई विधियों से परिचित कराने में काफी विलम्ब होता है। यह विलम्ब अक्षम्य है, इसको दूर किया जाना चाहिए । कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्र और विस्तार विभाग में कोई समन्वय नहीं है, अनुसंधान केन्द्रों का विचार है कि उनका काम तो केवल कृषि के नए तरीकों का आविष्कार करना है और तदुतपरान्त विस्तार विभाग की जिम्मेदारी उसका प्रचार करने की है, यह उसका संकुचित दृष्टिकोण है ।

राज्यों का विस्तार विभाग नौकरशाही की बुराइयों से ग्रस्त है, अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त विधियों का प्रचार करने में वे अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। जब इस पर निर्णय लिया जाता है तब वे कृषि क्षेत्रीय कर्मचारियों को इसका प्रचार करने को कहते हैं । ये कर्मचारी कृषि अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त परिणामों को किसानों तक पहुंचाने में पर्याप्त समय लेते हैं। इस प्रकार इसमें बहुत समय लग जाता है। मेरा अनुरोध है कि कृषि विश्वविद्यालयों अनुसंधान केन्द्रों और विस्तार विभागों में समन्वय होना चाहिए जिसमें किसानों को नई विधियों से शीघ्र अवगत कराया जा सके।

हालांकि अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य बहुत अधिक हुआ है परन्तु शुष्क खेती के क्षत्र में ऐसा नहीं हुआ है। देश की अधिकांश भूमि शुष्क खेती के अन्तर्गत आती है। स्वतंत्रता के 20 वर्ष पश्चात् भी हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। ऐसी कोई विधियां नहीं निकाली गई हैं जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त हों, शुष्क खेती वाले क्षेत्रों के किसानों की दशा दयनीय हो गई है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दे।

देश के कुछ भागों के लिए अधिक उपज देने वाली अल्पकालीन फसलों के बारे में काफी अनुसंधान कार्य हुआ है। परन्तु तमिलनाडु आंध्रप्रदेश और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लिए, जहां कि समुद्री तूफान आते रहते हैं, कृषि संबंधी कोई नई विधियां नहीं निकाली गई हैं वहां कृषि संबंधी जो भी सुधार हुआ है वह उर्वरकों के कारण ही संभव हुआ है, मैं सरकार का ध्यान इस ओर

दिलाना चाहता हूं। छोटे किसानों की वास्तविक आय बहुत कम है, सरकार ने इस संबंध में जो आंकड़े बताए हैं वे बड़े किसानों के बारे में है जिन्होंने अपना काला धन कृषि के क्षेत्र में लगाया है।

मैं अनाज व्यापार के सरकारीकरण का स्वागत करता हूं और मेरा अनुरोध है कि छोटे किसानों को उर्वरक बिजली तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कीटनाशक तरीकों का प्रयोग संतोषप्रद नहीं है। जब तक सरकार इस ओर प्रभावशाली कदम नहीं उठाएगी तब तक छोटे किसानों की स्थिति दयनीय बनी रहेगी। अन्त में मेरा सरकार से अनुरोध है कि छोटे किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : श्रीमन्, कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन में कृषि सम्बन्धों के बारे में टास्क फोर्स रिपोर्ट का उल्लेख कहीं भी नहीं है हालांकि मार्च, 1973 में यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी इस स्थिति में जबकि हमने 160 करोड़ रुपये का खाद्यान्न विदेशों से मंगाया है और प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये की राशि ऋण अदायगी के रूप में विदेशों को देनी पड़ती है, कृषि के क्षेत्र में प्रगति होना अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र में प्रगति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि भूमि सुधार क्रियान्वित नहीं किये जाते । बटाईदारी के रूप में काश्तकारी की शोषक प्रथा अभी तक, चालू है। उक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ 79 और 86 पर भूमि सुधारों का उल्लेख किया गया है किन्तु उसमें उड़ीसा राज्य के भूमि सुधारों का बिल्कुल उल्लेख नहीं है । दस एकड़ की अधिकतम सीमा लगाने वाला उड़ीसा भूमि सुधार विधेयक वहां लागू किया जाना चाहिए। भूमि सुधारों के पश्चात् पूरे देश में कृषि में काम आने वाला सभी समान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। विकास और कृषि के लिए उदार शर्तों पर ऋण दिये जाने चाहिए। कृषि सुधारों की सफलता इसी व्यवस्था पर बहुत हद तक आधारित है। फालतू और परती की भूमि भूमिहीनों को वितरित की जाये। परती की भूमि के विकास हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाये।

देश में उर्वरकों का भारी अभाव है। उर्वरकों के वितरण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए न कि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा/सहकारी समितियां बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियां और सेवा समितियां विकसित की जानी चाहिए और उर्वरकों का वितरण इनके माध्यम से होना चाहिए।

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun): Mr. Deputy Speaker, Sir. I congratulate the Agriculture Ministry for their efforts resulting in progress in agricultural sector. But we need more progress in agriculture.

Today agriculture has become an industry and in industry output depends on the investment. Now farmers have changed and they want to cultivate by scientific way; to use modern agricultural machinery and technical know-how with all agricultural inputs. But the difficulty with the farmer is that they donot get agricultural implements and seeds etc. in original form and on reasonable price. They have to pay more for what they require while they get less for what they produce. This is the reason why even sincere farmers are not making as much progress as they should have.

As regards the sugar industry, we have been hearing for the last three or four years that the sugar mills will be nationalised. But no step in this direction has been taken so far. Out of fear of nationalisation the mill-owners are not investing money even in

repairs of the mill and most of them have become sick mills. These mill owners do not make regular payment to the sugar cane producers. For example the Lord Krishna Sugar Mill still has to pay Rs. 60 lakhs to farmers. It should be declared as sick mill and thereafter it must be nationalised so that the farmers may get the price of their sugar cane. Though there are a number of agencies like community development blocks and S.D. Os. (Agriculture) but this time, when the sugarcane crop is attacked by pests in our area no agency came forward to protect the crop.

As regards the forest, the condition of forest is also deplorable. We are getting very low benefit from the forests in comparison to other countries. But the contractors and forest officers have been earning a lot. The weaker sections of the society who live and work in forest are being exploited by the forest contractors and forest officers. Their interests should be protected by Government. Government should pay attention to all these aspects concerning forest. During the month of May 'Khoya' is banned in Delhi and, hits the interests of those remote villagers who could have gained a bit more during this period of scarcity. As regards food grains takeover, I would like to say that it is a step towards socialism and we all should make concerted and serious efforts to make it a success.

Shri Swami Brahmanand ji (Hamirpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Agriculture. Electricity, water and fertilizers are necessary for agriculture so these subjects should also be dealt with by this Ministry. Cow-slaughter should also be banned as cow-dung makes good manure and the sons of cows are used to plough the land.

In my opinion taking over of foodgrains trade is semi-nationalisation of the trade, as the 'Arhar', a kind of pulse is selling at Rs. 150/- per quintal and barley is fetching Rs. 115/ per quintal while the wheat price for sale by producers is fixeed at Rs. 85/- per quintal. This is partial nationalisation of the trade. If you want complete nationalisation the trade of all foodgrains, cement, iron and all other things required by farmers, should be nationalised. Only then the middle men will go off.

No doubt progress has been made on agricultural front. Seeds of improved varieties were supplied and the yield per acre rose to 50 to 60 maunds from 4 maunds. But we should not be content with this progress we should do more progress in agricultural sector. All the things which are needed by the farmers should be made available to them. Tractor repair shops should be opened by Government on short distance so that the farmers are not required to go to distant place for repair. Moreover, tobacco cultivation should be totally banned as it requires irrigation 20 times. With this much water four other crops can be grown. With these words I support the demands of the Agriculture Ministry.

*श्री राफचन्द्रन कडनापल्ली (कासरगोड) : श्रीमन्, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। कृषि की क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है उसके लिए मैं कृषि मंत्रालय को बधाई देता हूं । भारत की प्रगति के लिए कृषि आधार स्तम्भ है। इसलिए इस दिशा में प्रगति की गति तेज की जानी चाहिए।

*मंत्रालय में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malyalam.

कृषकों के सामने आज मुख्य समस्या हैं सिंचाई की । अब हमें वर्षा और नदियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें अधिक नलकूप लगाने चाहिए जिससे अधिक भूमि की सिंचाई हो और अन्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाये। जहां तक अनाज के व्यापार के सरकारीकरण का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि इस काम पर लगे कर्मचारियों को दृढ़ता से काम करना चाहिए और अनाज के समुचित वितरण के लिए और अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी चाहिए।

केरल राज्य के सम्बन्ध में निवेदन है कि वहां मत्स्य उद्योग को विकसित किया जाये तथा अझीकल कासेरगोड और पुथियानगडी में मत्स्य पत्तन की सुविधाएं प्रदान की जायें । सुपारी और नारियल उत्पादकों की कठिनाइयां दूर की जायें। मसाला विकास केन्द्र को होसदुर्ग या कासेरगोड में स्थानान्तरित किया जाये। केरल राज्य में जो भूमि के बेकार पड़ी है, उसे विकसित करके भूमिहीनों में वितरित की जाये। उसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाये निर्धन कृषकों को उदारतापूर्वक. ऋण और रियायती दर पर कृषि उपकरण दिये जाये । यदि ऐसा किया गया तो हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बन जायेंगे।

Shri Onkarlal Berwa (Kota): Sir, it is really a matter to regret that our Government could not make the country self-sufficient in the matter of foodgrains during a span of 25 years. Today 26 districts in Rajasthan are drought affected and people are starving to death there. We should have spent a bit more on agriculture for its development. The wheat trade has been nationalised according to Government. But I think if is bureaucratisation of the trade. Government have allocated a sum of Rs. 600 million for procurement of wheat. May I know whether Government have consulted experts while fixing the procurement price of Rs. 75/- per quintal of wheat? What is the basis for fixing selling price of wheat at Rs. 75/- per quintal,. when the experts say that it should be fixed at the minimum of Rs. 100/- per quintal. I suggest that Government should take into account the total investment in form of his labour and inputs etc. made by the farmers in agriculture while fixing the procurement price for agricultural produce. Moreover, by taking over of food grains trade, about 3 lakhs of people have been put out of job. I suggest Government should employ such persons while recruiting staff for pocuring the wheat.

As regards the position of sugar, the levy sugar, which is 70 per cent of the total sugar, is available only in grams while open market sugar, which is only 30 per cent, is available in bags. At one place the sugar is being sold for Rs. 2 per Kilogram while at another place it is being sold at the rate of Rs. 4 per Kilogram. Sugar and cement are available in black market in as much quantity as is required, but the same are not available at controlled price. In my opinion wheat will also meet the same fate.

It is a matter of shame for Government that Rajasthan has not been completed during last 20 years. A portion of canal about 128 Kilometre in length has been constructed so far and 250 Kilometre long canal still remains to be completed. In the end, I request the Minister to reconsider the procurement price of wheat and to scrap the foodgrains zones.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : श्रीमान, बड़ी संख्या में जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। इससे प्रतीत होता है कि कृषि को कितनी प्राथमिकता प्राप्त है और माननीय सदस्य उसमें कितनी अधिक रुचि लेते हैं । किन्तु बिना तथ्य और

आंकड़ों का आधार लिए उनका यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले 25 वर्षों में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें श्रेय दिया जा सके । हमारे वैज्ञानिकों और किसानों के कृषि के क्षेत्र में जो विकास और सुधार किया है वह गर्व का विषय है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त मंत्रालय के वर्ष 1970-71 के आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धरण देते हुए कहा कि 1970-71 में कृषि उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि 1971-72 में 1.7 प्रतिशत की कमी हुई। इससे ही उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है । कृषि उत्पादन में वर्ष प्रति वर्ष होने वाली घट-बढ़ के आधार पर ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं होता । विश्व के उन्नत से उन्नत देशों में भी कृषि उत्पादन में मौसम आदि के प्रभाव से, घट-बढ़ होती रहती है । पिछले दो वर्षों में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कृषि का उत्पादन घटा है । जहां तक हमें पता है, कृषि की दृष्टि से विकसित रूस और चीन ने गत वर्ष क्रमशः 270 लाख और 60-70 लाख टन अनाज का आयात किया । यदि हमें कृषि उत्पादन का सही मूल्यांकन करना है तो हमें प्रति-वर्ष के आंकड़े न देखकर पिछले दस वर्षों के उत्पादन के औसत आंकड़े देखने चाहिएं। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में हमारे देश में कृषि के उत्पादन में प्रतिवर्ष 2.64 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई । दूसरे, हमें यह देखना चाहिये कि स्वतंत्रता प्राप्ति से बाद क्या हमने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार तैयार हुआ हो।

इसी संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गत 25 वर्षों में हमारी सिंचाई क्षमता 200 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 400 हेक्टेयर हो गई है । वर्ष 1950-51 में उर्वरकों की खपत 70,000 टन थी जो 1971-72 में बढ़कर 26 लाख टन हो गई। वर्ष 1955-56 में संरक्षण कार्य-क्रम के अन्तर्गत 24 लाख हेक्टेयर भूमि आती थी जो 1971-72 में बढ़कर 490 लाख टन हो गई। वर्ष 1960-61 में कुल 31,000 ट्रेक्टर प्रयोग में लाये जाते थे और 1970-71 में ट्रेक्टरों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में काफी कार्य किया है ।

मुझे गेहूं के उत्पादन के बारे में पता चला कि लुधियाना जिले में प्रति हेक्टेयर गेहूं की औसत उपज 33 क्विंटल है जो अमरीका की औसत उपज 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है । अब भारत में गेहूं की औसत उपज 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 14 क्विंटल हो गई है । यदि सभी गेहूं उत्पादक प्रदेशों में गेहूं की औसत उपज पंजाब राज्य जितनी हो जायें तो कोई समस्या ही न रहेगी। जहां तक सिंचाई की समस्या का सम्बन्ध है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भूमिगत जल का भन्डार बहुत अधिक है । उसका उपयोग ठीक ढंग से और शीघ्र किया जाना चाहिये। इससे सिंचाई की समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष कृषि उत्पादन 1020 लाख टन होगा। ठीक आंकड़े, जून और जुलाई में उपलब्ध होंगे। किन्तु मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में हमें ढिलाई नहीं करनी है और निरन्तर ऐसे प्रयास करते रहना है जिनसे कृषि में सुधार हो और भविष्य में कृषि उत्पादन सूखे और बाढ़ों से प्रभावित न होने पाये। खरीफ की फसल के मामले में हम अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

हम रबी की फसल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । पहले दूसरा उत्पादन लगभग 36 प्रतिशत होता था अब वह 44 प्रतिशत के आसपास हो गया है ।

हमने पिछले कुछ वर्षों में सूखे इलाकों में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की है । इससे भी उत्पादन बढ़ने में सहायता मिलेगी ।

पिछले कुछ वर्षों में दालों के उत्पादन में स्थिरता आई है । यह चिन्ता का विषय है । हमारे वैज्ञानिकों ने अरहर और मूंग की दालों के लिये कम समय में फसल होने की किस्म की खोज की है जिससे उपज अधिक होगी ।

वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी हमारी गतिविधियों के लिये निदेश दिये गए हैं । रूई की नई संकर किस्म से वर्ष 1971-72 में 65 लाख से भी अधिक गांठों का उत्पादन हुआ है । मुझे आशा है कि ऐसा पटसन के मामले में भी होगा ।

जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष जिस नीति का हमने अनुसरण किया था उसके अच्छे परिणाम निकले हैं । हमने 36 लाख टन चीनी के उत्पादन की आशा की थी परन्तु उसके 37 लाख टन से भी अधिक होने की संभावना है ।

यह कहना कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिला है और छोटे किसानों को नहीं मिला, उचित नहीं है । बड़ी, मझली और छोटी सिंचाई योजनाओं का लाभ छोटे किसानों को मिला है ।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हमने छोटे किसानों और सीमान्त किसानों की योजना आरम्भ की है । जहां तक सीमान्त और छोटे किसानों को ऋण देने सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है, उन्हें विभिन्न साधनों से लगभग 49 करोड़ रुपये दिये गए हैं ।

हमने ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम आरंभ किये हैं जिन्हें छोटे किसान योजना के लिये 46 जिलों पर और सीमान्त किसान योजना के लिये 41 जिलों पर लागू किया गया है । आगामी वर्षों में इन बातों से छोटे किसानों को और भी लाभ होगा, ऐसी आशा की जाती है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बीजों की नई किस्मों के अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य स्थिर हो गया है । इस बारे में मेरा यह कहना है कि विस्तार सेवाओं के माध्यम से अनुसंधान कार्य किया गया है । अब तक बहुत सी किस्मों की खोज की गई है और उन्हें अनेक राज्यों में ले जाया गया है ।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि हमें सभी सम्बद्ध लोगों का सहयोग मिलेगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, जब अधिक उत्पादन होता है तो उत्पादक और उपभोक्ता थोक व्यापारियों के हाथों तकलीफ उठाते हैं अतः इसी कारण हमें उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सहायता करने के उपाय पर विचार करना पड़ा।

हमने खाद्यान्न के थोक-व्यापार के सरकारी-करण के प्रश्न पर इसमें निहित बातों सहित विचार किया है और यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया गया है। इसके आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रख कर यह निर्णय किया गया है ।

जैसा कि अभी-अभी श्री वसंत साठे ने कहा है कि क्या हम कृषि के काम में आने वाली चीजों और खाद्यान्नों के मुल्यों में समन्वय स्थापित करने जा रहे हैं, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि इस नीति का सबने समर्थन किया है । मुझे बताया गया है कि इस व्यापार को करने वाले कुछ

निहित स्वार्थ चाहते हैं कि हम इस देश में खाद्यान्न वसूल न करने पायें। मैं सभा को सूचना देता हूं कि कल तक गेहूं कि हमारी वसूली 50,000 टन थी और हमें आशा है कि 80 लाख टन गेहूं का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे पूरा कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि जब मोटे अनाज अधिक कीमत पर मिलते हैं तो गेहूं को सस्ती कीमत पर क्यों बेचा जाये? चोर बाजारी में गेहूं भी अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। हमें इस प्रकार की गतिविधि को रोकना है।

हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि किसान खेती में जो जो चीजें लगाता है वे चीजें उस उचित दामों पर मिले। इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है कि किसानों की, जहां तक संभव हो, सहायता की जाये।

हमने खुदरा व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दे दी है। वे मंडियों से माल खरीदेंगे और उन्हें एक लाइसेंस दिया जायेगा, जिस लाइसेंस के अन्तर्गत वे किसी विशेष दिन जितना माल खरीदेंगे, जितना स्टाक उन्हें रखने की अनुमति होगी और जिस मूल्य पर वे उपभोक्ताओं को बेचेंगे आदि सब लिख कर दिया दिखाया जायेगा। वे यदि किसानों से सीधे अधिक मूल्य पर माल खरीदेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उपभोक्ता को उन्हें उसी माल को उचित मूल्य की दुकान की दर के लगभग दर पर बेचना पड़ेगा। इन मामलों से निपटना है अतः इस नीति की सफलता के लिये मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य सहयोग करने की कोशिश करेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी-अभी पूछा है कि स्टाक रखने वाले थोक-व्यापारियों के लिये राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, मैं सभा को सूचित करता हूं कि हमने राज्य सरकारों को निदेश दे दिये हैं कि वे उन व्यापारियों को समयावधि बता दें जिसके भीतर-भीतर वे अपने स्टाक का निपटान कर दें। ऐसा न करने पर राज्य सरकारों को उस स्टाक को अपने हाथ में लेकर उचित दर की दुकानों के माध्यम से वसूली मूल्य पर उसका वितरण कर दें।

भूमि सुधार के मामले में लगभग 14 राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा बताये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस दिशा में कार्य आरंभ किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के विधेयक सरकार के पास विचाराधीन हैं।

एक माननीय सदस्य ने उड़ीसा के बारे में प्रश्न उठाया। मैंने अभी राज्यपाल से सुना है कि यहां एक विधेयक पारित किया जाये और इस मामले में हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे।

आज प्रातः काल माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि महाराष्ट्र में कुछ कठिनाई है। हम न केवल महाराष्ट्र की ओर ही अपितु गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से बात की थी कि जो कभी उसे जहां तक संभव होगा दूर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के लिये जो 3000 टन से अधिक गेहूं वसूल किया गया है उसके लिए भी विशेष अनुदेश जारी कर दिये गए हैं कि वह गेहूं महाराष्ट्र सरकार को तुरन्त सप्लाई कर दिया जाये ताकि राज्य में वितरित किया जा सके।

चीनी के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या हमने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि हम खराब चीनी मिलों को शूगर मिल्स एसोसियेशन को लेने देंगे? ऐसा कोई आवश्वासन नहीं दिया गया है।

श्री डी० के० पंडा : क्या इस सुझाव को सीधा रद्द कर दिया गया है या नहीं ?

श्री नूरसिंह नारायण पांडे : सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि वह उन्हें अपने हाथ में लेकर उन खराब मिलों को इन लोगों को नहीं देगी।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हम जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब प्रतिवेदन आ जायेगा तो इस मामले में निर्णय किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेना है। यदि मंत्री महोदय 3.30 बजे तक या इससे पहले अपना भाषण समाप्त कर लेंगे तो मैं कुछ माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा जिसका मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद: मैं सभा का विश्वास प्राप्त करता हूं कि हम खरीफ की फसल के लिये बढ़े हुए उत्पादन के लिये एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और हमें आशा है कि वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की सहायता से हमारे लिये यह संभव होगा कि विभिन्न राज्यों को आवश्यक सहायता दी जाये ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें।

जहां तक कृषि का संबन्ध है, यदि हम सिंचाई क्षमता और अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक आदि क्षमता का उपयोग कर सकें तो बहुत अच्छा भविष्य होगा।

उर्वरकों के मामले में अपर्याप्त सप्लाई के कारण हमें कठिनाई हो रही है। किसानों को चाहिये कि उर्वरकों के अलावा देश में उपलब्ध अकार्बनिक खाद का भी प्रयोग करें ताकि यह कठिनाई दूर हो सके।

बिजली की कमी भी हमारे लिये काफी चिंता बनी हुई है परन्तु सिंचाई मंत्री ने बताया है कि इस वर्ष के अन्त तक इस कमी को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए --

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये। एक-एक करके बोलिये। श्री राम सहाय पांडे।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : क्या मछुआ नौकाओं की सहायता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की दिशा में कुछ किया गया है ?

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): All the land reform legislation enacted by the state Governments are not being implemented. Will the Government introduce this work on the pattern of Kerala.

The prices fixed for the sugarcane growers are not satisfactory. Is the Government going to announce new prices from the next year for the benefit of the cane growers.

Thirdly, are the Government going to take over on nationalised the sick-mills in the sugar industry?

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : Is the Government going to introduce crop insurance scheme?

In my constituency the, allotment of lands have been done 99 per cent wrong the landless have not been given land. Will the Government consider to get them cancelled.

श्री निबालकर (कोल्हापुर) : क्या सरकार उन चीनी कारखानों, विशेषकर सहकारी क्षेत्र को बड़ा बनाने की दृष्टि से संभव सहायता देने पर विचार करेगी जो इस समय छोटे हैं परन्तु बड़ा बनना चाहते हैं ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ सके ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : उर्वरकों और चीनी की कमी को देखते हुए क्या सरकार इन दोनों वस्तुओं पर नियंत्रण करेगी । क्या तमिलनाडु में भी गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैसूर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या के स्थायी हल के लिये सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं । इस दिशा में सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार खाद्यान्न का कितना बफर स्टाक बनाना चाहती है? क्या चीनी का भी बफर स्टाक बनाने का विचार है? रबी की फसल के 3 करोड़ टन के अनुमान का क्या आधार है ?

श्री धर्मराव अफजलपुरकर (गुलबर्गा) : मैसूर, विशेषकर उत्तरी जिलों में 25 मार्च, 1973 से खाद्यान्न नहीं है । मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री जी० के० पंडा (भंजनगर) : जांच आयोग के अधिकांश सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए, सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये क्या कर रही है ?

Shri M.C. Daga (Pali): Is it possible for a labourer to feed the members of his family with the earning of 70 or 80 paise per day in drought relief works.

श्री वीरेन्द्र राव (महेन्द्रगढ़) : गांवों की ईंधन की आवश्यकता कैसे पूरी की जायेगी ? चीनी के राशन के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्तर को किस प्रकार से स्पष्ट किया जायेगा ?

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : एफ० सी० आई० में प्रशासनिक जटिलताएं हैं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जोनल कार्यालय नहीं है । क्या इन क्षेत्रों में से किसी एक में जोनल कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी सरकार का कोई प्रस्तावित हैं ?

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): In Madhya Pradesh no farmer is given the bank credit facilities!

Shri Bhagirath Bhanwere (Jhabna): The workers working on drought-relief-works are given 2 Kg. of food grain per head per month, is it possible for them to live?

Will the Government extend relaxation in the matter of procurement from the farmers?

A very low amount has been given to Madhya Pradesh for the drought relief works. Will that amount be increased?

Shri Appalanaidu (Anakapalli): When will the fishing harbour at Vishakhapatnam start functioning?

Shri Narsingh Narayan Pandey (Gorakhpur): Will there be full control on sugar ?

Will a conference of the Chief Ministers be convened to deal with the wholesale dealers who do not dispose of their grains before the fixed dates?

Shri Kale (Jalna) : Out of 9 districts selected in Maharashtra only six were considered. Information may please be given about the remaining three districts?

Shri Ramkanwar (Tonk): Will the foodgrains be given to the small farmers on credit so that they can return that after growing at their farms?

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : Will the Ministry of Agriculture provide additional sources to the states as demanded by them so that they can increase production?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : एक महत्वपूर्ण प्रश्न मछली पकड़ने के विकास के बारे में पूछा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमने गहरे समुद में मछली पकड़ने की 50 नौकाओं का आयात करने का निर्णय किया है जिनमें से दस आ चुकी हैं। माननीय सदस्य को यह भी पता होगा कि हाल ही में करार हुआ है . . .

पोलेंड के साथ यह करार हो जाने के परिणामस्वरूप हमारे देश में मत्स्य पालन उद्योग का और अधिक विकास और विस्तार होगा। मत्स्य पालन स्नातकोत्तर संस्थान में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। गत दस वर्षों में मछली पकड़ने के काम आने वाली मशीनीकृत नौकाओं की संख्या कुछ सौ से बढ़कर 12000 हो गई है। मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए नार्वे से एक बड़ा पोत उपहार स्वरूप मिला है। नौकाओं के आयात के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जितनी नौकाएं आयात की जायेंगी उतनी ही स्वदेशी नौकाएं काम में लानी होंगी।

जहां तक खरीफ फसल में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र से राज्यों को वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा हूं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय इसके लिए वित्तीय सहायता देगा। भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने वाले कानूनों के क्रियान्वयन हेतु केरल और काश्मीर राज्यों ने स्थायी समितियां नियुक्त की हैं। हम यह देख रहे हैं कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन में जनसाधारण का सहयोग कैसे लिया जा सकता है। जहां तक फसल के बीमे का सवाल है, इस सम्बन्ध में कुछ परियोजनाएं परीक्षणार्थ चालू की गई हैं। जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है, उसे 15000 टन गेहूं और 5000 टन माइलो पहले ही आवंटित किया जा चुका है। जहां तक अन्न के सुरक्षित भंडार का सम्बन्ध है, वर्तमान नीति के अनुसार 70 लाख टन का सुरक्षित भंडार रखा जाता है परन्तु हम इसकी मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जहां तक चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का प्रश्न है, उसका अभी प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अभी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चीनी का उत्पादन नहीं कर पाये हैं। गोहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के अनुदेश दे दिये गए हैं। प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती करने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही हम यह चाहते हैं कि अनुसंधान के परिणामों को विस्तार विभाग के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाये। मजूरी के प्रश्न पर भी केन्द्रीय दल ने राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी कार्य को लेंगे।

मुनाफाखोरी निवारण और कीमत नियंत्रण विधेयक

PROFITEERING PREVENTION AND PRICE CONTROL BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Agriculture were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	कृषि विभाग	1,21,88,000
2.	कृषि	70,79,90,000
3.	मनि क्षेत्र .	2,63,34,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	2,78,30,000
5.	वन	4,84 43,000
6.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगी	28,45,94,000
7.	खाद्य विभाग .	134,27,94,000
8.	सामुदायिक विकास विभाग	46,91,18,000
9.	सहकारिता विभाग	2,79,00,000

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादिचरण दास अनुपस्थित।

संविधान संशोधन विधेयक

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्री दंडपाणि के संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): श्रीमान्, मैं श्री दंडपाणि को, जो यह विधेयक लाये हैं, धन्यवाद देता हूं। इसके माध्यम से उन्होंने मंत्री और सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है। उन्होंने समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संविधान के उपबन्धों के अक्रियान्वयन के कारण होने वाली कठिनाइयों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। वस्तुतः मैं श्री दंडपाणि से सहमत नहीं हूं।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwari *in the Chair.*]

श्री दंडपाणि ने अपने विधेयक में अनुच्छेद 46 का उल्लेख किया जिसमें लिखा है कि विभिन्न वर्गों की सेवाओं में भर्ती के समय राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों पर भी विचार किया जायेगा। किन्तु अनुच्छेद 335 में लिखा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को भर्ती के समय ध्यान में रखते हुए इस बात पर भी ध्यान रखा जायेगा कि प्रशासन की कुशलता को भी बनाये रखा जाये। इस प्रकार इस शर्त के लग जाने पर अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 335 में परस्पर विरोधाभास हो गया है। भर्ती करने वाले अधिकारी इस उपबन्ध की आड़ लेकर समाज के दुर्बल अंग का अहित कर सकते हैं। जहां तो सुरक्षित कोटे का सम्बन्ध है विभिन्न राज्यों ने पदों की अलग-अलग प्रतिशतता निर्धारित कर रखी है। जहां 16 प्रतिशत पद आरक्षित हैं वहां उन्हें केवल 8 प्रतिशत पद ही दिये गये हैं। उन्हें समान अवसर नहीं दिये गये हैं। श्री दंडपाणि की बात से पूर्णतः सहमत न होते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को समान अवसर दिये जाने चाहिएं जबकि इसके लिए संविधान में उपबन्ध हैं। सभी राज्यों ने सुरक्षित पदों की प्रतिशतता समान क्यों नहीं रखी है? राज्य सरकार केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धान्त इस समबन्ध में क्यों नहीं मानती हैं? यह भी बताया गया है कि स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी उपक्रमों में भी उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री इन सब बातों की ओर ध्यान दें।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार): सभापति महोदय, श्री दंडपाणि क्या यह विधेयक एक महत्व-पूर्ण विधेयक है। संविधान सभा के नेताओं की यह शुभ इच्छा थी कि दलित वर्ग के सवर्ण जातियों के समकक्ष 10 वर्ष की समयावधि में लाया जाये। किन्तु यह अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है इससे सिद्ध होता है कि सरकार इन लोगों को उच्च जातियों के समकक्ष लाने में असमर्थ रही। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों विशेकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों की रक्षा राज्य करेगा। क्या ऐसा किया गया? यह तो मैं मानता हूं कि इन लोगों का स्तर कुछ ऊंचा हुआ है परन्तु वे सवर्ण

जातियों के समकक्ष नहीं उठ पाये हैं। जहां तक अनुच्छेद 335 का सम्बन्ध यह वंचनापूर्ण है और इससे संविधान निर्माताओं की भावना को ठेस पहुंचती है। इसकी आड़ लेकर नौकरशाही के स्तम्भ यहां तक कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। वे कहते हैं कि ये लोग इतने ऊंचे उठ ही नहीं सकते जितने कि अन्य हैं।

अब मैं आसाम की स्थिति का उल्लेख करूंगा। आसाम के आदिवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में ब्राह्मण और अन्य सवर्ण हिन्दुओं की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में आते हैं। इसका कारण यह है कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने उस क्षेत्र के लोगों को अच्छी शिक्षा दी और उनका मानसिक विकास किया, शोषण नहीं। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने 'सिकस्थ शैड्यूल' घोषित किया हुआ था। उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति प्रवेश-पत्र बिना नहीं थी क्योंकि बाहरी लोग उनका शोषण करते थे।

मैं श्री मिर्धा से अनुरोध करता हूं कि वह अनुच्छेद 335 में संशोधन करायें अथवा इसे समाप्त करायें। अन्यथा अनुच्छेद 16 और 46 का कोई लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नहीं होगा। अनुच्छेद 335 को हटाने के बाद ही इन लोगों के हितों की रक्षा की जा सकती है। मैं इस अनुच्छेद को हटाये जाने का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : चूंकि इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिए दो घंटे का समय और बढ़ाये।

सभापति महोदय : समय दो घंटे और बढ़ा दिया गया है।

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम) : सभापति महोदय, मैं श्री दंडपाणि द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, दलित और दुर्बल वर्गों के हितों की बात कही गई है। वास्तव में ऐसा विधेयक स्वयं सरकार की ओर से आना चाहिए था किन्तु वह तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिखावटी आंसू बहाती है। संविधान का अनुच्छेद 335 इसका सबसे बड़ा सबूत है। प्रधान मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर में यह बताया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण-कार्य में सरकार असफल रही है। यदि समिति की सिफारिशों के अनुसार इन लोगों के लिए आरक्षण के कोटे में वृद्धि कर दी गई थी। किन्तु इन लोगों की दशा अब भी वैसी ही है। यद्यपि प्रत्येक मंत्रालय के इन जातियों और जनजातियों के लोगों की पदोन्नति आदि का विवरण प्रति तिमाही देना चाहिए किन्तु प्रधान मंत्री ने जो विवरण सभा-पटल पर रखा है उसमें यह लिखा है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में सरकार को कितनी सफलता मिली है, यह इसी बात से स्पष्ट है।

इस संदर्भ में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। कुल रिक्त स्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि जो पद इनके लिए आरक्षित किये जाते हैं, यदि वे योग्य उम्मीदवारों के अभाव में भरे नहीं जाते, तो उनका आरक्षण समाप्त

नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनका आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। यदि उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है तो आरक्षण करने की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह इस विधेयक को स्वयं लाये और सभा के सभी पक्षों के सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Mr. Chairman, Sir, Shri Dhandapani has brought a Bill to amend Article 335. There is a spirit behind bringing it. There is a weaker section in our society. Some people are socially and economically oppressed and depressed. They have ever been subjected to exploitation. This Bill has been brought to improve their lot. Our Constitution provides for equal rights and opportunities for all in the spheres of education, employment etc. But in practice it is not so. All are equal, this has not been accepted by the so-called high caste people. Unless there is consciousness among the people, unless they take it for granted that all are equal, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people cannot be brought up to this equal status. When we are mentally prepared to accept them as equal to our status, only then they can be given social justice.

श्री वी० मयावन : माननीय सदस्य को विधेयक पर ही बोलना चाहिए उससे इधर उधर नहीं।

श्री राम सहाय पांडे : समाज में उचित सम्मान मिलना आर्थिक समस्या से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक और सामाजिक समस्याएं परस्पर सम्बद्ध होती है। ये लोग आरक्षण की प्रतिशतता अधिक करने को क्यों कह रहें हैं? इसका कारण यह है कि देश की एक-तिहाई जनसंख्या को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल पा रहा है।

वस्तुत: मैं विधेयक के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। इन लोगों के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित करने की लिए संसद की स्वीकृति पाने हेतु यह विधेयक लाया गया है। मैं तो इस पक्ष में हूं कि उनके लिए 25 के बजाय 50 प्रतिशत पद आरक्षित रखें जायें और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कल ही प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो लोग अब तक उपेक्षित रहे हैं, जिन्हें समान अधिकार नहीं दिये गये हैं, उन्हें प्राथमिकता देने हेतु एक विशेष 'सैल' स्थापित किया जाए।

I want to lay stress on the fact that preference and top priority should be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, the most valueable section of the society. They should be given 25 per cent reservation. There are about 3 crore and 70 lakhs people in our country who have to live on 50 paise per day. Harijans and Adivasis have no land and they have no other sources of income so they are economically backward and they cannot spend more. No doubt, something has been done to give the social and economic justice during last 25 years, but we are not satisfied with that. More should be done to improve the lot of those who have no sources of earning their livelihood.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : It appeared from the speech of Shri Pandey as if he was replying to the speeches on the Bill like the minister. He has ignored to the condition of the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in own constituency.

I am sorry to point out that Government could not successfully implement the reservation of posts to the persons of scheduled castes and scheduled tribes in spite of the fact that Rs. 300 crores had been spent on their uplift. In these circumstances I demand 75 per cent reservation to these communities.

I also demand that 25 per cent reservation should be made effective both in the recruitment and promotion. It has been observed that even the well qualified candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes are declared unsuitable by the selection authorities in the various Ministries and Departments of the Government of India resulting in poor representation of these communities in the various categories of service. It has also been observed that regionalism has crept in the field of recruitment. I think Government will realise the difficulties of these helpless people only when they would resort to agitation.

I would like to draw the attention of the Prime Minister to the urgency of the formation of a seperate Ministry for the well being of these communities. Large number of young persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes have got higher education but they are jobless for several years. What is the justification of providing them scholarship when Government are unable to provide them employment? Central Government say that it is a State subject and State Government show their inability in accepting this responsibility to provide any help to the persons of scheduled castes and scheduled tribes in getting employment. When this is the position how the condition of these people can be improved.

Reports regarding the atrocities committed to the Harijans and people of other weaker sections appear in the newspapers very often. May I know the number of persons arrested for exercising untouchability during the last 10 years? I think no body has been arrested so far.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Discretionary powers given to the appointing authorities in regard to dereserve posts when suitable candidates of scheduled castes and scheduled tribes are not available have done a great loss to these communities. Under this provision officers very easily reject the candidates of scheduled castes and select general candidates of their choice. It has also been observed that S.C./S.T. employees if selected are put to harrassment by their officers.

It has been observed from the figures produced by the Government regarding the representation of Harijans and Tribals in the Government services that there are a few persons in class 1 and class 2 services. Government produce the number of sweepers to justify the percentage of Harijan employees in the service.

In these circumstances I would like to suggest that there must be at least one member on each selection Committee, whether it is U.P.S.C. or State Public Service Commission. I also demand that the condition of suitability should be removed.

Periodical reports regarding the appointment of the candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes should be demanded from the Public Undertakings. Various Public Undertakings should be asked to furnish the number and qualification of such candidates appeared in the tests held by them.

I am sorry to mention that last year a scheduled caste candidate, who was first class M.A. in Persian language, was not selected for the post of a teacher in the Ministry of Home Affairs. That post was offered to a graduate among the general castes. I, therefore, demand that this kind of approach of the officers should be checked. You may increase the percentage of reservation upto 50 but it would be of no use unless Government take effective steps to translate this policy into practice.

So far as the distribution of land to the Harijans and Adivasis is concerned it is done only in papers. Land is allotted to them but they are not allowed to occupy land by the big Zamidars. It is claimed by the Government that Rs. 300 crores have been spent on the Harijans and Adivasis during the last 25 years. But the fact is that only one third of this amount has been spent on these people and the rest of the amount has been spent on the establishments. It is also a fact that actual benefit percolated to the Harijans and Adivasis is very meagre.

Now the educated persons of scheduled castes and scheduled tribes have become consicous of their rights enshrined in this Constitution and the time has come when they should be provided with their genuine rights to avoid any agitation. There is a wide spread conspiracy against the Harijans and Advasis fabricated by Castes Hindus and they do not want that there communities should prosper. They are ill heated. Even in the educational institutions scheduled caste students are discriminated against, because of the fact that most of the teachers belong to general castes.

I would also like to know as to how many posts in the Social Welafare Department have been filled with scheduled caste candidates. It has been observed that facts are supressed by the officers of these departments as these are manned with caste Hindus. I demand that Social Welfare Departments and Harijan Welfare Department should be manned with the officers among the scheduled castes.

It is matter of great concern for all of us that Harijans are forced to lead a life of animals in certain parts of our country. I appeal that Government should set up a special cell to collect the actual information regarding the condition of Harijans and Adivasis. It should also be ensured by the Government that more and more excecutive posts are given to the officers belonging to scheduled castes so that the interests of Harijans and Adivasis can be watched. If these steps are not taken by the Government, I fear Harijans and Adivasis would be forced to resort to drastic measures.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): I rise to support the Amendment moved by Shri Dhandapani, Sir, it is unfortune of our country that certain communities of our society have been deprived of their human rights. Even after 25 years of our independence we could not change our attitude towards them.

After my tour of Bastar area I was surprized to note that there is no railway line there. The entire area is deprived of civilization.

Government have reserved the quota of posts in the services but this measure can never be implemented seriously because of the fact that the entire administrative

machinery is in the hands of those who are followers of *Ramayana* and *Manusmriti* wherein it is stated that *shudras* are not entitled to read and listen to *vedic* mantras and that they should be treated with stick.

The entire country is full of hypocrisy. Even the Ministers are engaged in protecting the big hypocrite like Balyogeshwer. In these circumstances the condition of Harijans cannot be ameliorated. All there so called saints and sadhus spreed hatred for Harijans.

I would like to suggest that hon. Minister should find out as to how many recommendations have been implemented. He should also see whether he is able to deal with those chief Ministers who are inclined to implement these recommendation.

**(*Interruption*)

So many political leaders are arrested under the Preventive Detention Act and other Acts but it is quite strange that even a single person has not been arrested so for practising untouchability. May I know whether hon. Minister can produce the figures of persons arrested for committing such offence ?

Sir, in the eastern districts Harjans are forced to commit immoral acts. If they refuse to do that they are beaten.

(*Interruption*)

Offences entrusted with the jobs of Harijan Welfare have no faith in the policies of the Governments and they have no sympathy to Harijans. I also demand that the books which contain anti-social views should be banned. It has been observed that police exercise malpractices while registering the cases under the discretionary power with them to decide cognizability of offence.

श्री सी० एस० स्टीफन (मुवन्तुपुजा) : सर्व प्रथम मैं श्री दण्डपाणि को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सदन का ध्यान महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाया है । मेरे विचार से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का यही महत्व होता है ।

इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि हरिजनों की स्थिति में सुधार होना चाहिये तथा उनकी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिये । किन्तु साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि सरकार ने इस दिशा में यथा संभव कदम उठाये हैं ।

श्री दण्डपाणि ने प्रस्ताव किया है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने चाहियें । वास्तव में इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 16 (2) और 16 (4) में व्यवस्था विद्यमान है । अनुच्छेद 46 में भी समाज के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखे जाने का उल्लेख है ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार ने संविधान में निहित इन उपबन्धों को लागू करने की दिशा में यथा संभव प्रयत्न किये हैं । मुझे मंत्री महोदय से ज्ञात हुआ है कि 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 14.7 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या 6.94 प्रतिशत है । उसी के अनुसार उनके लिये क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जाता है ।

दूसरी मांग यह की गई है कि जिन पदों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से नहीं भरा गया उनको दो वर्ष तक आरक्षित रखा जाए । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह अवधि केवल दो वर्ष नहीं वरन तीन वर्ष है ।

तीसरी मांग यह की गई है कि ऐसे पदों में से 75 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जाए । यह व्यवस्था थी किन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक पदों को आरक्षित नहीं रखा जा सकता ।

इस उपबंध की भी मांग की गई है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी पदों को आरक्षित रखा जाए । यह व्यवस्था भी विद्यमान है । सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी ब्यूरों ने इस संबंध में आदेश कर दिये हैं । वास्तव में समस्या यह रही है कि कानून नहीं बनाए गये हैं । समस्या यह है कि सभी प्रकार के नियम और कानून होने के पश्चात भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहे हैं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सरकार को आरक्षण की प्रतिशतता निर्धारित करने का जो अधिकार दिया गया है उसको छीनना नहीं चाहिये । जन संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये ऐसा समय भी आ सकता है जब इस प्रतिशतता में वृद्धि करने की आवश्यकता हो । अत: यदि यह प्रतिशतता 25 निर्धारित कर दी गई तो बाद में उसमें कोई वृद्धि नहीं की जा सकती । इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाने वालों ने इसका निर्णय सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दिया था ।

प्रत्येक राजनीतिक दल यह मांग करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की दशा में सुधार होना चाहिये तथा उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किय जाने चाहियें । सभी हरिजनों के हिमायती हैं किन्तु फिर भी उन पर अत्याचार होते हैं, उनके घर जलाये जाते हैं तथा उन्हें जीवित जलाए जाने के समाचार मिलते हैं । यह पता नहीं चलता कि कौन लोग ऐसे अत्याचार करते हैं । अत: राजनितिक दलों को बातें करने की बजाय उनकी स्थिति में सुधार के कार्यों में लगना चाहिये ।

मेरे विचार से जब तक ये जातियां स्वयं संगठित नहीं होतीं तब तक उनको उनके अधिकार नहीं मिल सकते । जहां वे संगठित हैं वहां उनका कोई अहित नहीं कर सकता ।

उन्हें संगठित करने का दायित्व राजनीतिक दलों पर है । राजनीतिक दलों को उन्हें संगठित होने में सहायता करनी चाहिये क्योंकि स्वंय ये जातियां सुसंगठित नहीं हो सकतीं । देश की सभी राजनीतिक पार्टियां सक्षम हैं तथा वे यह कार्य पूरी तरह से कर सकती हैं । राजनीतिक दलों को उस लोक दिखाव को भी त्याग देना चाहिये कि व इन जातियों के परम हितैषी हैं क्योंकि वास्तव में वे हितैषी नहीं हैं । अनुसूचित जातियों के मेरे मित्रों को चाहिये कि वे उनमें संगठन उत्पन्न करें जिसमें वे अपने अधिकारों के लिये लड़ सकें ।

यह समझना उचित नहीं है कि सरकार ने उपयुक्त कानून नहीं बनाए हैं । कानून हैं किन्तु उन्हें क्रियान्वित करने के लिये व्यवस्था की कमी थी । मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिये कि उनके अधिकारों का अपहरण न किया जाए ।

अंत में मैं विधेयक प्रस्तुतकर्ता की भावनाओं की सराहना करता हूं तथा समझता हूं कि इस संवधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

***श्री पी० वैंकटासुब्बया** (नन्द पाल) : इस विधेयक का उद्देश्य समाज के निम्न वर्ग का उद्धार करना है । इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी ने पिछड़े वर्गों को 'हरिजन' नामक पवित्र संबोधन दिया था । हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन है । संविधान में इनके उद्धार का संकल्प किया गया है । विगत 25 वर्ष में पर्याप्त प्रगति हुई है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इन लोगों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न किये हैं । परन्तु खेद है कि हमारे यहां अधिकारीतंत्र इस रूप में छाया हुआ है कि स्वाधीनता के 25 वर्ष पश्चात, आज भी ऐसी दु:खद घटनाएं होती रहती हैं । प्रधान मंत्री एवं राज्यों के मुख्य मंत्रियों के इस बारे में संकल्प बद्ध होते हुए भी पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार होत रहते हैं ।

बहुत पहले सुझाव दिया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के सभापति पिछड़ी जातियों के लोगों को बनाया जाये । मुझे उम्मीद है कि सरकार निकट भविष्य इस सुझाव पर कार्य करेगी ।

देश में कई ऐसे गांव हैं जिनमें हरिजनों की बस्तियों में पीने का पानी, बिजली आदि भी प्राप्य नहीं है । उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है । हमें अपने दिलों से अप्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी विचारों को निकाल देना चाहिये ।

Shri M. C. Daga (Pali): It is strange that the schedule caste members do not take interest in the matter with which they are directly concerned. The tendency on the other hand is to raise slogans and abuse Tulsidas and Ramayana etc. and became a leader. The remedy to darkness is light. The government has failed to implement the constitutional Provisions in this regard.

It is a matter of shame that even after 25 years of freedom Harijans have to carry dirt over their heads.

It seems our intentions are not sincere. Certain persons have been supressed and the tendency is to continue their supressions of the supressed ones. Children are being provided with nutritions food for 18 Paise.

You may enact various laws for the welfare of these classes but if these are not implemented there mere existence is of no use. It is said that poverty is a great crime. Great disparity exists today between man and man.

---

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version of English translation of speech delivered in Telugu.

What do the scheduled caste M.Ps and M.LA's do after their election ? They say that their people do not understand. They leave the work of uplift of their classes on others. They want that the task of their welfare may be undertaken by enacting of laws. In order to bring about change in society we would have to develop revolutionary ideas. The worried people believe that they can purchase any body with money. 'Garabi Hatao' should be the foremost tasks before the Government.

Some concrete steps should be taken urgently for the uplift of the scheduled castes and scheduled tribes.

The Department of Social Welfare Board needs to be changed.

It is the responsibility of all the political parties to undertake the uplift of scheduled castes and scheduled tribes.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : अपनी स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के भाइयों के कल्याण पर कुछ ध्यान दें । मैं समझता हूं कि उनके उद्धार के लिए जितना भी कार्य किया गया है उससे ज्यादा किया जा सकता था । हमारी जनता की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी जनसंख्या के लगभग 40 प्रतिशत लोगों को निर्धनता के स्तर से भी नीचे के स्तर पर निर्वाह करना पड़ता है । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस समस्या का समाधान हम आपतकालीन समस्या के आधार पर करें । मुझे कम से कम एक मुख्य मंत्री के बारे में पता है जो राज्य द्वारा की गई नियुक्तियों को बार बार इस दृष्टि से देखते हैं कि पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को अवसर दिये गये हैं ।

इस समस्या को यथा स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता । कहा जा रहा है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है । किन्तु यहां तक आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है वहां पर तो सदैव ही सूखे की स्थिति बनी रहती है । संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जनजातियों के कल्याण की व्यवस्था की गई है । मुझे खेद है कि राज्य सरकारों के कार्य में व्यापक विस्तार होने पर भी उन लोगों को कुछ लाभ नहीं पहुंचा है। मेरी चुनौती है कि यदि कोई भी यह सिद्ध करदे कि किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर है । अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति भी वैसी ही है इस बारे में हमें लोगों की आत्मा को जगाने की आवश्यकता है । हमारे देश में जनसंख्या का पांचवां भाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का है । बहुत से लोगों को इन अनुसूचियों में सम्मिलित नहीं किया गया है । बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्धनता के स्तर से भी निचले स्तर पर जीवन-यापन कर रहे हैं परन्तु उनके नाम सूची में नहीं हैं ।

अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई है कि जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास की ओर सरकार ध्यान देगी । हमें इस स्थिति का समय-समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए । पिछड़े वर्गों की समस्याओं की ओर, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों की समस्याओं पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): I whole heartedly support this proposal and stress upon the Government to accept this Bill without hesitation. The assurances given in respect of scheduled castes and scheduled tribes during the last 25 years have not been properly been implemented. As a member of committee

for Scheduled Castes and Scheduled Tribes I can say that the assurances given are not being implemented in some of the states. That committee after its study submitted a report but it lapsed with the dissolution of fourth Lok Sabha. The Government should bring forward a Bill at least in the next Session.

It is surprising that adivasis of Madhya Pradesh earn 50 paise a day. What can these poor people do with that meagre amount ? During the elections these people were given a lot of assurances.

Untouchability it is being practised in villages. These people do not dare to enter a police station. Amongst them who rise to higher positions keep all the privileges for themselves.

In fact this Bill should have come from Government side. Anyhow let it be passed now.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): There is no doubt that the change has to come in the society. The sooner the past is burried the better it is. The states have been given messages for speedy implementation of the assurances. The Government has decided to give houses to all who do not have them. If the State Governments implement this decision, it would be very good. The infrastructure of industries should be spread to small towns so that the people living there may have employment avenues. Similarly small scale industries should be spread in villages. Socialism aims at providing of bread, cloth and housing to the people.

If certain Scheduled Caste person is appointed as P.C.S. officer he is posted to un-important places. It is necessary that the States be pulled towards the path of progress and Administration is reformed.

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

(श्री झारखण्डे राय)

सभापति महोदया : मुझे अध्यक्ष के नाम सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 19 अप्रैल, 1973 के एक पत्र के बारे में सभा को सूचना देनी है जिसमें बताया गया है कि श्री झारखंडे राय, सदस्य, लोक सभा को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), दिल्ली द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रख्यापित निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत 19 अप्रैल, 1973 को मध्याह्न-पश्चात् लगभग 3.45 बजे पटेल चौक, नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया । सदस्य को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष मुकदमें के लिये पेश किया जा रहा है और इस समय वह पुलिस थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट में हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, अप्रैल 23, 1973/3 वैशाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, April 23, 1973/ Vaisakha 3, 1895 (Saka).

MGIPRRND—Sec. III—9 LSS/73—20-8-73